[2021] 15 एस. सी. आर *96*

नीना अनेजा और ए. एन. आर.

वी.

जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड।

(सिविल अपील सं। *3766-3767 2020* का*)*

16 मार्च, *2021*

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

एम. आर. शाह, जे. जे.*]*

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, *2019*। *107* - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, *1986-1986* अधिनियम का निरसन-इसके तहत शुरू की गई कार्यवाही,

यदि एक ही मंच के तहत जारी रखा जा सकता है -

आर्थिक क्षेत्राधिकार-लंबित कार्यवाही, यदि स्थानांतरित किया जाना है-उपभोक्ता मामला अपीलार्थियों द्वारा *1986* अधिनियम-*2019* अधिनियम के प्रावधानों के तहत एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया कि

2019 के अधिनियम के लागू होने के बाद, इसके आर्थिक अधिकार क्षेत्र को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दस करोड़ रुपये कर दिया गया है और

अपीलार्थियों का दावा, रु। *2.19* करोड़ रुपये इसके बढ़े हुए आर्थिक अधिकार क्षेत्र से नीचे है-आयोजितः *2019* अधिनियम के प्रारंभ से पहले शुरू की गई कार्यवाही मंचों के समक्ष जारी रहेगी।

1986 के अधिनियम के तहत उन लोगों के अनुरूप और *2019* के अधिनियम के तहत स्थापित मंचों के लिए निर्धारित आर्थिक अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा-वैधानिक के संदर्भ में कुछ विशिष्ट

लंबित मामलों के हस्तांतरण को अनिवार्य करने के लिए या तो व्यक्त शब्द या आवश्यक इरादे का संकेत देने वाले शब्दों की आवश्यकता होती-विवादित आदेश और समीक्षा आदेश को अलग कर दिया जाता है।

राष्ट्रीय आयोग अपीलार्थियों द्वारा स्थापित मामले की सुनवाई जारी रखेगा-सामान्य खंड अधिनियम, *1897* - एस. *6*-की व्याख्या

कानून सामंजस्यपूर्ण निर्माण।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, *2019* - *s.107*-वस्तु और उद्देश्य

2019 के अधिनियम-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, *1986* का निरसन-इसके तहत लंबित कार्यवाही, यदि स्थानांतरित की जानी है-विधानमंडल का इरादा-आयोजितः विधायिका को नए कानून द्वारा स्थापित मंचों के लिए स्थापित नई आर्थिक सीमाओं के अनुसार लंबित मामलों के हस्तांतरण के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं करने में लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, अगर इसका इरादा होता-तो संसद को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल होता, जिसका उद्देश्य *2019* के अधिनियम को लागू करना था।

96 नीना अनेजा और ए. एन. आर. वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड।

एक इरादे के साथ उपभोक्ताओं की रक्षा और समर्थन करें जिससे उपभोक्ता मुकदमेबाजी के संचालन में वित्तीय कठिनाई, अनिश्चितता और व्यय-सामान्य खंड अधिनियम, *1897* - एस. *6.*

विधानों की व्याख्या-प्रक्रियात्मक कानून-मंच में परिवर्तन

यदि पूर्वव्यापी हो तो संचालन-आयोजितः फोरम में बदलाव निहित है

आम तौर पर लंबित कार्यवाहियों को प्रभावित करता है, जब तक कि कानून के निरसन या संशोधन से कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो-कानून की स्थिति मंच के परिवर्तन पर, उदाहरणों का विश्लेषण किया गया-कानून की स्थिति स्पष्ट की गई।

सामान्य खंड अधिनियम - धारा *6 (ग), (ङ)*-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, *1986*-आयोजितः खंड *(ग)* और खंड *(ङ)* का स्पष्ट परिणाम, जब

एक साथ पढ़ना दो गुना हैः पहला, *1986* के अधिनियम के तहत उपभोक्ता शिकायत की स्थापना की तारीख को अर्जित अधिकार संरक्षित है; और दूसरा, कानूनी कार्यवाही या उपचार के साधन के माध्यम से अधिकार का प्रवर्तन निरसन से प्रभावित नहीं होगा।

शब्द और वाक्यांश "मनोरंजन"-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, *2019*-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, *1986* आयोजितः केवल इसका उपयोग

यह सुनिश्चित करने के लिए भारी विधायी इरादे का विरोध करें उपभोक्ता कल्याण और जानबूझकर *2019* के अधिनियम या यू/में लंबित कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए प्रावधान नहीं है। *2019* के अधिनियम का *s.106* जो *2019* के अधिनियम के प्रारंभ के बाद दो साल की अवधि के लिए कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः *1.1* फोरम में बदलाव प्रक्रिया के दायरे में आता है। तदनुसार, वैधानिक सिद्धांतों के अनुपालन में

प्रक्रियात्मक कानून पर लागू व्याख्या, प्रक्रिया के मामलों पर संशोधन पूर्वव्यापी हैं, जब तक कि क़ानून से कोई विपरीत इरादा सामने नहीं आता है। हालांकि, ढाडी साहू में इस अदालत के दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से विचलन हुआ, जिसने न्यू इंडिया एस्योरेंस में तीन न्यायाधीशों की बड़ी पीठ और मारिया क्रिस्टिना में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की अनदेखी की। ढाडी साहू में निर्णय ने एक स्थिति का प्रतिपादन किया कि "किसी भी वादी को प्रक्रियात्मक *[2021] 15* एस. सी. आर. के मामले में कोई निहित अधिकार नहीं है।

कानून लेकिन जहां सवाल मंच के परिवर्तन का है, वह केवल प्रक्रिया का सवाल नहीं रह जाता है। अपील या कार्यवाही का मंच एक निहित अधिकार है जो किसी विशेष मंच के समक्ष पालन की जाने वाली शुद्ध प्रक्रिया के विपरीत है। न्यायाधिकरण में कार्यवाही शुरू होने पर अधिकार निहित हो जाता है। यह विचार रखते हुए, दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने बाध्यकारी निर्णयों पर विचार नहीं किया। ढाडी साहू मोहम्मद में लंबित कार्यवाही को बचाने पर विचार करने में विफल रहे। इदरीस और मनुजेंद्र दत्त वादियों के निहित अधिकारों की रक्षा कर रहे थे जो उनमें निरस्त करने वाले कृत्यों से प्रभावित हो रहे थे, न कि इसलिए कि कार्यवाही शुरू होने के बाद मंच का अधिकार अर्जित किया जाता है। इसके बाद, निर्णयों की एक पंक्ति ढाडी साहू के बाद आई, जिसमें कहा गया कि एक वादी को एक बार मंच का स्पष्ट अधिकार है।

कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* के तहत परिकल्पित मूल अधिकारों के अलावा, संशोधन या निरसन से पहले एक वादी का निहित अधिकार *(*अपील के अधिकार सहित*)* निस्संदेह संरक्षित है। यह संरक्षण प्रक्रिया के शुद्ध मामलों तक विस्तारित नहीं है। मंच में परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले निरसन या संशोधन सामान्य रूप से लंबित को प्रभावित करेंगे। कार्यवाहियाँ, जब तक कि निरस्तीकरण या संशोधन कानून से कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो। *[* पैरा *53] [158-*एच*; 159-*ए-एफ*]*

आयकर आयुक्त, उड़ीसा बनाम। ढाडी साहू *1994* सप्लीमेंट। *(1)* एससीसी *257: [1992] 3* पूरक। एससीआर *168 -* इनक्यूरियम के अनुसार आयोजित।

मोहम्मद. इदरीस वी। सत नारायण एयर *1966* एससी *1499: [1966]* एस. सी. आर. *15;* मनुजेंद्र दत्त बनाम पूर्णेदु प्रसाद रॉय

चौधरी *[1967] 1* एस. सी. आर. *475-*संदर्भित।

1.2 2019 के अधिनियम की धारा *107 (1) 1986* के अधिनियम को निरस्त करती है। धारा *107 (2)* ने किसी भी निरस्त अधिनियम या "उसके तहत विधिवत किए गए या पीड़ित किसी भी चीज़ के" पिछले संचालन "को इस हद तक बचा लिया है कि यह नए कानून के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है। अंत में, धारा *107 (3)* इंगित करती है कि उप-धारा *(2)* में विशेष मामलों का उल्लेख सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* के सामान्य अनुप्रयोग को प्रभावित या प्रभावित नहीं करेगा। सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* शासन प्रदान करती है।

केंद्रीय कानून या विनियमन के निरसन के प्रभाव के संबंध में सिद्धांत। इन शासी सिद्धांतों को लागू करना है, "जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो"। धारा *6* की धारा *(*सी*)* नीना अनेजा और ए. एन. आर.

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड।

इस प्रकार निरस्त किसी भी अधिनियम के तहत "। *1986* के अधिनियम के तहत वैध रूप से स्थापित उपभोक्ता शिकायत को आगे बढ़ाने का अधिकार एक अधिकार है। जो उस कानून के तहत उपार्जित हुआ है जिसे निरस्त कर दिया गया था। खंड *(*ई*)*

धारा *6* में कहा गया है कि निरसन अन्य बातों के साथ-साथ,

जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऐसे किसी अधिकार के संबंध में कोई "कानूनी कार्यवाही या उपाय"। ऐसी कोई भी कानूनी कार्यवाही जारी रखी जा सकती है जैसे कि निरस्तीकरण कानून पारित नहीं किया गया हो। धारा *6* के खंड *(सी)* का उस अधिकार को संरक्षित करने का प्रभाव है जो अर्जित हुआ है। खंड *(ई)* यह सुनिश्चित करता है कि एक कानूनी कार्यवाही जो शुरू की गई है "इस तरह के अधिकार" की रक्षा या प्रवर्तन प्रभावित नहीं होगा और इसे जारी रखा जा सकता है जैसे कि निरसन कानून लागू नहीं किया गया है। खंड *(ई)* में ऐसे अधिकार की अभिव्यक्ति का स्पष्ट रूप से वह अधिकार है जिसे खंड *(सी)* में जोड़ा गया है। मैदान।

खंड *(ग)* और खंड *(ङ)* का परिणाम, जब एक साथ पढ़ा जाता है

दो-गुनाः पहला, वह अधिकार जो *1986* के अधिनियम *(*निरसन कानून*)* के तहत उपभोक्ता शिकायत की स्थापना की तारीख को अर्जित हुआ है, संरक्षित है और दूसरा, किसी कानूनी कार्यवाही या उपचार के माध्यम से अधिकार निरसन से प्रभावित नहीं होगा। इस स्थिति को इस सिद्धांत के साथ सुसंगत बनाने की आवश्यकता है कि एक मंच का अधिकार एक अर्जित अधिकार नहीं है। जबकि सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6 (ई)* लंबित मामलों की रक्षा करती है।

से अर्जित अधिकार के प्रवर्तन के लिए कानूनी कार्यवाही

निरसन का प्रभाव, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी विशेष मंच पर कानूनी कार्यवाही निरसन के प्रभावों से बच जाती है। यह सवाल अभी भी बना रहेगा कि क्या लंबित कानूनी कार्यवाही को निरस्तीकरण के आधार पर नवनिर्मित मंच पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। न्यू इंडिया एस्योरेंस और मारिया क्रिस्टिना में इस अदालत ने माना है कि फोरम से संबंधित मामला है

प्रक्रियात्मक कानून और इसलिए वादी को निरसन अधिनियम द्वारा बनाए गए मंच पर कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाना पड़ता है, जब तक कि कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो। यह सिद्धांत लंबित कार्यवाही पर भी लागू होगा, जैसा कि रमेश कुमार सोनी में देखा गया है। हितेंद्र कुमार ठाकुर और सुधीर जी अंगुर। इस पृष्ठभूमि में, यह पता लगाने के लिए प्रासंगिक है कि क्या पुराने मंच पर कार्यवाही जारी रखने के लिए *2019* के अधिनियम के तहत पूर्वव्यापीता के सामान्य नियम के विपरीत इरादा व्यक्त किया गया है। *[* पारस *62-64] [161-*एफ, जी-एच; *162-*ए-एच, *163-*ए-बी*] [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम। महाराष्ट्र राज्य *(1994) 4* एससीसी *602: [1994] 1* पूरक। एससीआर *360;* सुधीर जी अंगुर बनाम। एम संजीव *(2006) 1* एससीसी *141: [2005] 4* पूरक। एस. सी. आर. *851;* रमेश कुमार सोनी बनाम महाराष्ट्र राज्य

(2013) 14 एससीसी *696: [2013] 1* एस. सी. आर. *1129* पर भरोसा किया।

1.3 वर्तमान मामले में निरसन अधिनियम में इरादे की अभिव्यक्ति पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि कोई नहीं है व्यक्त भाषा यह दर्शाती है कि सभी लंबित मामले कायम रहेंगे

उपभोक्ता। लेकिन साथ ही, उपभोक्ता अनुचित और अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के माध्यम से शोषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। इस अधिनियम ने असंख्य और लगातार उभरते मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास

किया है। उपभोक्ताओं की कमजोरियाँ "। नए कानून में आवर्ती विषय उपभोक्ताओं की सुरक्षा है जिसे प्रक्रियात्मक हस्तक्षेपों जैसे कि

वर्ग कार्यों को मजबूत करना और मध्यस्थता की शुरुआत करना विवाद समाधान का वैकल्पिक मंच। *[*पारस *65,66] [163-*बी-एफ*]*

1.4 वैधानिक भाषा के संदर्भ में कुछ विशिष्ट-या तो व्यक्त शब्द या शब्द जो एक आवश्यक इरादे का संकेत देते हैं

लंबित मामलों के हस्तांतरण को अनिवार्य करने के लिए आवश्यक होता। अगर पहले से ही एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष दर्ज किए गए मामलों को एन. सी. डी. आर. सी. को हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती तो उपभोक्ताओं को होने वाली गंभीर कठिनाइयों की कल्पना की जा सकती है। *2019* के अधिनियम द्वारा आर्थिक सीमाओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप एस. सी. डी. आर. सी.। एक उपभोक्ता जिसने नीना अनेजा और ए. एन. आर. में कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है।

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड।

एन. सी. डी. आर. सी. के मुख्यालय को एक नया कार्य करना होगा।

उपभोक्ताओं के अधिकारों पर हानिकारक प्रभाव। कई उपभोक्ताओं के पास नए मंच में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी सलाहकार खोजने का नया बोझ उठाने के लिए साधन या संसाधन नहीं हो सकते हैं, जहां उनके मामले स्थानांतरित हो जाएंगे। इसका श्रेय संसद को देना मुश्किल होगा, जिसका अधिनियम बनाने का उद्देश्य है। *2019* का अधिनियम एक ऐसे इरादे के साथ उपभोक्ताओं की रक्षा और समर्थन करने के लिए था जिससे वित्तीय कठिनाई, अनिश्चितता और

उपभोक्ता मुकदमेबाजी के संचालन में व्यय। विडंबना यह है कि एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अधिकार क्षेत्र के निरंतर प्रयोग के संबंध में वर्तमान मामले में जो आपत्ति उठाई गई है,

अपीलार्थी द्वारा दायर उपभोक्ता शिकायत विकासकर्ता द्वारा की जाती है जो इसमें प्रतिवादी है। यह एक विकासकर्ता है जिसने इस आधार पर एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष कार्यवाही जारी रखने का विरोध किया कि नए उपभोक्ता कानून के तहत एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाओं को बढ़ा दिया गया है और अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत जो पूर्ववर्ती कानून के तहत वैध रूप से स्थापित की गई थी, उसे एस. सी. डी. आर. सी. को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।

इस तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप देश भर में हजारों मामले एन. सी. डी. आर. सी. से एस. सी. डी. आर. सी. और एस. सी. डी. आर. सी. से जिला आयोग को हस्तांतरित किए जाएंगे। *[*पारस *67,68] [163-*जी-एच*; 164-*ए-ई*]*

1.5 आंकड़ों से पता चलता है कि *31* अक्टूबर *2019* तक *21,216* मामले एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष लंबित थे और *1,25,156* मामले थे

एस. सी. डी. आर. सी. के समक्ष लंबित। इनमें से कई मामलों को स्थानांतरित करना होगा यदि वह दृश्य जो डेवलपर प्रस्तावित करता है

बरक़रार रखा। यह उपभोक्ताओं के हितों को गंभीर रूप से इस तरह से विस्थापित करेगा जो कानून के उद्देश्य को विफल कर देता है, जो उनके कल्याण की रक्षा और बढ़ावा देना है। इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट इरादे या आवश्यक निहितार्थ द्वारा एक इरादे का संकेत देने वाले स्पष्ट शब्द आवश्यक होंगे। *2019* के अधिनियम में ऐसा कोई संकेत नहीं है। में निहित संक्रमणकालीन प्रावधान धारा *31,45* और *56* स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि न्यायनिर्णायक *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कर्मी जो जिले के सदस्यों के रूप में कार्य कर रहे थे आयोग, एस. सी. डी. आर. सी. और एन. सी. डी. आर. सी. पूर्ववर्ती कानून के तहत नए कानून के तहत पद पर बने रहेंगे। इस तरह के प्रावधान आवश्यक हैं क्योंकि *1986* के अधिनियम के तहत उपभोक्ता मंचों पर नियुक्त व्यक्तियों के पास अन्यथा होगा

कानून के निरसन पर पदमुक्त किया गया। नई आर्थिक सीमाओं के अनुसार लंबित मामलों के हस्तांतरण के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं करने में विधायिका को अक्षम नहीं माना जा सकता है।

इरादे की संभावना दिखाई देती है, विशेष रूप से एन. सी. डी. आर. सी. के पिछले निर्णयों के प्रकाश में, जिन्होंने संशोधनों की व्याख्या की थी जो बढ़े थे। संभावित प्रभाव के साथ आर्थिक क्षेत्राधिकार। *[* पैरा *69] [166-*सी जी*]*

साउथफील्ड पेंट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वी. नया भारत
*2000 (*एन. सी. डी. आर. सी.*)* का उपभोक्ता मामला *No.286;* प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड बनाम। डॉ. मनोज राम चंद्रन, पुनरीक्षण याचिका संख्या। *400 1993* का *402 (*एन. सी. डी. आर. सी.*)*-अनुमोदित।

1.6 यह स्वीकार किया जाता है कि जिला आयोग के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने में, *2019* के अधिनियम की धारा *34*

उनके अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाएँ। ये प्रावधान निस्संदेह उन शिकायतों पर लागू होंगे जो *2019* के अधिनियम के लागू होने के बाद शुरू की गई थीं। हालाँकि, अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने में "मनोरंजन" शब्द का मात्र उपयोग उपभोक्ता कल्याण सुनिश्चित करने के लिए भारी विधायी इरादे का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं है और जानबूझकर *2019* के अधिनियम में या *2019* के अधिनियम की धारा *106* के तहत लंबित कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए प्रावधान नहीं है। *2019* जो *2019* के अधिनियम के प्रारंभ के बाद दो साल की अवधि के लिए कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति है। *[* पैरा *70] [167* सी, एफ-जी*]* नीना अनेजा और एएनआर।

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड।

1.7 20 जुलाई *2020* को *2019* के अधिनियम के प्रारंभ से पहले शुरू की गई कार्यवाही *1986* के अधिनियम *(*राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला आयोग*)* के तहत संबंधित मंचों के समक्ष जारी रहेगी और *2019* के अधिनियम के तहत स्थापित मंचों के लिए निर्धारित आर्थिक अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में स्थानांतरित नहीं की

जाएगी। दिशा-निर्देश *(i)* एन. सी. डी. आर. सी. का दिनांक *30* जुलाई *2020* का विवादित निर्णय और आदेश और दिनांक *5* अक्टूबर *2020* का समीक्षा आदेश,

अधिनियम के तहत पहले से स्थापित उपभोक्ता मामले का निर्देशन करना

1986 2019 के अधिनियम के तहत निर्धारित आर्थिक सीमाओं के संदर्भ में उपयुक्त मंच के समक्ष दायर किया जाना, अलग रखा जाएगा;

(iii) 1986 के अधिनियम के तहत *20* जुलाई *2020* से पहले शुरू की गई सभी कार्यवाहियों की सुनवाई मंच द्वारा जारी रखी जाएगी। *1986* के अधिनियम के तहत नामित लोगों के अनुरूप

ऊपर समझाया गया है और *2019* के अधिनियम के तहत स्थापित नई आर्थिक सीमाओं के संदर्भ में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। *[* पैरा *71] [168* ए-ई*]*

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती शांति मिश्रा *(1975) 2* एससीसी *840: [1976] 2* एस. सी. आर. *266;* मारिया क्रिस्टीना डी सूजा बनाम। अम्रिया जुराना परेरा पिंटो *(1979) 1* एस. सी. सी. *92;* मनीष कुमार बनाम। भारत संघ *2021 (1)*

स्केल *646*-पर निर्भर।

गरिकापति वीराया बनाम। एन. सुब्बैया चौधरी *[1957]* एससीआर *488;* नुस्ली नेविल वाडिया बनाम। आइवरी प्रॉपर्टीज *(2020) 6* एस. सी. सी. *557;* वेणुगोपाल रेड्डी बनाम। कृष्णस्वामी रेड्डीयार,

उर्फ राजा चिदम्बर रेड्डीयार ए. आई. आर. *1943* एफ. सी. *24;*

औपनिवेशिक चीनी शोधन कंपनी लिमिटेड बनाम इरविंग *(1905)* एसी *369;* किरण सिंह बनाम। चमन पासवान ए. आई. आर. *1954* एस. सी. *340 [1955]* एस. सी. आर. *117;* वी. धनपाल चेट्टियार बनाम। यशोदाई अम्मल *(1979) 4* एस. सी. सी. *214: [1980] 1* एससीआर *334;* शिव

भगवान मोती राम सरोजी बनाम। ओंकारमल ईशर दास

(1952) 54 बम एल. आर. *330;* रणबीर यादव बनाम। बिहार राज्य
(1995) 4 एससीसी *392: [1995] 2* एससीआर *826;* कमलेश कुमार बनाम। झारखंड राज्य *(2013) 15* एससीसी *460: [2013] 14*

एस. सी. आर. *263;* अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम।

लाल एंड कंपनी *(2001) 8* एस. सी. सी. *397: [2001] 2* पूरक। एससीआर

195 ; हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक

आयोग बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

(2014) 5 एससीसी *219: [2013] 11* एस. सी. आर. *915;* वीडियोकॉन

इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम। प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

भारत *(2015) 4* एस. सी. सी. *33: [2015] 3* एस. सी. आर. *1;* प्रतिभूतियाँ और भारतीय बोर्ड का आदान-प्रदान *v.* क्लासिक क्रेडिट लिमिटेड

(2018) 13 एससीसी *1: [2017] 13* एससीआर *559;* स्वप्ना मोहंती वी. ओडिशा राज्य *(2018) 17* एससीसी *621;* ओम

प्रकाश अग्रवाल बनाम। विशन दयाल राजपूत *(2019) 14*

एस. सी. सी. *526 [2018] 13* एस. सी. आर. *47;* दिल्ली हाईकोर्ट बार

एसोसिएशन वी। दिल्ली आई. एल. आर. न्यायालय *(1994) 1* डेल *271;* महेंद्र पनमल दुग्गड़ जैन बनाम। भरारीलाल पानमल

दुग्गड़ जैन *(2008) 4* माह एलजे *803;* वल्लभनेनी लक्ष्मण स्वामी बनाम। वल्लूरु बसवैया *(2004) 5 ALD*

807 ; गोबरधन लाल सोनेजा बनाम। बिनोद कुमार सिन्हा *(1991) 2* पीएलजेआर *783;* वाई. बी. रमेश बनाम वरलक्ष्मी *(2010)*

6 कांत एलजे *43;* हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड बनाम।

कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से पुन्नू साहू *(*मृत*)*

(1971) 3 एस. सी. सी. *124;* राजस्थान राज्य बनाम मंगीलाल

पिंडवाल *(1996) 5* एस. सी. सी. *60: [1996] 3* पूरक। एससीआर *98 -*

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1957] एससीआर *488*

संदर्भित किया गया है

पैरा *12*

(2020) 6 एस. सी. सी. *557*

पैरा *13*

संदर्भित किया गया है

[1955] एससीआर *117*

संदर्भित किया गया है

पैरा *16*

[1966] एससीआर *15*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19*

[1967] 1 एससीआर *475*

संदर्भित किया गया है

पैरा *21*

[1980] 1 एससीआर *334*

संदर्भित किया गया है

पैरा *22*

[1976] 2 एससीआर *266*

उस पर भरोसा करें

पैरा *23*

(1979) 1 एस. सी. सी *92*

उस पर भरोसा करें

पैरा *24*

[1994] 1 पूरक। एससीआर *360*

उस पर भरोसा करें

पैरा *26*

[2005] 4 पूरक। एससीआर *851*

उस पर भरोसा करें

पैरा *26*

[2013] 1 एससीआर *1129*

उस पर भरोसा करें

पैरा *28* नीना अनेजा और ए. एन. आर. वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड।

[1992] 3 पूरक। एससीआर *168*

इनक्यूरियम के अनुसार आयोजित

पैरा *29*

[1995] 2 एससीआर *826*

संदर्भित किया गया है

पैरा *30*

[2013] 14 एससीआर *263*

संदर्भित किया गया है

पैरा *30*

[2001] 2 पूरक। एससीआर *195*

2 को संदर्भित *2* को संदर्भित *2* को संदर्भित *2* पैरा *31*

[2013] 11 एससीआर *915*

पैरा *34*

[2015] 3 एससीआर *1*

पैरा *36*

[2017] 13 एससीआर *559*

पैरा *39*

(2018) 17 एस. सी. सी *621*

3 को संदर्भित किया गया

पैरा *45*

[2018] 13 एससीआर *47*

पैरा *46*

संदर्भित किया गया है

[1996] 3 पूरक। एससीआर *98*

संदर्भित किया गया है

पैरा *62*

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। *3766*

3767 2020 से।

राष्ट्रीय के दिनांकित *30.07.2020* और *05.10.2020* आदेश से

नई दिल्ली में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने *2020* की उपभोक्ता शिकायत *No.566* और *2020* की समीक्षा आवेदन संख्या *124* में।

पी. विनय कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

कृष्णन वेणुगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , विशाल गुप्ता, सुमित शर्मा,

दिव्यांशु गुप्ता, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सूचकांक

पृष्ठभूमि

ए. बी.

बी. *1.* अपीलार्थियों की प्रस्तुतियाँ
बी. *2.* प्रत्यर्थी की प्रस्तुतियाँ

मंच परिवर्तन पर कानून की स्थितिः पूर्ववर्ती का विश्लेषण

सी.

सी. *1.* वेणुगोपाल रेड्डीयार *(1943*-संघीय न्यायालय *3* न्यायाधीश*)*
सी. *2.* किरण सिंह बनाम। चमन पासवान *(1954*-सर्वोच्च*)*

न्यायालय *4* न्यायाधीश*)*

[2021] 15 एस सी आर।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

सी. *3.* गरिकापति *(1957*-उच्चतम न्यायालय का संविधान।

बेंच*)*

सी. *4.* मोहम्मद. इदरीस *(1965-*सुप्रीम कोर्ट का संविधान*)*

बेंच*)*

सी. *5.* मनुजेंद्र दत्त *(1966-*सुप्रीम कोर्ट *2* न्यायाधीश*)* सी. *6.* न्यू इंडिया एस्योरेंस *(1975-*सुप्रीम कोर्ट *3*

न्यायाधीश*)*

सी. *7.* मारिया क्रिस्टीना *(1978-*सुप्रीम कोर्ट *2* न्यायाधीश*)*

सी. *8.* हितेंद्र विष्णु ठाकुर *(1994-*सुप्रीम कोर्ट *2)*

न्यायाधीश*)*

सी. *11.* ढाडी साहू *(1992-*सुप्रीम कोर्ट *2* न्यायाधीश*)* सी. *12.* अंबालाल साराभाई *(2001-*सुप्रीम कोर्ट *2* न्यायाधीश*)*

सी. *13.* एच. पी. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी *(2013-*सुप्रीम कोर्ट *2* न्यायाधीश*)*

सी. *14.* वीडियोकॉन इंटरनेशनल *(2015-*सुप्रीम कोर्ट *2)*

न्यायाधीश*)*

सी. *15.* एस. ई. बी. आई. बनाम क्लासिक क्रेडिट *(2018-*सुप्रीम कोर्ट *2)*

न्यायाधीश*)*

सी. *16.* स्वप्ना मोहंती *(2018-*सुप्रीम कोर्ट *2* न्यायाधीश*)*

सी. *17.* ओम प्रकाश अग्रवाल *(2018-*सुप्रीम कोर्ट *2)*

न्यायाधीश*)*

सी. *18.* दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन *(1993-*दिल्ली उच्च न्यायालय*)*

डीबी*)*

सी. *21.* गोबर्धन लाल सोनेजा *(1991-*पटना उच्च न्यायालय-एफ. बी.*)* सी. *22.* वाई. बी. रमेश *(2010-*कर्नाटक उच्च न्यायालय-एसजे*)*

सी. *23.* कानून की स्थिति पर निष्कर्ष नीना अनेजा और ए. एन. आर.

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।*]*

D. अधिकारिता प्रावधानों की विधायी योजना

अधिनियम की धारा *107* के अंतर्गत विधायी आशय

ई.

2019 का

एफ.

सारांश

एक पृष्ठभूमि

1. संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने पर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम *2019 1* को *9* अगस्त *2019* को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। एस. ओ. द्वारा

2351 (ई*)* दिनांक *15* जुलाई *2020,2019* के अधिनियम के भौतिक प्रावधानों को *20* जुलाई *2020* को लागू होने के लिए अधिसूचित किया गया था। एस. ओ. *2421 (*ई*)* दिनांक *23* जुलाई *2020* द्वारा कई अन्य प्रावधान *24* जुलाई *2020* से लागू किए गए थे। अपीलकर्ताओं ने *18* जून *2020* को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष एक उपभोक्ता मामला *3* स्थापित किया। उपभोक्ता मामला पूर्ववर्ती कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम *1986* के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। एन. सी. डी. आर. सी. ने *30* जुलाई *2020* के अपने आदेश में उपभोक्ता मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया कि *2019* के अधिनियम के लागू होने के बाद इसका आर्थिक अधिकार क्षेत्र एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दस रुपये कर दिया गया है।

करोड़। अपीलार्थियों की समीक्षा याचिका को भी *5* अक्टूबर *2020* को एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा खारिज कर दिया गया था। वर्तमान मामले में, रुपये का दावा। *2.19* यह एन. सी. डी. आर. सी. के बढ़े हुए आर्थिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

2. उपभोक्ता मामले में शिकायतकर्ता अपील में हैं।

3. अपीलों में जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या कोई शिकायत है।

जो *2019* के नए अधिनियम के लागू होने से पहले *1986* के अधिनियम के तहत दायर और पंजीकृत किया गया था, उस पर पूर्ववर्ती विधान के प्रावधानों के तहत विचार किया जाना चाहिए। *2019* के अधिनियम के प्रवर्तन की प्रत्याशा में, एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा *17* जुलाई *2020* को एक प्रशासनिक नोटिस जारी किया गया था ताकि *18* जुलाई *2020* को नई फाइलिंग के लिए अपनी रजिस्ट्री के कामकाज की अनुमति दी जा सके, क्योंकि नया कानून *20* जुलाई *2020* को लागू होना था। अपीलार्थी इस तथ्य से भी व्यथित हैं कि उसके मामले में ली गई स्थिति के विपरीत, एन. सी. डी. आर. सी. की अन्य पीठों ने *20* जुलाई *2020* से पहले की गई शिकायतों को स्वीकार किया है। इस शिकायत के अलावा, वह मुद्दा जो

1 " 2019 का अधिनियम *'2* यह अधिनियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग *II*, धारा *1*, संख्या *54* दिनांक *9* अगस्त *2019* में प्रकाशित किया गया था।

3 3 उपभोक्ता मामला सं। *566 2020* का *(*एन. सी. डी. आर. सी.*) 4* "एन. सी. डी. आर. सी".

5 " 1986 का अधिनियम *"[2021] 15* एस.

सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलों में उत्पन्न होने वाले नए कानून के अन्य प्रावधानों के साथ *2019* के अधिनियम की धारा *107* के निर्माण और सामान्य खंड अधिनियम *18976* की धारा *6* के साथ इसकी परस्पर क्रिया पर विचार किया जाएगा। न्यायालय का विश्लेषण, नए कानून के बावजूद, एक क्लीन स्लेट पर आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि एक मिसाल है जो इस क्षेत्र को धारण करती है। यह कि दोनों पक्ष अपने मामलों को सामने लाने में पूर्ववर्ती रेखा पर भरोसा करते हैं, व्याख्यात्मक कार्य को जटिल बनाता है। हमारा काम एक ऐसा समाधान लाना होगा जिसमें न्याय के साथ अग्रवर्ती शिक्षा का सामंजस्य बनाते हुए सामंजस्य की भावना हो। *4.* तथ्यों का एक संक्षिप्त वर्णन संदर्भ के साथ सहायता करेगा। रुपये के अग्रिम भुगतान पर। *25* नवंबर *2011* को अपीलकर्ताओं द्वारा *3* लाख *50* हजार, प्रतिवादी ने अस्थायी रूप से एक आवासीय इकाई आवंटित की

रियल एस्टेट परियोजना जिसे क्रेसेन्ट होम्स के रूप में वर्णित किया गया है, जो *114.27* वर्ग मीटर के एक सुपर निर्मित क्षेत्र को मापता है जिसे जेपी ग्रीन्स, नोएडा में प्रतिवादी द्वारा विकसित किया जा रहा था। कुल राशि रुपये तय की गई थी। अनंतिम आवंटन पत्र के समझौते के निष्पादन से *42* महीने की अवधि के भीतर *1* लाख रुपये और कब्जे को व्यक्त करने का इरादा था। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि दिसंबर *2011* तक, उन्होंने रु। *53.84* रु. के कुल विचार में से लाख। *56.45* लाख।

5. 13 जून *2017* और *27* अप्रैल *2020* को, अपीलार्थी ने एक

18 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रतिफल की वापसी। *18* जून *2020* को, अपीलकर्ताओं ने ब्याज के साथ धनवापसी के लिए एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। उपभोक्ता शिकायत को आर्थिक अधिकार क्षेत्र के अभाव में *30* जुलाई *2020* के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। एन. सी. डी. आर. सी. की एकल सदस्य पीठ ने कहा कि *20* जुलाई *2020* को *2019* के अधिनियम के प्रवर्तन के बाद, इसके आर्थिक अधिकार क्षेत्र की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दस करोड़ रुपये कर दी गई है और इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायत कायम रखने योग्य नहीं है। अपीलकर्ताओं ने आदेश की समीक्षा के लिए एक याचिका दायर की। समीक्षा याचिका को *5* अक्टूबर *2020* को खारिज कर दिया गया था जिससे इस न्यायालय के समक्ष अपील की स्थापना हुई।

6. 1986 के अधिनियम की धारा *21* ने अधिकारिता के लिए प्रावधान किया

एनसीडीआरसीः

"राष्ट्रीय आयोग का अधिकार क्षेत्र। — इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, राष्ट्रीय आयोग के पास होगा -

अधिकार क्षेत्र

6 " सामान्य खंड अधिनियम "नीना अनेजा और ए. एन. आर.

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

(अ)

मनोरंजन के लिए

((i)

शिकायतें जहाँ माल या सेवाओं का मूल्य और

क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, का दावा एक करोड़ रुपये से अधिक है।

और

((ख)

किसी भी राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील; और

अभिलेखों की मांग करना और किसी भी मामले में उचित आदेश पारित करना।

(ख)

उपभोक्ता विवाद जो किसी भी राज्य आयोग के समक्ष लंबित है या उसके द्वारा तय किया गया है, जहां राष्ट्रीय आयोग को यह प्रतीत होता है कि ऐसे राज्य आयोग ने उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं है, या इस तरह निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है, या अवैध रूप से या सामग्री के साथ अपनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में कार्य किया है।
अनियमितता "। *(* जोर दिया गया*)*

7. 1986 के अधिनियम के तहत, एन. सी. डी. आर. सी. के अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया अधिनियम के परिणामस्वरूप *15* मार्च *2003* से बीस लाख रुपये

62 2002 से। इससे पहले *18* जून *1993* से बीस लाख रुपये की सीमा को *1993* के अधिनियम *50* द्वारा दस लाख रुपये के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

8. धारा *11* के तहत, मूल शिकायतों पर विचार करने के लिए जिला आयोग का अधिकार क्षेत्र बीस लाख रुपये था। खंड के तहत

17, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था जहां माल और सेवाओं या मुआवजे का मूल्य यदि कोई दावा बीस लाख रुपये से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

9. 2019 का अधिनियम संसद द्वारा पहले के प्रशासन में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था।

7 18 जून *1993* से *1983* के अधिनियम *50* द्वारा आर्थिक सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया था। *15* मार्च *2003* से *2002* के अधिनियम *62* द्वारा सीमा को पाँच लाख रुपये से बढ़ाकर बीस लाख रुपये कर दिया गया था। *8* " एस. सी. डी. आर. सी. *9 9 2002* के अधिनियम *62* द्वारा, इन सीमाओं को पांच लाख रुपये की पिछली सीमा से बढ़ा दिया गया था-*20* लाख रुपये *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, *1986 (1986* का *68)* को उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उपभोक्ता विवादों आदि के निपटारे के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। हालाँकि, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के काम ने उक्त अधिनियम के तहत काफी हद तक उद्देश्य को पूरा किया है, लेकिन विभिन्न बाधाओं के कारण मामलों का निपटान तेजी से किया गया है। उक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करते समय कई कमियों को देखा गया है।

2. 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद से वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपभोक्ता बाजारों में भारी बदलाव आया है। आधुनिक बाजार में उत्पादों और सेवाओं की भरमार है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के उदय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और ई-कॉमर्स के तेजी से विकास ने वस्तुओं और सेवाओं के लिए नई वितरण प्रणालियों को जन्म दिया है और उपभोक्ताओं के लिए नए विकल्प और अवसर प्रदान किए हैं। समान रूप से, इसने उपभोक्ता को अनुचित व्यापार और अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के नए रूपों के प्रति संवेदनशील बना दिया है। गुमराह करना।

विज्ञापन, टेली-मार्केटिंग, बहु-स्तरीय मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और ई-कॉमर्स उपभोक्ता संरक्षण के लिए नई चुनौती पेश करते हैं।

उपभोक्ताओं की कमजोरियाँ। इसे ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को निरस्त करने और फिर से लागू करने का प्रस्ताव है। *3.* तदनुसार, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, *2018* नाम का एक विधेयक *5* जनवरी, *2018* को लोकसभा में पेश किया गया था और *20* दिसंबर, *2018* को उस सदन द्वारा पारित किया गया था। जब यह विधेयक राज्यसभा में विचाराधीन था, सोलहवीं लोकसभा भंग कर दी गई और विधेयक समाप्त हो गया। इसलिए, वर्तमान विधेयक, अर्थात् उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, *2019*।

4. प्रस्तावित विधेयक में एक कार्यकारी की स्थापना का प्रावधान है। उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण *(*सी. सी. पी. ए.*)* के रूप में जानी जाने वाली एजेंसी; अनुचित व्यापार प्रथाओं से उत्पन्न उपभोक्ता नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक होने पर हस्तक्षेप करना और उत्पादों को वापस बुलाने, धनवापसी और वापसी आदि को लागू करने सहित वर्ग कार्रवाई शुरू करना। यह नीना अनेजा और ए. एन. आर.

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

मौजूदा नियामक व्यवस्था में एक संस्थागत रिक्तता को भरता है। वर्तमान में,
अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने या उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य किसी भी प्राधिकरण में निहित नहीं है। यह इस तरह से प्रदान किया गया है कि सी. सी. पी. ए. के लिए परिकल्पित भूमिका क्षेत्र के नियामकों और दोहराव, ओवरलैप या संभावित संघर्ष के पूरक है।

टाल दिया। *5.* विधेयक में दोषपूर्ण उत्पाद या सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ताओं को हुए नुकसान के कारण उत्पाद देयता कार्रवाई के प्रावधानों की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में "मध्यस्थता" का प्रावधान भी किया गया है

प्रदान किया गया।

6. विधेयक में उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों की उपभोक्ता विवाद निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने से संबंधित हैं।

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों और उपभोक्ताओं के लिए प्रावधानों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या में वृद्धि

इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायतें दर्ज करना आदि।

7. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

10. धारा *28 (1)* प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना का प्रावधान करती है, बशर्ते कि -

राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा इसकी स्थापना। धारा *34* के संदर्भ में जिला आयोग का अधिकार क्षेत्र उन शिकायतों पर विचार करना है जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। धारा *42* में प्रावधान है

प्रत्येक राज्य में एक एससीडीआरसी की स्थापना के लिए। धारा *47 (1) (ए)* के तहत एस. सी. डी. आर. सी. के मूल अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाएं मूल शिकायतों पर विचार करने के लिए हैं जहां वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है।

प्रतिफल के रूप में भुगतान एक करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन उससे अधिक नहीं है

10 "जिला आयोग "

राज्य का जिला: बशर्ते कि राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, तो किसी जिले में एक से अधिक जिला आयोग स्थापित कर सकती है। *(2)* प्रत्येक जिला आयोग में *(क)* एक अध्यक्ष होगा; और

(ख) केंद्र सरकार के परामर्श से सदस्यों की कम से कम दो और उतनी संख्या से अधिक नहीं जो निर्धारित की जाए।

दस करोड़ रुपये। धारा *53* की स्थापना के लिए प्रावधान करता है

एनसीडीआरसी। धारा *58 (1) (ए)* में एन. सी. डी. आर. सी. के अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाएं शामिल हैं, जो मूल शिकायतों के मामले में ऐसी हैं जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य अधिक हो जाता है।

दस करोड़ रुपये।

11. धारा *107* में निरसन और बचत का प्रावधान है, जो निम्नलिखित शब्दों में है:

" 107. निरसन और बचत

(1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, *1986* एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।
(2) इस तरह के निरसन के बावजूद, अधिनियम के तहत कुछ भी किया गया या कोई कार्रवाई की गई या की गई

निरसित किया जाएगा, जहाँ तक कि यह प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है

इस अधिनियम के संबंधित प्रावधान।
(3) उप-धारा *(2)* में विशेष मामलों का उल्लेख नहीं किया जाएगा।

धारा *6* के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालना या प्रभावित करना।

के प्रभाव के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, *1897*

निरस्त करें "।

यह अधिनियम अपने कार्यकाल के पूरा होने तक, जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करेगा। *13. 45.* संक्रमणकालीन प्रावधानः इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले, यथास्थिति, अध्यक्ष या राज्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति अपना कार्यकाल पूरा होने तक, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करेगा।

नीना अनेजा और ए. एन. आर. वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

धारा *56 1 4* सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के बने रहने के लिए

ई जिला आयोग, एससीडीआरसी और एनसीडीआरसी के तहत

हाइले कानून।

बी प्रस्तुतियाँ *B. 1* अपीलार्थियों की प्रस्तुतियाँ

12. श्री पी विनय कुमार, की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

याचिकाकर्ताओं ने अपील के समर्थन में निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह कियाः

((i)

2019 के अधिनियम की धारा *107 (3)* पूरी तरह से प्रभावी है

सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* के प्रावधान, जिसका अर्थ है कि पहले के कानून के निरसन में कुछ भी लंबित कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा जो इस तरह जारी रह सकती है जैसे कि नया कानून अधिनियमित नहीं किया गया है। *2019* के अधिनियम के तहत, एससीडीआरसी को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है -

नए अधिनियम के तहत शिकायतों को सुनें। पुराने अधिनियम के तहत एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष शुरू की गई शिकायतों की सुनवाई के लिए एस. सी. डी. आर. सी. को अधिकार क्षेत्र सौंपने के लिए, एक विशिष्ट

कार्यवाहियों के स्थानांतरण के लिए प्रावधान की आवश्यकता थी

जो प्रदान नहीं किया गया है। यह वह मामला नहीं है जहां किसी क़ानून को आर्थिक अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर संशोधित किया गया है, बल्कि इसमें एक पुराने क़ानून को निरस्त करना शामिल है, जिसमें मामलों को नए मंच पर स्थानांतरित करने का प्रावधान है।

आवश्यक है;

((ख)

2019 का नया अधिनियम मूल और निहित अधिकारों को प्रभावित करता है
और आवश्यक रूप से संभावित होना चाहिए; और

(iii)

नए कानून में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

पूर्वव्यापी संचालन।

ए. प्रस्तुतियों के पहले अंग पर विस्तार से बताते हुए, विद्वान सलाहकार

आग्रह किया कि इस न्यायालय के कई निर्णयों में, की धारा *6*

न्यायालय द्वारा सामान्य खंड अधिनियम लागू किया गया था ताकि

मौजूदा कार्यवाहियों को बचाएँ। वर्तमान मामले में, कानून निर्माताओं

विशेष रूप से धारा *6* की प्रयोज्यता को शामिल किया है

सामान्य खंड अधिनियम, धारा में एक प्रावधान करके

संक्रमणकालीन प्रावधानः वित्त अधिनियम, *2017* की धारा *177* के प्रारंभ से पहले राष्ट्रपति और प्रत्यायोजित रूप से नियुक्त प्रत्येक अन्य सदस्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, *1986* के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे और

इसके तहत ऐसा बनाया गया है जैसे कि यह अधिनियम लागू नहीं हुआ था।

107 (3) 2019 के अधिनियम के अनुसार। निहित अधिकारों के अस्तित्व की जांच करने का सवाल केवल तभी उत्पन्न होता है जब बचत प्रावधान पर संदेह होता है या जब धारा *6* को विशेष रूप से लागू नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में, न्यायालय को

जाँच करें कि क्या निरस्त क़ानून के तहत एक निहित अधिकार उत्पन्न हुआ था, जिस स्थिति में लंबित कार्यवाही को बचाया जाएगा। हालाँकि, जहाँ धारा *6* लागू होती है, वहाँ यह एक

व्यापक क्षेत्र ताकि न केवल निहित अधिकारों बल्कि धारा *6* के खंड *(ए)* से *(ई)* तक के सभी अधिकारों को बचाया जा सके।

प्रस्तुतियों का अगला अंग यह है कि *2019* के अधिनियम में निहित अपील के प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उदाहरण के लिए, *1986* के अधिनियम की धारा *19* के दूसरे प्रावधान में एक पीड़ित व्यक्ति को एससीडीआरसी द्वारा दी गई राशि का *50* प्रतिशत या रु।

25,000 , जो भी कम हो। हालाँकि, *2019* के अधिनियम में, धारा *51 (1)* के दूसरे परंतुक में कहा गया है कि एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी ने

आदेश के तहत आवश्यक राशि का *50* प्रतिशत जमा किया।

एससीडीआरसी से। यह प्रावधान वादी के निहित अधिकार को काफी हद तक प्रभावित करता है और यह केवल प्रक्रियात्मक प्रकृति का नहीं है। गरिकापति वीराया बनाम। एन सुब्बैया चौधरी *1 5*, द

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि अपील का अधिकार

यह केवल प्रक्रिया का मामला नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है और यह कि एक मुकदमे की संस्था अपने साथ निहितार्थ रखती है।

वाद की स्थापना और न कि जब मामला सुनवाई या निर्णय के लिए आता है। वर्तमान मामले में, पहले जब शिकायत दर्ज की गई थी तब कानून लागू था और इसलिए उस तारीख को अर्जित अधिकार और दायित्व सुरक्षित रहेंगे। *2019* के अधिनियम के परिणामस्वरूप, एक वैधानिक अपील

जो शिकायतकर्ता को एन. सी. डी. आर. सी. के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में प्रदान किया गया था, उसे इस शर्त के साथ हटा लिया गया है कि जो मामले एस. सी. डी. आर. सी. के समक्ष होंगे, वे केवल एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष अपील करने के लिए उत्तरदायी होंगे। *1986* के अधिनियम की इकतीस धाराओं में से *2019* के अधिनियम ने

पति *"; 1957* एस. सी. आर. *488* एन. ए. अनेजा और ए. एन. आर.

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

एक सौ सात धाराओं के लिए कानून बनाया गया जो अपने आप में

यह इंगित करता है कि परिवर्तन केवल प्रक्रियात्मक नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है। प्रस्तुतियों का तीसरा अंग यह है कि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है

2019 के नए अधिनियम में लंबित मामलों का हस्तांतरण। नए विधान के *2019* के अधिनियम की धारा *47* के तहत, एस. सी. डी. आर. सी. को *2019* के अधिनियम के तहत एक निश्चित मूल्य से अधिक की शिकायतों पर विचार करना है। पूर्ववर्ती कानून के तहत शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र केवल एक स्पष्ट वैधानिक प्रावधान द्वारा प्रदान किया जा सकता था जो शिकायतों को स्थानांतरित करता था

एन. सी. डी. आर. सी. से एस. सी. डी. आर. सी. को पुराने अधिनियम के तहत दायर किया गया। मौजूदा मामलों के हस्तांतरण के लिए किसी भी निर्देश की आवश्यकता होगी

देश भर में एन. सी. डी. आर. सी. और एस. सी. डी. आर. सी. के समक्ष लंबित हजारों मामलों को परेशान करना। इससे उपभोक्ताओं को गंभीर कठिनाई और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और न्यायपालिका की बर्बादी होगी। आज तक निवेश किया गया समय। एन. सी. डी. आर. सी. ने *8* अप्रैल *2011* को साउथफील्ड पेंट्स में अपने फैसले में इसी तरह के एक सवाल का जवाब दिया था।

और केमिकल्स प्रा. लिमिटेड वी. न्यू इंडिया एस्योरेंस कं. *Ltd.*[1]*6 16* जिसका अर्थ *2002* का संशोधन अधिनियम *62* है जिसके द्वारा अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाओं को प्रभावी रूप से बढ़ाया गया था।

15 मार्च *2003* से। प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड बनाम में पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए। डॉ. मनोज रामचंद्रन ", एन. सी. डी. आर. सी. ने माना कि आर्थिक अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने वाले संशोधन संभावित प्रकृति के थे। विधायिका को इस मिसाल से अवगत माना जाना चाहिए।

अंत में, यह आग्रह किया गया कि *2019* का अधिनियम जुलाई *2020* को लागू हो, जबकि वर्तमान मामले में शिकायत थी

18 जून *2020* को एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष स्थापित किया गया। आर्थिक अधिकारिता के अभाव में शिकायत को खारिज किया जाता है

एन. सी. डी. आर. सी. के *17* जुलाई *2020* के प्रशासनिक नोटिस का उल्लंघन। प्रशासनिक निर्देशों का पालन किया गया एन. सी. डी. आर. सी. की अन्य पीठों ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम *1986* के तहत स्थापित कई शिकायतों को स्वीकार किया है।

अतः संक्षेप में यह आग्रह किया गया है किः

2000 का मामला संख्या *286 (*एन. सी. डी. आर. सी.*) 1993* का याचिका संख्या *400* से *402 (*एन. सी. डी. आर. सी.*)*

((i)

2019 के अधिनियम की धारा *107* को अधिनियम की धारा *6* के साथ पढ़ा गया

सामान्य खंड अधिनियम लंबित कानूनी कार्यवाही को बचाता है; इसलिए नए कानून के प्रवर्तन से पहले दायर की गई शिकायत को *1986* के अधिनियम के तहत एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।

((ख)

संबंधित तिथि संस्था की तिथि है

शिकायत और उस तारीख को नहीं जब मामले की सुनवाई या निर्णय लिया जाता है:

(iii)

नया कानून अपील के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है
एन. सी. डी. आर. सी. ने *50* प्रतिशत जमा करके

डिक्रेटल राशि अनिवार्य;

एक स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, नया कानून

((iv)

संभावित रूप से काम करना चाहिए; और
लंबित मामलों के हस्तांतरण के प्रावधान के अभाव में,

(v)

2019 के अधिनियम के प्रवर्तन से पहले की गई शिकायतों को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

B. 2 प्रत्यर्थी की प्रस्तुतियाँ *13 .*

ए. श्री कृष्णन वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रत्यर्थी के च ने एन. सी. डी. आर. सी. और आई. के निम्नलिखित प्रस्तुतियों के तर्क का समर्थन किया:

अंतर्निहित वस्तुओं और कारणों का विवरण

((i)

2019 के अधिनियम के अधिनियमन से संकेत मिलता है कि -

(अ)

नया कानून मजबूत करने के लिए बनाया गया है।

उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध उपचार;

विधायिका में देरी के बारे में जागरूक था

(ख)

पूर्ववर्ती विधान के तहत मामलों का निपटान; और
नया कानून बनाते समय, एक सचेत निर्णय

((ग)

जिला आयोग, एस. सी. डी. आर. सी. और एन. सी. डी. आर. सी. के अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाओं को बढ़ाने के लिए लिया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामलों के बड़े अनुपात को शिकायतकर्ताओं के पास स्थित मंचों में हल किया जा सके।

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

2019 के अधिनियम का उद्देश्य, जैसा कि में परिकल्पित है

((ख)

2019 के अधिनियम की धारा *2 (9) (iv)* के तहत उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर और जोर दिया गया है, जिसके तहत उपभोक्ता अधिकारों को "सुनवाई का अधिकार और यह सुनिश्चित करने के लिए परिभाषित किया गया है कि उपभोक्ता हितों को उचित मंचों पर उचित विचार प्राप्त होगा";

(iii)

धारा *28,42* और *53* की स्थापना के लिए प्रदान करता है

जिला आयोग, एससीडीआरसी और एनसीडीआरसी। धारा *58 (1) (ए)* के तहत, एन. सी. डी. आर. सी. को उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार है जहां माल या सेवाओं के मूल्य का भुगतान किया जाता है।

दस करोड़ रुपये से अधिक। नुस्ली में इस न्यायालय के फैसले में 'मनोरंजन' अभिव्यक्ति का अर्थ व्यापक और व्यापक अर्थों में 'निर्णय लेने के लिए' किया गया है।

नेविल वाडिया बनाम। आइवरी प्रॉपर्टीज *1 8 18;*

((iv) कानून का मूल सिद्धांत यह है कि जब कोई क़ानून निरस्त किया जाता है, तो सब कुछ मिटा दिया जाता है। *2019* के अधिनियम की धारा *107 (2)* में संपन्न लेनदेन शामिल हैं जबकि धारा *107 (3)* सामान्य खंडों की धारा *6* के अनुप्रयोग को संरक्षित करती है।

एक्ट करें। धारा *6* को "जब तक कोई अलग इरादा प्रकट न हो" शब्दों के साथ प्रस्तुत किया गया है। धारा *6* का खंड *(सी)* मूल प्रकृति का है जबकि खंड *(ई)* लंबित कार्यवाहियों पर लागू होता है। इस न्यायालय के उदाहरणों से संकेत मिलता है कि धारा *6 (ई)* की व्याख्या मूल कार्यवाहियों तक विस्तार के रूप में की गई है, लेकिन प्रक्रिया के एक शुद्ध मामले को बाहर रखा गया है। साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया के मामलों की तरह मंच का परिवर्तन एक प्रक्रिया का शुद्ध
मामला। इसलिए धारा *6 (ई)* नहीं होगी

लागू होता है जहाँ एक नए कानून के परिणामस्वरूप परिवर्तन होता है

फोरम;

(v)

जहाँ कोई कानून कार्रवाई या अपील के अधिकार को छीन लेता है, वह है

एक मूल परिवर्तन के रूप में माना जाता है और लागू नहीं होता है

लंबित कार्रवाई। मंच में केवल एक बदलाव होना है

एक मूल परिवर्तन से अलग। *2019* का अधिनियम

एक ऐसा कानून है जो पहले के कानून को निरस्त करता है और अदालतों का नया पदानुक्रम बनाता है और इसके परिणामस्वरूप,

पूर्वव्यापी के रूप में माना जाता है;

ली नेविल *"; (2020) 6* एससीसी *557:* पैरा *35* और *36 [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(vi) अपील का अधिकार एक मूल अधिकार है जो कार्यवाही शुरू होने की तारीख को प्राप्त होता है। इस अधिकार को छीनने वाला एक संशोधन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू करता है और

इसलिए इसे संभावित माना जाता है। यह सिद्धांत वहां लागू नहीं होता है जहां केवल मंच का परिवर्तन होता है;

(vii) 2019 का अधिनियम मौजूदा अधिकारों को निरस्त नहीं करता है। इसके विपरीत, यह एक अतिरिक्त अधिकार का संरक्षण और प्रावधान करता है

अपील जहां, कानून के परिणामस्वरूप, एक शिकायत जो पहले एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष दायर की जा सकती है, दायर की जानी है।

एससीडीआरसी के समक्ष। जिला आयोग के समक्ष एस. सी. डी. आर. सी. के समक्ष शिकायत दर्ज करानी होगी। इसलिए अपील करने के अधिकार को मजबूत किया जाता है और इसमें कटौती नहीं की जाती है।

(viii) धारा *34* जिला आयोग को अधिकार देती है -

एस. सी. डी. आर. सी. से संबंधित धारा *47 (1) (ए)* और एन. सी. डी. आर. सी. से संबंधित धारा *58 (1) (ए)* में इसी तरह का प्रावधान किया गया है। यह

अभिव्यक्ति इस बात पर जोर देती है कि यह हर समय लागू होता है जब किसी मामले पर निर्णय के लिए या गुणों पर विचार करना;

(ix) 2019 के अधिनियम ने *1986* के अधिनियम के तहत मंचों के पुराने पदानुक्रम को समाप्त कर दिया और नए सिरे से न्यायिक मंच स्थापित किए। *1986* के अधिनियम द्वारा शासित मंचों में से एक के समक्ष लंबित मामला लंबित नहीं है क्योंकि *2019* के अधिनियम ने अपने निरसन द्वारा मौजूदा न्यायिक निकायों को समाप्त कर दिया है। धारा *28,42* और *53* ने *2019* के अधिनियम के तहत नए न्यायिक निकायों की स्थापना की। यह धारा *31,45* और *56* के प्रावधानों से स्पष्ट है, जिसके तहत पूर्ववर्ती मंचों के न्यायिक कर्मियों को *2019* के अधिनियम के तहत जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

(x)

2019 का अधिनियम के भीतर एक विपरीत इरादे का संकेत देता है

सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* का अर्थ; और

(xi) यह सिद्धांत कि किसी कानून का निरसन पूर्ववर्ती विधान के प्रभावों और परिणामों को समाप्त कर देता है, तीन अपवादों के अधीन है:

समाप्त लेन-देन द्वारा नियंत्रित किया जाना जारी है

(अ)

पुराना कानून; नीना अनेजा और ए. एन. आर. वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

जहाँ अपील या कार्रवाई का अधिकार निरस्त किया जाता है या

(ख)

ऐसी स्थिति में जहाँ दाहिनी ओर अवरोध लगाए जाते हैं,

ऐसे अधिकारों को संरक्षित किया जाना जारी है

निरसन; और

जहाँ कोई मूल दायित्व या अधिकार अधिरोपित किया जाता है या

((ग)

प्रदान किए जाने पर, इसे संभावित माना जाएगा। दूसरी ओर, धारा *6 (ई)* के तहत सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि यह केवल मंच के परिवर्तन पर लागू नहीं होता है।

B. आग्रह किए गए प्रस्तुतियों का योग और सार

श्री कृष्णन वेणुगोपाल द्वारा, विद्वान वरिष्ठ वकील यह है कि जहां एक कानून मंच में बदलाव का प्रावधान करता है, इसे प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाता है न कि सार के रूप में। *2019* का अधिनियम केवल सुधार करने वाला कानून नहीं है

1986 के अधिनियम में संशोधन द्वारा आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमाएँ। इसके विपरीत, *2019* का अधिनियम एक पूरी तरह से नया कानून है, जिसने *1986* के पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत न्यायाधिकरणों के पदानुक्रम को समाप्त कर दिया और एक नया न्यायिक पदानुक्रम बनाया। व्याख्या के मामले में, *2019* का अधिनियम स्पष्ट रूप से इसके विपरीत एक इरादे का संकेत देता है जिसके परिणामस्वरूप *1986* के अधिनियम के तहत मौजूद मंचों के समक्ष लंबित कार्यवाही जारी नहीं रहेगी। दूसरे शब्दों में, *2019* के अधिनियम के तहत परिभाषित आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमाएं सभी लंबित कार्यों पर लागू होंगी और उन मामलों में मौजूदा मामलों के हस्तांतरण की आवश्यकता होगी जहां शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नए स्थापित मंच की आर्थिक सीमाओं के भीतर है। अपनी दलीलों के समर्थन में, श्री वेणुगोपाल ने एक मिसाल पर भरोसा किया, जिस पर प्रतिद्वंद्वी विवादों का विश्लेषण करते समय चर्चा की जाएगी।

14. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अब विचार किया जाता है।

ग. मंच परिवर्तन पर कानून की स्थितिः का विश्लेषण

पूर्ववर्ती

सी. *1* वेणुगोपाल रेड्डीयार *(1943*-संघीय न्यायालय *3* न्यायाधीश*)*

15. कानून पर चर्चा के निर्णय के साथ शुरू होती है

वेणुगोपाल रेड्डी बनाम में संघीय न्यायालय। कृष्णस्वामी रेड्डी, उर्फ राजा चिदंबरम रेड्डी *1* ने एक लंबित कार्यवाही की वैधता पर विचार किया जब अदालत ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र खो दिया था। *1937* से पहले, जब बर्मा ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा *17* के तहत अचल संपत्ति को शामिल करने की अनुमति थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बर्मा में एक सूट की विषय वस्तु के एक भाग के रूप में। प्रधान प्रतिवादी ने कुछ संपत्तियों की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया। इन संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा रंगून, बर्मा में स्थित था। यह मुकदमा त्रिचिनोपोली न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। *1* अप्रैल *1937* को बर्मा के भारत का हिस्सा नहीं रहने के बाद, चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादियों ने बर्मा की संपत्ति से निपटने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई। ट्रायल जज ने इस आपत्ति को बरकरार रखा कि अब बर्मा में स्थित संपत्ति पर उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने इसे उलट दिया था। डिवीजन बेंच ने माना कि भारत सरकार *(*भारतीय कानूनों का अनुकूलन*)* आदेश *1937* के अनुच्छेद *10* में यह प्रावधान किया गया है कि

किसी भी प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें उच्च न्यायालय की दृष्टि में एक न्यायालय शामिल होगा, अलगाव लागू होने से पहले इसका प्रयोग तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि विधायिका द्वारा एक विपरीत प्रावधान पारित नहीं किया जाता है। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि विधिवत स्थापित मुकदमे को जारी रखने का अधिकार निहित अधिकार की प्रकृति का है जिसे स्पष्ट विधायी इरादे के अलावा नहीं लिया जा सकता है। न्यायमूर्ति श्रीनिवास वरदाचारियार ने पृष्ठ *48* पर कानूनी सिद्धांत का सारांश देते हुए कहाः

"*.....*वास्तविक स्थिति, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, यह नहीं है कि क्या लंबित कार्यवाहियों को जारी रखने की अनुमति देने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान है, बल्कि यह है कि क्या लंबित कार्यवाहियों को उनकी सामान्य समाप्ति तक जारी रखने के खिलाफ कोई स्पष्ट संकेत है। "

निर्णय के पहले भाग में, न्यायालय ने उल्लेख किया कि व्याख्या अधिनियम, *1889* की धारा *38* की उप-धारा *(2)* के पैराग्राफ *(ई)*

यह प्रावधान है कि निरस्त अधिनियम के तहत अर्जित या अर्जित किसी भी अधिकार के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही "इस तरह जारी रह सकती है जैसे कि निरसन अधिनियम पारित नहीं किया गया था"। यह देखते हुए कि इस अनुच्छेद की व्याख्या कठिनाई से मुक्त नहीं है, न्यायमूर्ति वरदाचारियार ने कहा कि

कभी-कभी यह माना जाता है कि जो बचाया जाता है वह निरस्त अधिनियम के तहत अर्जित एक मूल अधिकार है और यह कि अनुच्छेद को उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है जहां मूल अधिकार को निरसन अधिनियम द्वारा नहीं लिया जाता है, बल्कि इसके लिए केवल मंच या इसे लागू करने की विधि में बदलाव किया जाता है। दूसरी ओर, न्यायालय ने कहा कि यह बनाए रखा गया है कि उस समय लंबित मुकदमे में राहत प्राप्त करने का अधिकार जब निरस्तीकरण अधिनियम लागू होता है, अपने आप में एक मूल अधिकार की प्रकृति में है। ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की पुष्टि करने में उच्च न्यायालय के साथ वजन करने वाले तीन आधारों में से, संघीय न्यायालय ने औपनिवेशिक नीना अनेजा और ए. एन. आर. में प्रिवी काउंसिल के फैसले में निहित सिद्धांत पर अपने फैसले को आराम दिया।

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

शुगर रिफाइनिंग कंपनी लिमिटेड *v.* इरविंग *20* जिसका मानना था कि अपील एक मूल अधिकार है जिसका संशोधन आम तौर पर संभावित होगाः

"जहां तक मामले में लागू सामान्य सिद्धांतों का संबंध है
कोई विवाद नहीं था। एक ओर, यह विवादित नहीं था कि यदि

विचाराधीन मामला केवल प्रक्रिया का मामला है, याचिका

अच्छी तरह से स्थापित है। दूसरी ओर, यदि यह एक मामले से अधिक है

प्रक्रिया, यदि यह पारित होने पर अस्तित्व में किसी अधिकार को छूती है
अधिनियम, यह स्वीकार किया गया था कि, की एक लंबी पंक्ति के अनुसार

लॉर्ड कोक के समय से लेकर

उपस्थित

जिस दिन अपीलार्थी सफल होने के हकदार होंगे। न्यायपालिका

अधिनियम स्पष्ट अधिनियमन या आवश्यक द्वारा पूर्वव्यापी नहीं है।

इरादा। और इसलिए केवल एक ही सवाल हैः अपील की गई थी
परिषद में महामहिम एक अधिकार जो उस तारीख को अपीलार्थियों में निहित था

अधिनियम के पारित होने का, या यह केवल प्रक्रिया का विषय था?
उनके प्रभुओं को ऐसा लगता है कि सवाल स्वीकार नहीं करता है

सन्देह हो रहा है। अपील की लंबित कार्रवाई में एक दावेदार को वंचित करना

एक उच्चतर न्यायाधिकरण के लिए जो अधिकार के रूप में उसका था

प्रक्रिया को विनियमित करने से अलग बात। सिद्धांत रूप में,

बहुत

उनके अधिपत्य को समाप्त करने के बीच कोई अंतर नहीं दिखता है

पूरी तरह से अपील करें और अपील को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करें

न्यायाधिकरण। किसी भी मामले में मौजूदा के साथ एक हस्तक्षेप है

ज्ञात सामान्य सिद्धांत के विपरीत अधिकार कि

कानूनों को पूर्वव्यापी रूप से कार्य करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि

उस प्रभाव के लिए स्पष्ट इरादा प्रकट होता है। *(* जोर देना

आपूर्ति की गई*)*

औपनिवेशिक चीनी में प्रिवी काउंसिल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत

परिष्करण को दोहराया गया।

सी. *2* किरण सिंह बनाम चमन पासवान *(1954*-सुप्रीम कोर्ट*)*

4 न्यायाधीश*)*

16. किरण सिंह बनाम। चमन पासवान *2 1,* अपीलार्थी का मुकदमा

प्रतिवादियों को बेदखल करने के आधार पर भूमि की वसूली के लिए था

अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया जिसे अपील में पुष्टि की गई थी। जब पंजाब उच्च न्यायालय में दूसरी अपील में मामला उठाया गया, तो शिकायत के मूल्यांकन पर आपत्ति उठाई गई।

20 (1905) एसी *369*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्टाम्प रिपोर्टर और सही मूल्यांकन निर्धारित किया गया था जिसके आधार पर

वादियों ने अतिरिक्त अदालती शुल्क का भुगतान किया। संशोधित मूल्यांकन पर, वादी ने याचिका दायर की कि अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री की अपील जिला न्यायालय में नहीं बल्कि उच्च न्यायालय में होगी और तदनुसार दूसरी अपील की सुनवाई जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ पहली अपील के रूप में की जानी चाहिए। पूर्ण पीठ के फैसले के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि जिला न्यायालय में अपील सक्षम है और इसके फैसले को केवल तभी उलट दिया जाना चाहिए जब

योग्यता के आधार पर पूर्वाग्रह दिखाया गया था। अपील में, इस न्यायालय ने नोट किया कि एक वाद मूल्यांकन पर, अपील जिला न्यायालय में होगी, जबकि

उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वह अपील पर विचार करने के लिए सक्षम है। इस आधार पर, यह तर्क दिया गया कि जिला न्यायालय का निर्णय अमान्य था। इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि डिक्री एक शून्य थी, यह मानते हुए कि आर्थिक क्षेत्राधिकार पर आपत्ति को अपीलीय न्यायालय द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि न्याय की परिणामी विफलता न हो। इस तर्क से निपटते हुए कि कम मूल्यांकन के कारण अपीलकर्ताओं के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ था, उनकी अपील की सुनवाई निम्न अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा की गई थी, जबकि वे उच्च न्यायालय के समक्ष पहली अपील के हकदार थे, इस न्यायालय ने कहाः

अपीलार्थी, कि अवमूल्यन के कारण, उनकी अपील की सुनवाई निम्नतर अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा की गई थी, जबकि वे थे
तथ्यों पर उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई का हकदार है। यह तर्क दिया गया था कि अपील का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार था, और इसलिए तथ्यों पर उच्च न्यायालय में अपील करने के अपीलार्थियों के अधिकार से वंचित होने को पूर्वाग्रह के रूप में माना जाना चाहिए। यह तर्क एक गलत धारणा पर आगे बढ़ता है। अधिकार।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपील एक मौलिक अधिकार है, और इसका

अभाव एक गंभीर पूर्वाग्रह है; लेकिन अपीलकर्ताओं के पास है

के खिलाफ अपील के अधिकार से वंचित नहीं किया गया

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय। कानून उस फैसले के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील प्रदान करता है, और वादी ने उस अधिकार का प्रयोग किया है। वास्तव में,

अवमूल्यन ने अपीलार्थियों के अपील करने के अधिकार को बढ़ा दिया है,

क्योंकि उनके पास केवल एक का अधिकार होता

अपील और वह उच्च न्यायालय में यदि मुकदमा किया गया था

सही ढंग से मूल्यवान, अवमूल्यन के कारण वे नीना अनेजा और एएनआर हैं।

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

उन्होंने दो अपीलों का अधिकार प्राप्त किया, एक जिला न्यायालय में और दूसरी उच्च न्यायालय में। अपीलार्थियों की शिकायत वास्तव में यह नहीं है कि उन्हें अधीनस्थ के फैसले के खिलाफ अपील करने के अधिकार से वंचित किया गया था।

न्यायालय, जो वे नहीं रहे हैं, लेकिन उस फैसले के खिलाफ तथ्यों पर अपील की सुनवाई जिला न्यायालय द्वारा की गई थी, न कि उच्च न्यायालय द्वारा। अतः यह आपत्ति इस बात के बराबर है कि अपील के मंच में परिवर्तन अपने आप में वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा *11* के उद्देश्य के लिए पूर्वाग्रह का विषय है।

15. अब तक "पूर्वाग्रह" की परिभाषा नकारात्मक रही है।

इस संदर्भ में कि यह केवल मंच का परिवर्तन या गुण-दोष पर निर्णय में केवल त्रुटि नहीं हो सकती है। फिर धारा *11* के उद्देश्य के लिए सकारात्मक पूर्वाग्रह क्या है*?* यह एक ऐसा सवाल है जिसने धारा के अधिनियमन के बाद से भारत में अदालतों को उत्तेजित किया है। यह सुझाव दिया गया है कि यदि वाद या अपील की उचित सुनवाई नहीं हुई थी और जिसके परिणामस्वरूप अन्याय हुआ था, तो यह वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा *11* के तहत पूर्वाग्रह होगा। पूर्वाग्रह का एक अन्य उदाहरण तब होता है जब एक मुकदमा जिसे मूल मुकदमे के रूप में दायर किया जाना चाहिए था, छोटे कारण पक्ष पर कम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप दायर किया जाता है। लघु कारण न्यायालय में मुकदमों के मुकदमे की प्रक्रिया संक्षिप्त है; खोज या निरीक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं; साक्ष्य को विस्तार से दर्ज नहीं किया जाता है, और इसके निर्णय के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी इस प्रकार हार जाता है एक विस्तृत प्रक्रिया का लाभ और अपील का अधिकार जो उसके पास होता यदि मुकदमा मूल पक्ष में दायर किया गया होता। ऐसे मामले में यह कहा जा सकता है कि लघु कारणों के न्यायालय द्वारा मुकदमे के निपटारे ने मामले के गुण-दोष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। हालाँकि, वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा *11* के तहत आने वाले पूर्वाग्रह के सभी संभावित मामलों को पूरी तरह से सूचीबद्ध करने का प्रयास करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है। उस धारा के तहत अपीलीय न्यायालयों को जो अधिकारिता प्रदान की जाती है, वह एक न्यायसंगत है, जिसका प्रयोग तब किया जाना है जब एक

अधिमूल्यांकन या कम मूल्यांकन और परिणामी के परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र की गलत धारणा

न्याय की विफलता। इस तरह के अधिकार क्षेत्र को बारीकी से परिभाषित करना या इसे निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर सीमित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है।

केवल यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि यह एक पुनरीक्षण की प्रकृति में है

अधिकारिता का उपयोग सावधानी के साथ और न्याय के उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए,

जब भी तथ्य और परिस्थितियाँ इसकी माँग करती हैं। क्या वहाँ है

पूर्वाग्रह था या नहीं, तदनुसार, निर्धारित किया जाने वाला मामला है।

प्रत्येक मामले के तथ्यों पर "।

(जोर दिया गया*)*

17. इसलिए, इस अदालत ने एक स्पष्ट अंतर किया

अपील के मूल अधिकार को प्रभावित करने वाले संशोधन और संशोधन जो केवल उस मंच को बदल देते हैं जहां ऐसी अपील का आग्रह किया जा सकता है। उत्तरार्द्ध को पूर्वाग्रह पैदा करने के रूप में नहीं माना जा सकता था क्योंकि यह प्रकृति में मूल नहीं था।

गरिकापति *(1957-*उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ*)*

18. गरिकापति *(*उपरोक्त*)* में मुख्य न्यायाधीश एस. आर. दास ने अपना पक्ष रखा।

व्याख्यात्मक न्यायशास्त्र का यह क्षेत्र। गरिकापति में निर्णय *(* उपर्युक्त*)* लंबित कार्यवाहियों की तुलना में अपील के मूल अधिकार के विषय पर लोकस क्लासिकस है। निर्णय के पैराग्राफ *23* में जिन पांच सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था, वे नीचे दिए गए हैं:

" 23 ..... :

अपील वास्तव में कार्यवाही की एक श्रृंखला में कदम हैं
एक आंतरिक एकता से जुड़ा हुआ है और के रूप में माना जाना है

एक कानूनी कार्यवाही।

((iii) वाद की संस्था अपने साथ यह निहितार्थ रखती है कि सभी
अपील के अधिकार तब लागू होते हैं जो पक्षकारों के लिए सुरक्षित होते हैं

सूट के बाकी करियर तक।

((iv) अपील का अधिकार एक निहित अधिकार है और इसमें प्रवेश करने का ऐसा अधिकार है।

उच्चतर न्यायालय वादी को अर्जित करता है और उस पर और उस पर मौजूद है
जिस तारीख से लिस शुरू होता है और हालाँकि यह वास्तव में हो सकता है

प्रयोग किया जाता है जब प्रतिकूल निर्णय घोषित किया जाता है तो ऐसा अधिकार है

संस्थान की तिथि पर प्रचलित कानून द्वारा शासित होना

वाद या कार्यवाही का, न कि उस विधि द्वारा जो उस पर लागू होती है
उसके निर्णय की तारीख या अपील दायर करने की तारीख पर।

नीना अनेजा और ए. एन. आर. वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

(v) अपील के इस निहित अधिकार को केवल एक द्वारा छीन लिया जा सकता है

बाद का अधिनियम, यदि ऐसा स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से प्रदान करता है
इरादा और अन्यथा नहीं। "

(जोर दिया गया*)*

संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि अपील का अधिकार निहित है

अधिकार जिसे हटाया नहीं जा सकता है, इस प्रभाव के लिए एक वैधानिक अधिनियम के अभाव में। यह भी स्पष्ट किया गया कि मुकदमा दायर होने के बाद अपील करने का अधिकार निहित होगा।

सी. *4* मोहम्मद। इदरीस *(1965-*सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ*)*

19. मोहम्मद में। इदरीस वी। सत नारायण *22,* इसकी एक संविधान पीठ

अदालत ने इस बात पर विचार किया कि क्या बंधक के मोचन के लिए उत्तर प्रदेश कृषि राहत अधिनियम के तहत *27* मई *1952* को दायर एक लंबित आवेदन को उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन के पारित होने पर अक्षम बना दिया गया था।

और भूमि सुधार *(*संशोधन*)* अधिनियम *1953* जो *1* जुलाई *1952* को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया था। जैसा कि न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला *(*तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में*)* ने प्रश्न तैयार किया था, "क्या पुराने कानून के तहत मुकदमे को जारी रखने का वादी का अधिकार किसी भी तरह से बाधित था"। की धारा *6* के प्रावधानों से निपटना उत्तर प्रदेश सामान्य खंड अधिनियम *1897 (*जो सामान्य खंड अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के समान है*),* न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" *7* ..... सवाल यह है कि क्या दोनों में कोई अलग इरादा दिखाई देता है।

उन्मूलन अधिनियम या *1953* का संशोधन अधिनियम *16,* अन्यथा

पुरानी कार्यवाही मुन्सिफ से पहले जारी रह सकती थी। वहाँ है।

उन्मूलन अधिनियम में कुछ भी नहीं है जो मुकदमे के अधिकार को छीन लेता है

एक लंबित कार्रवाई का सम्मान। यदि कोई संदेह है तो उसे हटा दिया जाता है।

जब हम विचार करते हैं कि यू. पी. कृषि राहत अधिनियम था

केवल *1* जुलाई, *1952* से पूर्वव्यापी रूप से निरस्त किया गया और यह नहीं है,

उस तारीख से पहले लंबित मुकदमे को प्रभावित करने के लिए। अधिकारिता
सहायक कलेक्टर का गठन स्वयं *1* जुलाई से किया गया था।

1952 और उन्मूलन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि

लंबित मामलों को सहायक को हस्तांतरित किया जाना था

निपटान के लिए कलेक्टर। इस तरह के प्रावधान आमतौर पर पाए जाते हैं

एक कानून में जो एक अदालत के अधिकार क्षेत्र को छीन लेता है

और इसे दूसरे को सौंप देते हैं। इन दो परिस्थितियों से यह

यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि यदि कोई अभिव्यक्ति है
इरादा, यह सामान्य खंडों की धारा *6* को बनाए रखना है

22 " मोहम्मद. इदरीस "; ए. आई. आर. *1966* एस. सी. *1499 [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लंबित मुकदमेबाजी पर लागू होने वाला अधिनियम। यदि कोई संदेह बचा रहता है तो उसे और दूर कर दिया जाता है यदि हम बाद में संशोधन करने वाले अधिनियम पर विचार करते हैं, अर्थात्:

1956 के अधिनियम *18* का संशोधन। उस अधिनियम अनुसूची *II* द्वारा, जिसने आसमियों को बाहर निकालने के मुकदमों में सहायक कलेक्टर का अधिकार क्षेत्र बनाया था, एक अन्य अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। हालाँकि, आसमियों को बाहर निकालने के लिए सूट से संबंधित प्रविष्टि वही रही। लेकिन *1956* के संशोधन अधिनियम की धारा *23* ने एक विशेष बचत का निर्माण किया

जो इस प्रकार है:

"23. बचत हो रही है। — *(i)* इस अधिनियम द्वारा किया गया कोई भी संशोधन इसकी वैधता, अयोग्यता, प्रभाव या परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा।
कुछ भी जो पहले से किया गया है या पीड़ित है, या कोई अधिकार, स्वामित्व दायित्व या दायित्व जो पहले से अर्जित, उपार्जित या उपगत है या कोई अन्य

इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले ही प्रयोग की गई अधिकारिता और किसी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष शुरू की गई या शुरू की गई किसी भी कार्यवाही की सुनवाई, इसमें किए गए किसी संशोधन के बावजूद, जारी रहेगी और निर्णय लिया जाएगा।

((ii) किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष पूर्व में स्थापित या शुरू की गई किसी भी वाद या कार्यवाही से अपील, समीक्षा या संशोधन।
इस अधिनियम के प्रारंभ तक, इसमें किए गए किसी भी संशोधन के बावजूद, उस न्यायालय या प्राधिकरण के पास होगा जिसे उसने उक्त प्रारंभ से पहले स्थापित या शुरू किया होता।

इस खंड को जोड़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि

सहायक कलेक्टर को अधिकारिता प्रदान करने का उद्देश्य पहले से लंबित मुकदमेबाजी को बाधित करना नहीं था।

जब उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ तो उपयुक्त प्राधिकारी। धारा *23* वर्तमान मामले पर लागू होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह *1956* तक मुन्सिफ के समक्ष लंबित रही होती, तो यह स्पष्ट है कि मुन्सिफ की अधिकारिता को समाप्त नहीं किया जाता। हालाँकि यह मुन्सिफ़ के समक्ष लंबित नहीं था, लेकिन जब *1956* का संशोधन अधिनियम पारित किया गया तो यह अपीलीय अदालत के समक्ष लंबित था। अतः यह इस प्रकार है कि ऐसे वाद पर उन्मूलन अधिनियम की धारा *200* के साथ पठित अनुसूची *II* के प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते हैं।

क्योंकि विधायिका ने *1956* में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पहले निहित था, अर्थात्, लंबित कार्य पुराने कानून द्वारा शासित होंगे जैसे कि नया कानून पारित नहीं किया गया था। इसलिए, हमारे निर्णय में, मुन्सिफ के समक्ष कार्यवाही नीना अनेजा और ए. एन. आर. के अधिकार क्षेत्र में थी।

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

क्योंकि वे उन्मूलन के पारित होने से प्रभावित नहीं थे

अंत में समाप्त हो गया। इसलिए, अपील विफल होनी चाहिए। यह होगा।
लागत के साथ खारिज कर दिया गया। "

(जोर दिया गया*)*

20. संविधान पीठ ने प्रावधान के अभाव पर भरोसा किया

पुराने मंच पर कार्यवाही को बचाने के लिए निरसन कानून के तहत लंबित कार्यों के हस्तांतरण के लिए। संविधान पीठ ने कहा कि

लंबित मामलों के हस्तांतरण के प्रावधान आमतौर पर ऐसे विधानों में पाए जाते हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि बाद में निरस्त करने वाले कानून ने पक्षों की स्थिति को भौतिक रूप से बदल दिया। बन्धक अपीलार्थी मुकदमा भूमि से अपने निष्कासन का विरोध कर रहे थे प्रत्यर्थी बन्धक के मोचन के लिए एक मुकदमे में इस आधार पर गिरवी रखता है कि वे निरस्तीकरण कानून के तहत अधिकारी या सरदार बन गए हैं और उनका निष्कासन केवल नए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही हो सकता है। इसलिए, निरसन का प्रभाव केवल मंच में परिवर्तन नहीं था। इसके अलावा, निरस्त करने वाले कानून में एक बाद के संशोधन ने यह स्पष्ट कर दिया कि लंबित कार्यवाही पहले के मंच पर समाप्त की जाएगी जहां उन्हें स्थापित किया गया था और निरस्त कानून के तहत।

सी. *5* मनुजेंद्र दत्त *(1966* सुप्रीम कोर्ट-*2* न्यायाधीश*)*

21. मनुजेंद्र दत्त बनाम। पूर्णेदु प्रसाद रॉय चौधरी *23,*

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के. सुब्बा राव और न्यायमूर्ति जे. एम. शेलट शामिल थे, ने अन्य बातों के साथ-साथ *1953* के संशोधन अधिनियम *6* द्वारा धारा *29* को हटाने के बाद कलकत्ता टिका किरायेदारी अधिनियम *1949* के तहत नियंत्रक के अधिकार क्षेत्र पर विचार किया।
उस तारीख को उसके सामने लंबित। उच्च न्यायालय का विचार था कि धारा *29* को हटाने के बावजूद, आने की तारीख को उसके समक्ष लंबित मामलों के संबंध में नियंत्रक की अधिकारिता

संशोधन अधिनियम का बल बचा लिया गया था। इस न्यायालय के समक्ष जो निवेदन किया गया था, वह यह था कि चूंकि केवल धारा *29* के कारण ही मुकदमा नियंत्रक को हस्तांतरित किया गया था, इसलिए उस धारा को कानून से हटाने का प्रभाव नियंत्रक को इसके प्रावधानों से वंचित करने का था।

23 " मनुजेंद्र दत्त "; *(1967) 1* एससीआर *475 [2021] 15* एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिकारिता और इसलिए निर्णय और आदेश, हालांकि अधीनस्थ न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, इस विवाद को निरस्त करते हुए, न्यायमूर्ति जे. एम. शेलट ने कहाः

" *4* ..... हालांकि धारा *29* को संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था।

1953 का विलोपन लंबित कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।
और नियंत्रक को उसके अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं करेगा

उस तारीख को उसके सामने लंबित ऐसी कार्यवाही का प्रयास करें जब
संशोधन अधिनियम लागू हुआ। हालांकि

संशोधन अधिनियम में कोई बचत खंड नहीं था, जिसके तहत
बंगाल सामान्य खंड अधिनियम, *1899* की धारा *8*

धारा के तहत कानूनी रूप से किए गए मुकदमे का हस्तांतरण

29 अधिनियम के हटाने का प्रभाव नहीं होगा

मुकदमे में दावे पर लागू कानून में परिवर्तन करना।
1953 के संशोधन अधिनियम की धारा *8* में कुछ भी नहीं है।

कानून में उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि इसके बावजूद
धारा *29* को हटाना नियंत्रक के पास अभी भी अधिकार क्षेत्र था -

उसे हस्तांतरित किए गए उक्त मुकदमे के साथ आगे बढ़ें। "

(जोर दिया गया*)*

22. उपरोक्त उद्धरण इंगित करता है कि संशोधन अधिनियम ने नहीं किया

इसमें बंगाल सामान्य खंड अधिनियम *1899* की धारा *8* के तहत एक बचत खंड शामिल है। बचत खंड की अनुपस्थिति के बावजूद, न्यायालय ने कहा कि धारा *29* को हटाने से मुकदमे में दावे पर लागू कानून में बदलाव का प्रभाव नहीं पड़ा और संशोधन अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं था जो विपरीत इरादे का संकेत दे। इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक हो सकता है कि दूसरा मुद्दा शामिल था लीज के विलेख के तहत दिए गए नोटिस के लिए अधिनियम द्वारा परिभाषित किराएदार। इस पहलू पर, मनुजेंद्र दत्त *(*उपरोक्त*)* के फैसले को वी धनपाल मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में खारिज कर दिया गया है।

चेट्टियार वी. येसोदाई अम्मल *2 4.* यह उल्लेख करना उचित है कि मनुजेंद्र दत्त *(*उपरोक्त*)* में निर्णय, निरसन अधिनियम के उन प्रावधानों से संबंधित था जो वादियों के मूल अधिकार को प्रभावित करते थे जो निरसन और मंच में परिणामी परिवर्तन के कारण प्रभावित हुए थे। इस न्यायालय की स्थिति, सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* की व्याख्या करते हुए,

24 (1979) 4 एस. सी. सी. *214* नीना अनेजा और ए. एन. आर.

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

1897 यह स्पष्ट रूप से सभी मूल अधिकारों को बचाने के पक्ष में था, जिसमें निहित अधिकार भी शामिल थे, जो निरसन से पहले अर्जित या अर्जित किए गए थे। असंशोधित अधिनियम के तहत, मुकदमा धारा *29* के तहत नियंत्रक को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था। इस संदर्भ में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बंगाल सामान्य खंड अधिनियम की धारा *8* के कारण, हटाने से मुकदमे के हस्तांतरण या विधिवत किए गए किसी भी कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा *29 (*पैराग्राफ *5)* के तहत। इसलिए इस न्यायालय का निर्णय सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6 (*ई*)* की व्याख्या करने में प्रासंगिक नहीं हो सकता है, बल्कि यह सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6 (*बी*)* की व्याख्या करने के लिए उपयोगी है जो निरस्त अधिनियम के तहत "विधिवत किए गए या पीड़ित किसी भी चीज़" की रक्षा करता है।

सी. *6* न्यू इंडिया एस्योरेंस *(1975-*उच्चतम न्यायालय *3* न्यायाधीश*)*

23. इस न्यायालय का पहला निर्णय जिसने केवल एक परिवर्तन की व्याख्या की

इन फोरम, जिसने वादी के किसी अन्य मूल या निहित अधिकार को प्रभावित नहीं किया, नए भारत में इस न्यायालय का तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय था।

आश्वासन कंपनी लिमिटेड *v.* श्रीमती शांति मिश्रा "। इस मामले में एक घातक दुर्घटना के मामले में मोटर वाहन न्यायाधिकरण बनाम सिटी सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र शामिल था। दुर्घटना *11* सितंबर *1966* को हुई थी जिसने घातक दुर्घटना अधिनियम *1855* के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए कार्रवाई का कारण बना दिया था। सीमा अधिनियम *1963* के अनुच्छेद *82* के तहत दुर्घटना की घटना से दो साल की सीमा निर्धारित की गई थी। लेकिन इस बीच, राज्य सरकार द्वारा *18* मार्च *1967* को मोटर वाहन अधिनियम *1939* की धारा *110* के तहत एक दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया था, जिसके बाद दावेदार द्वारा *8* जुलाई *1967* को धारा *110* ए के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने बीमाकर्ता की अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति को खारिज कर दिया। अपील में, न्यायमूर्ति एन. एल. उन्तवालिया ने तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः

" 5 ... . यह एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि कानून का इस तरह का परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से संचालित होता है और व्यक्ति को जाना पड़ता है
नया मंच भले ही उसका कार्रवाई का कारण या कार्रवाई का अधिकार मंच के परिवर्तन से पहले अर्जित हो। उसके पास कार्रवाई का निहित अधिकार होगा लेकिन मंच का निहित अधिकार नहीं होगा। यदि स्पष्ट शब्दों द्वारा नया मंच केवल मंच के निर्माण के बाद उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के कारणों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, तो कानून के पूर्वव्यापी संचालन को हटा दिया जाता है। अन्यथा सामान्य नियम यह है कि इसे पूर्वव्यापी बनाया जाए। अभिव्यक्तियाँ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"उप-धारा *(1)* में होने वाली दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली और

पूर्वव्यापी रूप से इस तथ्य के बावजूद कि कब
दुर्घटना हो गई। उस हद तक देने में कोई कठिनाई नहीं थी।

इसका जवाब सरल तरीके से दें '।

(जोर दिया गया*)*

धारा *110* ए *(3)* के तहत सीमा के प्रतिबंध से निपटने के लिए, यह न्यायालय

अभिनिर्धारित किया कि यह कहा जा सकता है कि सख्ती से बोलते हुए बार काम नहीं करेगा न्यायाधिकरण के गठन से पहले हुई दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के लिए आवेदन के संबंध में। तथापि, न्यायाधिकरण के समक्ष दावों की स्थापना का निर्देश देते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"*10.* धारा *110*-ए *(3)* में प्रदान की गई सीमा की सीमा का प्रस्ताव करते हुए,

उपरोक्त अधिकारियों के आधार पर कोई कह सकता है कि सख्ती से

बोलते हुए, बार एक आवेदन के संबंध में काम नहीं करता है

दुर्घटना से उत्पन्न क्षतिपूर्ति जो पहले हुई थी

दावा न्यायाधिकरण का गठन। लेकिन ऐसे मामले में

उक्त मामलों के तथ्य के विपरीत, मंच में परिवर्तन हुआ है,

उचित दृष्टिकोण यह होगा कि

उप-धारा में उल्लिखित सीमा का समय होगा
(3). यदि उस समय के भीतर आवेदन नहीं किया जा सका

न्यायाधिकरण के गठन की तारीख से, एक दिए गए में

उस तथ्यों पर उचित समय माना जा सकता है
आवेदन करने या देरी के लिए मामला

उप में प्रदत्त सीमा की अवधि की समाप्ति के बाद

अनुभाग *(3)*
न्यायाधिकरण के गठन की तारीख से हो सकता है

उस उप-धारा के परंतुक के तहत क्षमा की गई। किसी भी दृष्टि से

मामले के बारे में, हमारी राय में, नागरिक की अधिकारिता

दावा न्यायाधिकरण का गठन होते ही अदालत को बर्खास्त कर दिया जाता है

और न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल करना है

केवल दावेदार के लिए उपलब्ध उपाय। इन तथ्यों पर

मामला, हम मानते हैं कि उत्तरदाताओं के लिए उपलब्ध उपाय था

इस बिंदु पर, करीब आने में लगभग चार महीने का समय लगा
न्यायाधिकरण के गठन के बाद उसे नीना अनेजा और ए. एन. आर. माना जा सकता है।

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

उचित समय या *2* महीने से कम की देरी अच्छी तरह से हो सकती है

धारा *110*-ए की उप-धारा *(3)* के परंतुक के तहत माफ किया गया। "

(जोर दिया गया*)*

उपरोक्त निर्णय ने निर्णायक रूप से माना कि मंच का परिवर्तन

आम तौर पर पूर्वव्यापी रूप से काम करता है, भले ही कार्रवाई का कारण या अधिकार पहले अर्जित हुआ हो। इसने निर्देश दिया कि एक बार मंच में बदलाव प्रभावी हो जाने के बाद, वादी को नए मंच पर निर्देशित करना होगा।

सी. *7* मारिया क्रिस्टिना *(1978*-सर्वोच्च न्यायालय-*2* न्यायाधीश*)*

24. इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ का एक बाद का निर्णय

मारिया क्रिस्टीना डी सूजा बनाम। अम्रिया जुराना परेरा पिंटो *26,* उच्चारण किया गया

अपील के अधिकार के संबंध में मंच के परिवर्तन से संबंधित कानून। उस मामले में, *1960* में पुर्तगाली सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक मुकदमा दायर किया गया था और *1968* में अपीलार्थियों के खिलाफ फैसला सुनाया गया था। अपीलकर्ताओं ने न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में अपील दायर की। *1961* में गोवा की स्वतंत्रता के बाद, सिविल प्रक्रिया संहिता *1908* को *1965* के अधिनियम *30* द्वारा *15* जून *1966* से गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों में विस्तारित किया गया था और संबंधित प्रावधान और संबंधित पुर्तगाली संहिता को निरस्त कर दिया गया था। गोवा की विधानसभा ने गोवा, दमन और दीव दीवानी न्यायालय अधिनियम *1965* अधिनियमित किया जिसके तहत मडगांव में न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे को वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया गया और निर्णय दिया गया। चूंकि मुकदमा *10* लाख रुपये से अधिक मूल्य का था, इसलिए अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जाती थी, जिसका अर्थ धारा *2 (*च*)* के तहत न्यायिक आयुक्त का न्यायालय होता है। न्यायमूर्ति वी. डी. तुलजापुरकर ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः

" *5.* इस सवाल पर कि अपील कहाँ दायर की जा सकती है, हम

स्पष्ट रूप से यह विचार है कि मंच द्वारा शासित था

गोवा, दमन और दीव के प्रावधान *(*राज्य संहिता का विस्तार*)*

सिविल प्रक्रिया, *1908* और मध्यस्थता अधिनियम, *1940)* अधिनियम, *1965 (*केंद्रीय *1965* का अधिनियम *30)* गोवा, दमन और दमन के प्रावधानों के साथ पढ़ा गया।

दीव दीवानी अदालत अधिनियम, *1965 (1965* का गोवा अधिनियम *16)*

15 जून, *1966* को एक साथ लागू हुआ और अपील
न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में दायर किया जाना आवश्यक था।

15 जून, *1966* से प्रभावी *1965* के केंद्रीय अधिनियम *30* के तहत

भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का विस्तार किया गया था

केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव और

26 " मारिया क्रिस्टीना *"; (1979) 1* एससीसी *92 [2021] 15* एस. सी. आर.

प्रक्रिया संहिता को गोवा अधिनियम की धारा *22* के साथ पढ़ा गया क्योंकि मुकदमे में शामिल संपत्ति का मूल्य *10,000* रुपये से अधिक था अपील स्पष्ट रूप से न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में थी। यह तर्क कि चूंकि अपील का अधिकार पुर्तगाली संहिता द्वारा प्रदान किया गया था, इसलिए जिस मंच पर इसे दर्ज किया जा सकता था, वह भी पुर्तगाली संहिता द्वारा शासित था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपील का अधिकार एक मूल अधिकार है और यह पहली बार के न्यायालय में याचिका शुरू होने के तुरंत बाद एक वादी में निहित हो जाता है, और ऐसा अधिकार या उसके संबंध में कोई उपाय ऐसे अधिकार प्रदान करने वाले अधिनियम के किसी भी निरसन से प्रभावित नहीं होगा जब तक कि निरसन अधिनियम या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा उसके संबंध में ऐसे अधिकार या उपाय को छीन नहीं लेता है। यह स्थिति *1965* के केंद्रीय अधिनियम *30* की धारा *4* के परंतुक के खंड *(*बी*)* और *(*सी*)* द्वारा स्पष्ट की गई है जो सामान्य खंड अधिनियम, *1897* की धारा *6* के खंड *(*सी*)* और *(*ई*)* के काफी हद तक अनुरूप है। इस स्थिति का निपटारा प्रिवी काउंसिल और इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा भी किया गया है *(*कोलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम। इरविंग *[1905* ए. सी. *369]* और गारिकापट्टी वीराया बनाम। एन. सुब्बैया

चौधरी *[1957* एस. सी. आर. *488]* लेकिन जिस मंच पर ऐसी अपील दायर की जा सकती है, वह निश्चित रूप से एक प्रक्रियात्मक मामला है और,

इसलिए, अपील, जिसका अधिकार एक निरस्त अधिनियम के तहत उत्पन्न हुआ है, को एक मंच में दर्ज करना होगा जो प्रदान किया गया है।

"क्या मुझे कुछ संपत्ति की वसूली करने का अधिकार है, यह मूल कानून का सवाल है, क्योंकि ऐसे अधिकारों का निर्धारण और संरक्षण न्याय के प्रशासन के उद्देश्यों में से हैं; लेकिन मुझे किन न्यायालयों में और किस समय के भीतर स्थापित करना चाहिए। कार्यवाही प्रक्रियात्मक कानून के प्रश्न हैं, क्योंकि वे केवल उन तरीकों से संबंधित हैं जिनमें अदालतें अपने कार्यों को पूरा करती हैं। नीना अनेजा और ए. एन. आर.

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

यह सच है कि *1965* के केंद्रीय अधिनियम *30* की धारा *4* के परंतुक के खंड *(*सी*)* के तहत *(*जो सामान्य खंड अधिनियम, *1897* की धारा *6 (*ई*)* से मेल खाता है*)* यह प्रावधान किया गया है कि अपील के अधिकार जैसे निहित अधिकार के संबंध में कोई उपाय या कानूनी कार्यवाही स्थापित, जारी या लागू की जा सकती है जैसे कि यह अधिनियम *(*जिसका अर्थ है निरसन अधिनियम*)*
पारित नहीं किया गया था। लेकिन यह प्रावधान केवल बचाता है

ऐसे निहित अधिकार के संबंध में उपचार या कानूनी कार्यवाही

जिसे अपनाने के लिए वादी खुला है, इसके बावजूद

निरस्त करें लेकिन इस प्रावधान का मंच से कोई लेना-देना नहीं है

यदि निरस्तीकरण अधिनियम नया मंच प्रदान करता है जहाँ उपाय
या ऐसे निहित अधिकार के संबंध में कानूनी कार्यवाही कर सकती है

निरस्तीकरण के बाद, मंच निरस्तीकरण अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार होना चाहिए। हम यह इंगित कर सकते हैं कि सामान्य खंड अधिनियम, *1897* की धारा *6 (*ई*)* का ऐसा दृष्टिकोण राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुरुषोत्तम सिंह बनाम के मामले में लिया गया है।
नारायण सिंह और राजस्थान राज्य *[*ए. आई. आर. *1955* राज *203]* इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गोवा अधिनियम *(1965* का अधिनियम *16)* के साथ पठित निरसन अधिनियम *(1965* का अधिनियम *30)* के तहत न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में अपील की गई थी और उसी के अनुसार उचित न्यायालय में दायर की गई थी। *(* जोर दिया गया*)*

25. मारिया क्रिस्टीना *(*ऊपर*)* में निर्णय अपील के अधिकार के बीच अंतर करता है, जो एक मूल अधिकार है जो प्रथम दृष्टांत के न्यायालय में मुकदमे की शुरुआत पर एक वादी में निहित है और वह मंच जहां एक अपील दायर की जा सकती है जो "निर्विवाद रूप से एक है प्रक्रियात्मक मामला "। इसलिए, न्यायालय के विचार में, अपील को निरसन अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए मंच में दायर करना होगा, हालांकि अधिकार निरस्त अधिनियम के तहत उत्पन्न हुआ था। न्यायालय की इन टिप्पणियों को बाद के अवलोकन के साथ पढ़ा जाना चाहिए कि यदि निरसन अधिनियम एक नया मंच प्रदान करता है जहां निरसन के बाद ऐसे निहित अधिकार के संबंध में उपचार या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, तो मंच निरसन अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार होना चाहिए। न्यू इंडिया एस्योरेंस *(*ऊपर*)* और मारिया क्रिस्टिना *(*ऊपर*)* में निर्णय आगे बढ़ते हैं।

व्याख्या कि मंच में परिवर्तन निर्विवाद रूप से प्रक्रियात्मक कानून के दायरे में है जो पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है, जब तक कि क़ानून अन्यथा प्रदान नहीं करता है। इन निर्णयों का आवश्यक परिणाम यह है कि एक आई. एस. के निर्धारण के लिए मंच, चाहे वह अपील के मामले में हो *[*मारिया*]*

क्रिस्टीना *(ऊपर)]* या ऐसी स्थितियों में जहां कार्रवाई का अधिकार *[न्यू इंडिया एस्योरेंस (ऊपर)]* प्रक्रियात्मक कानून के दायरे में है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. *8* हितेंद्र विष्णु ठाकुर *(1994-*सुप्रीम कोर्ट *2)*

न्यायाधीश*)*

26. हितेन्द्र विष्णु ठाकुर बनाम। महाराष्ट्र राज्य *2 7,* इस बारे में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में विश्लेषण किए गए प्रश्नों में से एक

प्रक्रियात्मक कानून के दायरे में था और यदि ऐसा है, तो क्या यह लंबित मामलों पर लागू होगा। डॉ. न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद *(*जैसा कि वे उस समय थे*)* ने अभिनिर्धारित किया कि *1993* के अधिनियम *43* का संशोधन प्रक्रियात्मक और पूर्वव्यापी था और टाडा की धारा *20 (4)* के खंड *(*बी*)* और *(*बी. बी.*)* उन मामलों पर लागू होंगे जिनकी जांच उस तारीख को लंबित थी जब यह लागू हुआ था। उस संदर्भ में, कानून के सिद्धांत, जो नए भारत की स्थिति से मेल खाते हैं आश्वासन *(ऊपर)* और मारिया क्रिस्टिना *(ऊपर),* निम्नलिखित शब्दों में तैयार किए गए थेः

"26. नामित न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संशोधन पूर्वव्यापी रूप से कार्य करेगा और उन लंबित मामलों पर लागू होगा जिनमें जांच उस तारीख को पूरी नहीं हुई थी जिस दिन संशोधन अधिनियम लागू हुआ था और तब तक अदालत में चालान दायर नहीं किया गया था। विभिन्न मामलों में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून से उदाहरणात्मक सिद्धांत उभरते हैं, हालांकि संपूर्ण नहीं।

एक संशोधन अधिनियम के दायरे और दायरे के संबंध में और इसके

पूर्वव्यापी ऑपरेशन को निम्नानुसार निकाला जा सकता हैः

(i) एक कानून जो मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, उसे तब तक परिचालन में संभावित माना जाता है जब तक कि स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से पूर्वव्यापी नहीं किया जाता है, जबकि एक कानून जो केवल

प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जब तक कि इस तरह का निर्माण पाठ्य रूप से असंभव न हो, इसके अनुप्रयोग में पूर्वव्यापी माना जाता है, इसे एक विस्तारित अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए और इसे सख्ती से इसके लिए सीमित किया जाना चाहिए।

स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाएँ।

((ii) मंच और सीमा से संबंधित कानून प्रक्रियात्मक प्रकृति का है, जबकि कार्रवाई के अधिकार और अपील के अधिकार से संबंधित कानून भले ही उपचारात्मक प्रकृति का हो।

27 " हितेंद्र विष्णु ठाकुर *"; (1994) 4* एससीसी *602 28"* टाडा *"*

29 " सी. आर. पी. सी. "नीना अनेजा और ए. एन. आर.। वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

((ग) प्रत्येक वादी को मूल कानून में निहित अधिकार है, लेकिन
प्रक्रियात्मक कानून में ऐसा कोई अधिकार मौजूद नहीं है।

(iv) एक प्रक्रियात्मक क़ानून को आम तौर पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए, जहां परिणाम नई अक्षमताओं या दायित्वों को पैदा करना या पहले से किए गए लेनदेन के संबंध में नए कर्तव्यों को लागू करना होगा।

(v) एक कानून जो न केवल प्रक्रिया को बदलता है, बल्कि नए अधिकारों और देनदारियों का भी निर्माण करता है, उसे संचालन में संभावित माना जाएगा, जब तक कि अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा। *(* जोर दिया गया*)*

सी. *9* सुधीर जी. अंगुर *(2005*-उच्चतम न्यायालय *3* न्यायाधीश*)*

27. सुधीर जी. अंगुर बनाम। एम संजीव *3 0 30,* इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने प्रक्रियात्मक कानून में परिवर्तन के प्रभाव पर विचार किया

किसी विशेष मंच के समक्ष कार्यवाही। इस मामले में, मैसूर संहिता को *2003* में निरस्त कर दिया गया था और सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908* लागू होनी थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संबंधित न्यायालय का कर्तव्य था कि वह मंच से संबंधित कानून में परिवर्तन का संज्ञान ले और इसे लंबित कार्यवाही पर लागू करे। ऐसा करते हुए, न्यायमूर्ति एस. एन. वरियावा ने शिव भगवान मोती राम सरोजी बनाम में बॉम्बे उच्च न्यायालय के कानून के निम्नलिखित स्पष्टीकरण को मंजूरी दी। ओंकारमल ईशर दास *3 1:*

"11. हमारे विचार में, श्री जी. एल. सांघी का यह कहना भी सही है कि मुकदमे की सुनवाई की तारीख पर यह कानून है जो

आवेदन किया। इस निवेदन के समर्थन में, श्री सांघी ने शिव भगवान मोती राम सरावजी बनाम के फैसले पर भरोसा किया। ओंकारमल इशर दास *[*ए. आई. आर. *1952* बम *365: 54* बम एल. आर. *330]* जिसमें यह किया गया है

अभिनिर्धारित किया कि किसी भी पक्ष को किसी विशेष पर निहित अधिकार नहीं है

किसी विशेष मंच पर आगे बढ़ना। यह माना गया है कि
यह अच्छी तरह से तय है कि सभी प्रक्रियात्मक कानून पूर्वव्यापी हैं

जब तक कि विधायिका स्पष्ट रूप से इसके विपरीत न कहे। यह.

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि लागू प्रक्रियात्मक कानूनों को होना चाहिए

मुकदमा या कार्यवाही शुरू होने की तारीख को लागू किया गया

परीक्षण या निपटान के लिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक अदालत बाध्य है

कानून में परिवर्तन का संज्ञान लेना और बाध्य है

कानून का प्रशासन वैसा ही करें जैसा मुकदमा आने पर हुआ था

सुनना। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी न्यायालय के पास मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है

30 "सुधीर जी अंगुर "; *(2006) 1* एस. सी. सी. *141 3 1 31 (1952) 54* बम एल. आर. *330 [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुकदमा, जब यह निपटारे के लिए आता है, तो यह इस तथ्य के कारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने से इनकार नहीं कर सकता है कि इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था

इसे उस तारीख को लागू करें जब इसे स्थापित किया गया था। हम इन टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मैसूर अधिनियम अब निरस्त कर दिया गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब न्यायालय के पास इस मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। *(*जोर दिया गया*)* सी. *10* रमेश कुमार सोनी *(2013-*उच्चतम न्यायालय *2* न्यायाधीश*)*

28. यह कहना तुच्छ कानून है कि सभी प्रक्रियात्मक कानून पूर्वव्यापी हैं, जब तक कि एक विपरीत विधायी इरादे का पालन नहीं किया जा सकता है। रमेश कुमार सोनी बनाम मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ। महाराष्ट्र राज्य *3 2* एक मामला माना जाता है

जहां भारतीय दंड संहिता की धारा *408,420,467,468* और *471* के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला दर्ज होने की तारीख को प्रथम के मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों की सुनवाई की जा सकती थी।

सी. आर. पी. सी. की पहली अनुसूची के संदर्भ में वर्ग। *2008* के मध्य प्रदेश अधिनियम *2* के परिणामस्वरूप, दंड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था। परिणामस्वरूप, धारा *467,468* और *471* के तहत अपराध थे जे. एम. एफ. सी. के बजाय सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य। संशोधन के परिणामस्वरूप, जे. एम. एफ. सी. ने मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया। उच्च न्यायालय को एक संदर्भ दिया गया था कि क्या संशोधन पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा और क्या जे. एम. एफ. सी. के समक्ष लंबित और सत्र न्यायालय को सौंपे गए मामलों की सुनवाई सत्र न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए या आगे की सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट को वापस भेज दी जानी चाहिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने कहा कि *22* फरवरी *2008* को जे. एम. एफ. सी. के समक्ष लंबित मामले संशोधन से अप्रभावित थे और जे. एम. एफ. सी. द्वारा विचारणीय थे क्योंकि संशोधन अधिनियम में इस बात का स्पष्ट संकेत नहीं था कि ऐसे मामले सत्र न्यायालय को सौंपे जाएंगे। न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर *(*तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में*)* ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश

संशोधन ने मुकदमे के मंच को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था। मुद्दा यह था कि क्या फोरम में संशोधन संभावित था या संशोधन की तारीख पर लंबित मामलों को नियंत्रित करेगा। इस न्यायालय ने नोट किया कि:

" *9.* ऐसा कहने के बाद, अब हम इस मुद्दे की थोड़ी अलग कोण से जांच कर सकते हैं। यह प्रश्न कि क्या विचारण के मंच से संबंधित कोई कानून प्रक्रियात्मक है या मूल प्रकृति का है, अतीत में इस न्यायालय की कई घोषणाओं का विषय रहा है। हम इनमें से कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं, चाहे वे संक्षिप्त हों।

32 " रमेश कुमार सोनी "; *(2013) 14* एस. सी. सी. *696* नीना अनेजा और ए. एन. आर.।

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

न्यू इंडिया एस्योरेंस *(*ऊपर*)*, हितेंद्र विष्णु ठाकुर *(*ऊपर*)* और सुधीर जी अंगुर *(*ऊपर*)* में निर्णयों को स्वीकार करने के बाद,

न्यायालय ने टिप्पणी की:

" *14.* तत्काल मामले में दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन का प्रभाव अभियुक्त के मुकदमे के मंच को मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायालय से सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने का है। इस तथ्य के अलावा कि संशोधन लागू होने की तारीख तक अपीलार्थी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था और न ही मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी के खिलाफ संज्ञान लिया था, मुकदमे के मंच को स्थानांतरित करने वाला कोई भी संशोधन सैद्धांतिक रूप से पूर्वव्यापी प्रकृति का होना चाहिए।

इसके विपरीत संशोधन अधिनियम। अपीलार्थी अपने मुकदमे के लिए मंच के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सका क्योंकि ऐसा कोई अधिकार मान्यता प्राप्त नहीं है। उच्च न्यायालय, मामले के उस दृष्टिकोण में, निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप *(*एस. आई. सी. नहीं*)* करना उचित था।

इस अदालत ने नोट किया कि उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने हालांकि अन्य बातों के साथ-साथ मनुजेंद्र दत्त *(*ऊपर*)* के फैसले पर भरोसा किया था। यह निर्णय को इस आधार पर अलग किया गया था कि मुकदमा शुरू किया गया था और समाप्त किया गया था और मुकदमेबाजी के लिए किसी विशेष मंच के लिए किसी निहित अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता था। परिणामस्वरूप इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को खारिज कर दिया, हालांकि संभावित रूप से, क्योंकि कई मामले

जो सत्र न्यायालय से जे. एम. एफ. सी. को वापस भेजा गया था, हो सकता है कि इस बीच में समाप्त हो गया हो या एक उन्नत चरण में पहुँच गया हो। उन मामलों के लिए एक अपवाद बनाया गया था क्योंकि उस स्तर पर मंच के परिवर्तन से अभियुक्तों को अनावश्यक और परिहार्य कठिनाई होगी, यदि वे संशोधन और इस न्यायालय के दृष्टिकोण के बाद मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय के प्रति प्रतिबद्ध थे। हालांकि, मंच के परिवर्तन के सिद्धांत को प्रक्रियात्मक, आम तौर पर पूर्वव्यापी और लंबित कार्यवाही पर लागू होने के कारण बरकरार रखा गया था।

सी. *11* ढाडी साहू *(1992* सुप्रीम कोर्ट *2* न्यायाधीश*)*

29. अब, इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के *1992* के फैसले पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को। न्यायाधिकरण ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए दंड को रद्द कर दिया *33* "ढाडी साहू "; *1994* सप्लीमेंट।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1 अप्रैल *1971* से आयकर अधिनियम *1961* की धारा *274 (2)* के तहत निरीक्षण सहायक आयुक्त ने अपना अधिकार क्षेत्र खो दिया। आयकर अधिकारी की धारा *271* के तहत जुर्माना लगाने की शक्ति धारा *274* के अधीन थी। *1* अप्रैल *1971* को लागू हुए संशोधन अधिनियम के परिणामस्वरूप, कथित रूप से छिपी हुई आय की राशि बीस-पाँच हजार रुपये से अधिक होनी थी। इस संशोधन का प्रभाव यह था कि सहायक आयुक्त का निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि छिपी हुई राशि बाद के संशोधन द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि से कम थी। न्यायमूर्ति योगेश्वर दयाल ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए "कानून के सामान्य सिद्धांत" पर निर्णय दिया कि मंच का परिवर्तन लंबित कार्यों को तब तक प्रभावित नहीं करता जब तक कि एक विपरीत इरादा नहीं दिखाया जाता है:

"*18.* शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि सामान्य सिद्धांत यह है कि एक कानून जो मंच में बदलाव लाता है, तब तक लंबित कार्यों को प्रभावित नहीं करता है जब तक कि इसके विपरीत इरादा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जाता है। जिन तरीकों से इस तरह का इरादा दिखाया जाता है, उनमें से एक है अदालत या न्यायाधिकरण से कार्यवाही में बदलाव का प्रावधान करना, जहां वे अदालत या न्यायाधिकरण में लंबित हैं।

नए कानून के तहत उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र मिलता है।
इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संशोधन अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है

कि आई. ए. सी. के समक्ष वैध रूप से लंबित संदर्भों को कोई अंतिम आदेश पारित किए बिना वापस कर दिया जाएगा यदि आय की राशि जिसके संबंध में विवरण छिपाए गए हैं, पँचिश रुपये से अधिक नहीं थी। एक हजार। न्यायालय के विचार में यह इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि आई. ए. सी. के पास लंबित मामलों पर जुर्माना लगाने का अधिकार क्षेत्र बना हुआ है।

संदर्भ। धारा *274 (2)* का पिछला प्रवर्तन जैसा कि *1* अप्रैल *1971* से पहले था और इसके तहत किया गया कुछ भी, सामान्य खंड अधिनियम के लिए धारा *6 (बी)* के तहत प्रभावी रहा, जिससे आई. ए. सी. को लंबित संदर्भ में जुर्माना लगाने के आदेश पारित करने में सक्षम बनाया गया। अगर संदर्भ दिया गया था *1* अप्रैल *1971* से पहले, यह धारा *274 (2)* द्वारा शासित होगी क्योंकि यह उस तारीख से पहले थी और आई. ए. सी. का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा। हालाँकि, निर्णय के पैराग्राफ *21* में, इस न्यायालय ने कहा:

"*21.* यह भी सच है कि प्रक्रियात्मक कानून के मामले में किसी भी वादी का कोई निहित अधिकार नहीं है, लेकिन जहां मंच के परिवर्तन का सवाल है, वह केवल प्रक्रिया का सवाल नहीं है। अपील या कार्यवाही का मंच एक निहित अधिकार है जो किसी विशेष मंच के समक्ष पालन की जाने वाली शुद्ध प्रक्रिया के विपरीत है। अधिकार निहित हो जाता है

34 " आई. ए. सी. नीना अनेजा और ए. एन. आर. वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

जब न्यायाधिकरण या प्रथम दृष्टांत न्यायालय में कार्यवाही शुरू की जाती है और जब तक कि विधायिका ने व्यक्त शब्दों या आवश्यक निहितार्थ द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित नहीं किया है, तो वह निहित अधिकार है।

विभिन्न के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन के बावजूद जारी रहेगा

न्यायाधिकरण या मंच "।

30. इस न्यायालय ने तब मनुजेंद्र मामले में निर्णय को स्वीकार किया

ढाडी साहू *(ऊपर)* ने माना कि एक वादी को एक मंच का स्पष्ट अधिकार था जब कार्यवाही शुरू की गई हो और लंबित हो। ऐसा अधिकार न्यायालय के विचार में निहित, संबंधित मंच के समक्ष पालन की जाने वाली शुद्ध प्रक्रिया से अलग है। यह विचार रखते हुए ढाडी साहू *(ऊपर)* मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यू इंडिया एस्योरेंस *(ऊपर)* के साथ-साथ पिछले सह-मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर विचार नहीं किया।

मारिया क्रिस्टिना *(ऊपर)* में न्यायपीठ के निर्णय को आदेशित करें, जो सामान्य विधि न्यायशास्त्र और सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* पर निर्भर करता है

यह मानते हुए कि मंच में परिवर्तन विशुद्ध रूप से एक प्रक्रियात्मक मामला है जो एक विपरीत विधायी जनादेश के अभाव में पूर्वव्यापी रूप से संचालित होता है। हितेंद्र विष्णु ठाकुर *(ऊपर); सुधीर जी अंगुर (ऊपर);* रणबीर यादव बनाम में निर्णयों में बाद के सिद्धांत का पालन किया गया है। बिहार राज्य *3-5;* कमलेश कुमार बनाम। झारखंड राज्य *36* और रमेश कुमार सोनी *(ऊपर)*।

सी. *12* अंबालाल साराभाई *(2001-*उच्चतम न्यायालय *2* न्यायाधीश*)*

31. अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम अमृत लाल *& Co.*[3]*7* एक दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है जो एक के प्रभाव पर विचार करता है

1 दिसंबर *1988* से प्रभावी दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें *3500* रुपये से अधिक मासिक किराया पाने वाले किरायेदारों के संबंध में किराया नियंत्रक के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा गया था। किराया नियंत्रक को मकान मालिक द्वारा स्थानांतरित किया गया था, जिसने सबलेटिंग के आधार पर निष्कासन की डिक्री की मांग की थी, लेकिन संशोधन से पहले। किरायेदार ने तर्क दिया कि संशोधन के बाद अकेले दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र था। इस पृष्ठभूमि में, न्यायमूर्ति ए. पी. मिश्रा ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* के प्रावधानों की ओर इशारा किया और कहाः

36 (2013) 15 एससीसी *460* *37* " अंबालाल साराभाई "; *(2001) 8* एस. सी. सी. *397 [2021] 15* एस. सी. आर.

"*26.* एक सामान्य नियम के रूप में, धारा *6* को देखते हुए, एक क़ानून का निरसन, जो संचालन में पूर्वव्यापी नहीं है, प्रथम दृष्टया लंबित कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता है जिसे जारी रखा जा सकता है जैसे कि निरस्त अधिनियम अभी भी लागू था। दूसरे शब्दों में, इस तरह का निरसन लंबित मामलों को प्रभावित नहीं करता है जो इस तरह समाप्त होते रहेंगे जैसे कि अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया है। वास्तव में जब एक एल. आई. एस. शुरू होता है, तो पार्टियों के सभी अधिकार और दायित्व उस तारीख को स्पष्ट हो जाते हैं। सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* का अधिदेश केवल लंबित कार्यवाही को अप्रभावित छोड़ना है जो अप्रचलित प्रावधानों के तहत शुरू हुई जब तक कि इसके विपरीत न हो।

इरादा व्यक्त किया जाता है। हम पाते हैं कि धारा *6* का खंड *(सी)*, इन शब्दों को संदर्भित करता है "कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व. निरस्त क़ानून के तहत अर्जित या उपार्जित" निरसन क़ानून से प्रभावित नहीं होगा। हम यहाँ यह स्पष्ट करने के लिए जल्दबाजी कर सकते हैं, केवल एक अधिकार का अस्तित्व जो उस तारीख को "अर्जित" या "अर्जित" नहीं किया जा रहा है।

निरसन को सामान्य की धारा *6* का संरक्षण नहीं मिलेगा।

खंड अधिनियम।

27. अधिक से अधिक इस तरह के प्रावधान को मकान मालिक को क़ानून के तहत किरायेदार को बेदखल करने के लिए नियंत्रक के हस्तक्षेप की मांग करने का विशेषाधिकार देना कहा जा सकता है। इस तरह का विशेषाधिकार सामान्य रूप से निहित लाभ नहीं है, बल्कि यह दिया गया लाभ है और हो सकता है -

कानून के तहत निर्धारित तरीके से नियंत्रक से संपर्क करके लागू किया गया। किरायेदार को बेदखल करने की याचिका दायर करने पर मकान मालिक के साथ अर्जित विशेषाधिकार धारा *6 (सी)* को देखते हुए अधिनियम के निरसन से प्रभावित नहीं होता है और लंबित कार्यवाही है

अधिनियम की धारा *6 (ई)* के तहत सहेजा गया। *(जोर दिया गया)*

32. इस न्यायालय ने नोट किया कि एक लंबित कार्यवाही को सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6 (ई)* के तहत केवल तभी बचाया जाएगा जब वह किसी अधिकार, विशेषाधिकार या दायित्व के संबंध में हो जो इसके तहत अर्जित या उपार्जित किया गया हो। अधिनियम की धारा *6 (सी)*। यह उल्लेख करना उचित है कि संशोधित अधिनियम के तहत मकान मालिक ने किरायेदार को बेदखल करने का अपना अधिकार खो दिया होगा

उप-किराए का आधार क्योंकि किराया नियंत्रण अधिनियम उन परिसरों पर लागू होना बंद हो गया है जहां मासिक किराया रुपये से अधिक है। *3500.* इसके अलावा, संशोधन के अनुसार, न केवल किराया नियंत्रक को समाप्त करने से पहले उसका कार्रवाई का अधिकार था, बल्कि मकान मालिक को भी सामान्य कानूनी उपायों के लिए हटा दिया गया था। संशोधन ने मकान मालिक के कार्रवाई के अधिकार को काफी हद तक प्रभावित किया और केवल मंच को ही नहीं बदला। यह इस संदर्भ में था कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मकान मालिक को असंबद्ध किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत बेदखली की कार्यवाही जारी रखने का अधिकार प्राप्त हुआ था।

नीना अनेजा और ए. एन. आर. वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

33. न्यायालय ने कहा कि मामलों के दो समूह हैं, एक

जहाँ सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* लागू होती है और दूसरी जहाँ यह लागू नहीं होती है। जिन मामलों में धारा *6* लागू नहीं होती है, वहां न्यायालय को जांच करनी होगी और यह निर्धारित करना होगा कि क्या किसी व्यक्ति को किसी निरस्त कानून के तहत निहित अधिकार प्राप्त हुआ था, जिस स्थिति में लंबित कार्यवाही को बचाना होगा। हालांकि, जहां धारा *6* लागू होती है, यह केवल एक निहित अधिकार नहीं है, बल्कि खंडों द्वारा कवर किए गए सभी अधिकार हैं। *(क)* धारा *6* के *(ङ)* तक जो सहेजे गए हैं और ऐसे मामलों में, लंबित कार्यवाहियों को इस तरह जारी रखा जाएगा जैसे कि क़ानून को निरस्त नहीं किया गया था। सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6 (सी)* के संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि "अर्जित कोई भी अधिकार" अभिव्यक्ति इतनी व्यापक है कि एक कार्यवाही में किरायेदार को बेदखल करने के मकान मालिक के अधिकारों को शामिल करने के लिए पर्याप्त है जब निरस्तीकरण कानून लागू हुआ था। इसलिए किराया नियंत्रक के समक्ष लंबित कार्यवाही इस तरह जारी रहेगी जैसे कि निरस्त अधिनियम अभी भी लागू था। यह उल्लेख करना उचित है कि अंबालाल साराभाई *(ऊपर)* में निर्णय ने केवल लंबित कार्यवाही को बचाया।

जिन्हें किसी निहित अधिकार *(*सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* के लागू न होने की स्थिति में*)* या सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6 (सी)-(ई)* के तहत अर्जित किसी भी अधिकार के साथ जोड़ा गया था।

सी. *13* एच. पी. राज्य विद्युत *(2013-*उच्चतम न्यायालय *2* न्यायाधीश*)*

34. कार्यवाही लंबित होने पर एक मंच के लिए एक स्पष्ट अधिकार का सिद्धांत, जैसा कि ढाडी साहू *(ऊपर)* में प्रस्तावित किया गया है, बाद में इस न्यायालय के कई फैसलों में संदर्भित किया गया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली में दो न्यायाधीशों की पीठ का फैसला भी शामिल था। विनियामक आयोग बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड *3 8. 1998* के एक अधिनियम के तहत गठित आयोग ने राज्य में बिजली के लिए लागू शुल्क निर्धारित किया। इसके बाद,

अपने नियामक कार्यों का निर्वहन करते हुए आयोग ने कहा कि शुल्क के एक हिस्से का पालन नहीं किया गया था। इसके नोटिस के अनुसरण में, बोर्ड पर जुर्माना लगाया गया था, जिस पर *1998* के अधिनियम की धारा *27* के तहत अपील दायर की गई थी। अपील के लंबित रहने के दौरान

कि *2003* के विधान के तहत एक अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के बाद, यह अपीलीय न्यायाधिकरण होगा जिसका अधिकार क्षेत्र होगा और उच्च न्यायालय के पास अपील की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। द हाई *38* " एच. पी. राज्य विद्युत "; *(2014) 5* एस. सी. सी. *219 [2021] 15* एस. सी. आर.

अदालत ने कहा कि *2003* में नए कानून के लागू होने के बाद भी उसका अधिकार क्षेत्र बना रहा। उच्च न्यायालय के फैसले पर इस आधार पर हमला किया गया कि एक अलग मंच के गठन पर उसके समक्ष अपील विचारणीय नहीं थी। धारा *185* में एक

निरसन और बचत प्रावधान। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा *(*विद्वान प्रमुख के रूप में*)* न्यायमूर्ति तब*)* दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोल रहे थे कि "अपील का अधिकार और साथ ही मंच एक निहित अधिकार है" जब तक कि इसे विधायिका द्वारा या तो स्पष्ट प्रावधान द्वारा या आवश्यक इरादे से नहीं लिया जाता है। न्यायालय ने कहाः

"*25.* इस स्तर पर, हम लाभ के साथ कह सकते हैं कि यह कानून का एक सुव्यवस्थित प्रस्ताव है जो मूल अधिकारों से संबंधित अधिनियम बनाता है।

मुख्य रूप से संभावित हैं जब तक कि वे स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से न हों।

पूर्वव्यापीता दिए गए इरादे या निहितार्थ। उपरोक्त

जब निहित अधिकार प्रभावित होते हैं तो सिद्धांत की पूरी भूमिका होती है। किसी भी स्पष्ट खुलासा के अभाव में, कानून के टुकड़े को प्रावधान करने के लिए विधायिका के पर्याप्त इरादे को उजागर करना चाहिए। पूर्वव्यापी। जैसा कि विभिन्न प्राधिकरणों में कहा गया है

ऊपर उल्लिखित, अपील का अधिकार और साथ ही मंच एक निहित अधिकार है जब तक कि उक्त अधिकार को उनके द्वारा छीन नहीं लिया जाता है।

विधान में एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा विधायिका द्वारा

आवश्यक इरादे।

26 ..... इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपील करने के अधिकार को वापस लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए या तो एक प्रत्यक्ष विधायी जनादेश या पर्याप्त सबूत या कारण की आवश्यकता होती है ताकि यह दिखाया जा सके कि अपील करने का उक्त अधिकार वापस ले लिया गया है और लंबित कार्यवाही अलग या नए अपीलीय मंच को स्थानांतरित कर दी गई है। एक अलग या एक नए अपीलीय मंच का निर्माण अपने आप में एक निहित हस्तांतरण के तर्क/विवाद को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ अधिक ठोस या सकारात्मक की आवश्यकता है जो *2003* की योजना से बोधगम्य नहीं है।

अधिनियम "। *(* जोर दिया गया*)*

35. इसलिए, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि उसके पास अपील की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र था, यह टिप्पणी करके "पूरी तरह से त्रुटिहीन" माना गया।

के रूप में अपील का अधिकार

साथ ही मंच एक निहित अधिकार है जब तक कि उक्त अधिकार को छीन नहीं लिया जाता है

विधायिका द्वारा आवश्यक इरादे से क़ानून में एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा "।

नीना अनेजा और ए. एन. आर. वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

सी. *14* वीडियोकॉन इंटरनेशनल *(2015-*सुप्रीम कोर्ट *2)*

न्यायाधीश*)*

36. वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड *3 9* ने निपटाया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम *1992* में निहित अपीलीय प्रावधान। से प्रभाव के साथ अध्याय *6* बी के सम्मिलन के बाद

25 जनवरी *1995* में, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को बोर्ड के आदेश से या किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पीड़ित व्यक्ति को धारा *15* टी के तहत अपील का उपाय प्रदान किया गया था। धारा *15* जेड ने तथ्य या कानून के किसी भी प्रश्न पर एस. ए. टी. के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील प्रदान की। धारा *15* जेड को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया गया था

दूसरा अपीलीय उपचार उच्च न्यायालय से बदलकर सुप्रीम कोर्ट। एस. ए. टी. के आदेश के खिलाफ अपील जो किया गया था

29 अक्टूबर *2002* से पहले पारित *(*संशोधन की तारीख*)* उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि ऐसी अपीलें जो संशोधित धारा *15* जेड के प्रवर्तन से पहले शुरू की गई हैं, संशोधन से प्रभावित नहीं होंगी और अपीलों की सुनवाई और निपटान करने का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा। संशोधन अधिनियम की धारा *32* में निरसन और बचत का प्रावधान था जो निम्नलिखित शर्तों में था:

"32. रद्द करें और बचत करें। — *(1)* भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड *(*संशोधन*)* अध्यादेश, *2002 (*अध्यादेश। *2002* का *6)*, इसके द्वारा है

निरस्त कर दिया।

भारतीय बोर्ड *(*संशोधन*)* अध्यादेश, *2002 (*अध्यादेश। *2002* का *6)*, मूल अधिनियम के तहत कुछ भी किया गया या कोई कार्रवाई की गई
उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया समझा जाएगा

मूल अधिनियम के तहत किया गया या लिया गया, जैसा कि इसके द्वारा संशोधित किया गया है

अधिनियम "।

37. हितेंद्र विष्णु ठाकुर *(*ऊपर*)* और मारिया के फैसलों का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय के फैसले पर हमला किया गया।

क्रिस्टीना *(*ऊपर*)* दूसरों के बीच, और यह आग्रह किया गया था कि संशोधन

जिसके द्वारा अपीलीय मंच को उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में बदल दिया गया था, उसे केवल प्रक्रियात्मक माना जाना चाहिए। दूसरी तरफ

हाथ में, प्रतिवादी ने ढाडी साहू *(*ऊपर*)* में निर्णय पर भरोसा किया और

39 " वीडियोकॉन इंटरनेशनल *"; (2015) 4* एस. सी. सी. *33 [2021] 15* एस. सी. आर.

अंबालाल साराभाई *(*ऊपर*)*। न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर *(*तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में*)* ने इस बात की जांच की कि क्या संशोधन में "केवल मंच परिवर्तन की परिकल्पना की गई थी"।

38. इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने नोट किया कि जबकि असंशोधित धारा *15* जेड के तहत, उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील "ऐसे आदेश से उत्पन्न तथ्य या कानून के किसी भी प्रश्न पर" संशोधन था

अपील के अधिकार को सीमित और सीमित कर दिया क्योंकि इस न्यायालय में अपील अब "ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न पर" होगी। नतीजतन, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

"*41* ..... तदनुसार, संशोधन द्वारा, पहले का अपीलीय पैकेज कम हो जाता है, क्योंकि संशोधित धारा *15*-जेड के तहत, तथ्यों पर अपील करने के लिए अपीलकर्ता खुला नहीं है। कि स्थिति होने के कारण, हमारे लिए इसे स्वीकार करना संभव नहीं है

अपीलार्थी के विद्वान वकील के हाथों यह तर्क दिया गया कि एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा *15*-जेड में संशोधन, केवल मंच के संशोधन की परिकल्पना करता है, जहां दूसरा
अपील झूठ बोलेगी। हमारे सुविचारित विचार में, अपीलीय पैकेज को कम करते हुए, *SEBI* अधिनियम की धारा *15-Z* में संशोधन,

वादी के निहित अपीलीय अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा

चिंतित हैं। "

40 "*38.* सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपीलार्थी के विद्वान वकील के हाथों दिए गए तर्क की सत्यता का निर्धारण करेंगे, कि एस. ई. बी. आई. अधिनियम की अपरिवर्तित धारा *15*-जेड में प्रदान की गई दूसरी अपील का उपचार उक्त प्रावधान के संशोधन से अप्रभावित रहा; और उपरोक्त धारणा के आधार पर, विद्वान वकील का निवेदन, कि वर्तमान विवाद एक संशोधन से संबंधित है जिसमें केवल मंच के परिवर्तन की परिकल्पना की गई थी। जहाँ तक मामले के तत्काल पहलू का संबंध है, यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपील का अधिकार केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इसे स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाता है। जब ऐसा अधिकार प्रदान किया जाता है, तो इसके मापदंड भी निर्धारित किए जाते हैं। अपील का अधिकार निरपेक्ष हो सकता है अर्थात बिना किसी सीमा के। या, यह एक सीमित अधिकार हो सकता है। उपरोक्त स्थिति एस. ई. बी. आई. अधिनियम की असंशोधित और संशोधित धारा *15*-जेड के अवलोकन से समझ में आती है। असंशोधित धारा *15*-जेड के तहत, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय को अपीलीय उपचार, "..... संशोधित धारा *15*-जेड ने उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपीलीय मंच में परिवर्तन करते हुए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ अपील के दायरे को यह व्यक्त करते हुए सीमित कर दिया कि "ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न पर" उपचार का लाभ उठाया जा सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि अपील करने का अधिकार विभिन्न पैकेजों में उपलब्ध है और धारा *15*-जेड में संशोधन ने एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत प्रदान की गई दूसरी अपील के दायरे को बदल दिया है। नीना अनेजा और ए. एन. आर.

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

यह देखते हुए कि यह स्थिति इसके विपरीत प्रावधान करने वाले संशोधन के अधीन होगी, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा *32* जो निरसन और बचत खंड प्रदान करती है, एक विपरीत इरादे का संकेत नहीं देती है। इसलिए, अपीलीय उपचार जो धारा *15* जेड के संशोधन से पहले उपलब्ध था, इस न्यायालय की दृष्टि में संशोधन के बावजूद उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा, इस अदालत ने कहा कि न तो तारीख

अपील दायर करने और न ही इसकी सुनवाई की कोई प्रासंगिकता थी क्योंकि जब एल. आई. एस. शुरू किया जाता है तो अपीलीय उपचार का अधिकार निहित हो जाता है। द.

अपीलार्थी का यह तर्क कि बचत खंड के अभाव में लंबित कार्यवाही को बचाया नहीं जा सकता था, अंबालाल साराभाई में निर्णय पर भरोसा करके खारिज कर दिया गया था *(ऊपर):*

"44 ... . अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड मामले में इस अदालत द्वारा दिए गए फैसले में *[*अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम। अमृत लाल एंड कंपनी, *(2001) 8* एस. सी. सी. *397],* यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सामान्य सिद्धांत यह था कि एक कानून जो मंच में बदलाव लाता है, लंबित कार्यों को तब तक प्रभावित नहीं करेगा, जब तक कि इसके विपरीत इरादा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया हो। चूँकि यहाँ के संशोधन प्रावधान में ऐसी परिकल्पना नहीं की गई है, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना होगा कि लंबित अपीलें *(*धारा *15*-जेड के संशोधन से पहले*)*

किसी भी तरह से प्रभावित।

इसके अलावा, सामान्य खंड अधिनियम, *1897* की धारा *6 (*सी*)* और *(*ई*)* में निहित जनादेश को देखते हुए तत्काल विवाद पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उपरोक्त प्रावधानों की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी कानून का संशोधन, जो प्रवर्तन में पूर्वव्यापी नहीं है, लंबित कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करता है, सिवाय इसके कि जहां संशोधन प्रावधान स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से किया गया हो। इरादा अन्यथा प्रदान करता है। लंबित कार्यवाही इस प्रकार है

जारी रखें जैसे कि अपरिवर्तित प्रावधान अभी भी लागू है। इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला है कि जब एक कानून शुरू होता है, तो पक्षकारों के सभी अधिकार और दायित्व उस तारीख को स्पष्ट हो जाते हैं, और सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* का अधिदेश, बस यह सुनिश्चित करता है किः कि अपरिवर्तित प्रावधान के तहत लंबित कार्यवाही बनी हुई है

अप्रभावित।

99

हितेंद्र विष्णु में अन्य बातों के साथ-साथ निर्णयों के संबंध में

ठाकुर *(ऊपर)* और मारिया क्रिस्टिना *(ऊपर),* इस न्यायालय ने कहा कि इस सिद्धांत पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि मंच एक प्रक्रियात्मक मामला है और एक संशोधन जो मंच को पूर्वव्यापी रूप से लागू करेगा *[2021] 15* एस. सी. आर.

लेकिन "वही एक पूर्ण नियम नहीं है"। इस पहलू पर, पीठ ने इस सिद्धांत के समर्थन में ढाडी साहू *(*उपरोक्त*)* में निर्णय पर भरोसा किया कि एक मंच का संशोधन आवश्यक रूप से प्रक्रिया का मुद्दा नहीं होगा।

"*45.* पूर्वगामी पैराग्राफ में व्यक्त तरीके से निष्कर्ष निकालने के बाद, हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम मुख्य विवाद की जांच करें, जो विद्वान वकील के हाथों आगे बढ़ाया गया है।
अपीलार्थी, अर्थात्, कि एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा *15*-जेड में संशोधन, दूसरे अपीलीय उपचार के मंच में केवल परिवर्तन पर विचार करता है। उपरोक्त के बावजूद, हम वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस पर गहराई से विचार करना उचित और उचित मानते हैं।

उपरोक्त विषय भी। अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के हाथों अग्रिम प्रस्तुतिकरण से निपटने में, विषय पर

हम काल्पनिक रूप से यह मान लेंगे कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड *(*संशोधन*)* अधिनियम, *2002* द्वारा धारा *15*-जेड में संशोधन का पक्षों को उपलब्ध कराए गए दूसरे अपीलीय उपचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और आगे यह कि, उपरोक्त संशोधन केवल उच्च न्यायालय *(*अपरिवर्तित प्रावधान के तहत*)* से सर्वोच्च न्यायालय *(*संशोधन के परिणामस्वरूप*)* में दूसरी अपील के मंच को बदल देता है। उपरोक्त पर

यह धारणा, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने रखी थी

मारिया में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर निर्भरता

क्रिस्टीना डी सूजा सोडर *[*मारिया क्रिस्टिना डी सूजा सोडर बनाम। अम्रिया जुराना परेरा पिंटो, *(1979) 1* एस. सी. सी. *92]*, हितेंद्र

विष्णु ठाकुर *[*हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र *(1994) 4* एस. सी. सी. *602: 1994* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई*) 1087]*

और तिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड *[*तिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड।

वी. भारत संघ, *(2011) 6* एस. सी. सी. *739: (2011) 3* एस. सी. सी. *(*सी. आई. वी.*) 458]* मामलों में तर्क दिया जाता है कि मंच से संबंधित कानून प्रक्रियात्मक प्रकृति का है, एक संशोधन जिसने
फोरम, पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। जबकि शुद्धता

उपरोक्त विवाद पर संदेह नहीं किया जा सकता है, यह आवश्यक है
यह स्पष्ट करने के लिए कि यह एक पूर्ण नियम नहीं है। इस संबंध में, जिन निर्णयों पर भरोसा किया जाता है, उनका संदर्भ दिया जा सकता है -

प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील, और अधिक

महत्वपूर्ण रूप से ढाडी साहू मामले में दिए गए फैसले के लिए
*[*सी. आई. टी वी. ढाडी साहू, *1994* सप्लीमेंट *(1)* एस. सी. सी. *257]*, जिसमें यह समझाया गया है कि मंच का संशोधन आवश्यक रूप से प्रक्रिया का मुद्दा नहीं होगा। यह निष्कर्ष निकाला गया था कि

उपरोक्त निर्णय, कि जहाँ प्रश्न परिवर्तन का है, नीना अनेजा और ए. एन. आर.।

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

मंच पर, यह प्रक्रिया का प्रश्न नहीं रह गया, और
यदि कार्यवाही स्थिर रहती है तो यह मूल और निहित हो जाता है।

पूर्व निर्धारित मंच से पहले शुरू किया गया *(*से पहले

संशोधन प्रभावी हुआ*)*। यह न्यायालय स्पष्ट रूप से
उपरोक्त निर्णय में घोषित किया गया है कि यदि अपीलीय

संशोधन से पहले *(*असंशोधित प्रावधान में व्यक्त मंच के समक्ष*)* उपचार का लाभ उठाया गया था, यह एक निहित अधिकार होगा। हालाँकि, यदि इसका लाभ नहीं उठाया गया है, और अपीलीय उपचार के मंच को एक संशोधन द्वारा बदल दिया गया है, तो
फोरम, एक प्रक्रियात्मक संशोधन का गठन करेगा, जैसा कि

अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रतिवाद किया गया।
नतीजतन, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भी, ऐसी सभी अपीलें जो बोर्ड द्वारा *29-10-2002* से पहले दायर की गई थीं, उन्हें निहित के रूप में स्वीकार करना होगा, और तदनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए। *(*जोर दिया गया*)*

इस न्यायालय का निष्कर्ष सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* के अधिदेश के अनुसार माना गया था। इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष एस. ई. बी. आई. द्वारा दायर की गई अपीलों को विचारणीय माना गया।

सी. *15* एस. ई. बी. आई. बनाम क्लासिक क्रेडिट *(2018-*सुप्रीम कोर्ट *2)*

न्यायाधीश*)* *39.* हम वीडियोकॉन इंटरनेशनल *(*उपरोक्त*)* में न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर के पहले के फैसले पर पहले ही ध्यान दे चुके हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम में उपरोक्त निर्णय के बाद। क्लासिक क्रेडिट लिमिटेड *4 1*, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति खेहर के माध्यम से बोलते हुए, लंबित कार्यवाही के हस्तांतरण के दावे पर विचार किया

एस. ई. बी. आई. अधिनियम *1992* के तहत। जिस समय धारा *26 (2)* के तहत शिकायतें दर्ज की गई थीं, उस समय आरोपी पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट *(*या जे. एम. एफ. सी.*)* द्वारा मुकदमा चलाया जाना आवश्यक था। धारा *24 (1)* जो पहले थी संशोधन का पाठ इस प्रकार है:

"24. अपराध। *(1)* इस अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दंड के किसी भी अधिनिर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन को बढ़ावा देता है।
इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियमों के प्रावधानों के तहत, वह एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो

एक वर्ष तक बढ़ाएँ, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ।

(2) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहता है या उसके किसी भी निर्देश या आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे एक महीने से कम नहीं, बल्कि तीन साल तक के कारावास या दो हजार रुपये से कम के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

जो दस हजार रुपये तक या दोनों के साथ बढ़ सकता है।

जो *25* करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है। धारा *26 (2)* के संशोधन के परिणामस्वरूप यह निर्धारित किया गया कि सत्र न्यायालय से कम कोई भी अदालत अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगी। *2002* के संशोधन के बाद महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष सभी लंबित मामले या जे. एम. एफ. सी. सत्र न्यायालय के प्रति इस धारणा पर प्रतिबद्ध थे कि संशोधन अधिनियम ने पूर्वव्यापी रूप से मुकदमे के लिए मंच को बदल दिया। जब बंबई उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर विचार किया जा रहा था, तो एस. ई. बी. आई. ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा करने की मांग की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि धारा *26* में संशोधन से केवल एक बदलाव आया है।

फोरम में और केवल प्रक्रियात्मक था। बंबई उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। इस न्यायालय के समक्ष अपीलों के लंबित रहने के दौरान, *26 (2)* को हटाकर और *18* जुलाई *2013* से धारा *26* ए को ई में शामिल करके एस. ई. बी. आई. अधिनियम में फिर से संशोधन किया गया था। एस. ई. बी. आई. ने तर्क दिया कि *2002* के संशोधन के प्रभाव के बाद से फिर से

परिवर्तित किए जाने पर, *2014* के संशोधन के संदर्भ में सभी लंबित मामलों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा की जानी आवश्यक होगी। धारा *26*-बी निम्नलिखित रूप में प्रदान की गई है:

"26 - बी. विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराध। - दंड प्रक्रिया संहिता, *1973 (1974* का *2)* में कुछ भी निहित होने के बावजूद, प्रतिभूति कानून *(*संशोधन*)* अधिनियम, *2014* के प्रारंभ की तारीख से पहले या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके बाद किए गए इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों का संज्ञान लिया जाएगा और उस क्षेत्र के लिए स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा जिसमें अपराध किया गया है या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं, उनमें से एक द्वारा, जो संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए।

41. एस. ई. बी. आई. ने इस अदालत के समक्ष तर्क दिया कि मुकदमे के लिए मंच में बदलाव केवल प्रक्रिया का मामला है और इसलिए यह पूर्वव्यापी होगा, *2002* और *2014* में कोई स्पष्ट या निहित इरादा नहीं था। संशोधनों का उद्देश्य संभावित नीना अनेजा और ए. एन. आर. का होना था।

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*टी. इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर ने अन्य बातों के साथ-साथ न्यू इंडिया एस्योरेंस *(*ऊपर*)*, इश कुमार सोनी *(*ऊपर*)* और हितेंद्र विष्णु ठाकुर *(*ऊपर*)* में दिए गए फैसलों को इस संदर्भ में प्रस्तुत किया:

"49 ..... हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, इसके द्वारा स्पष्ट की गई कानूनी स्थिति

नए भारत सहित बड़ी संख्या में निर्णयों में न्यायालय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम शांति मिश्रा *[*न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी।

लिमिटेड वी. शांति मिश्रा, *(1975) 2* एस. सी. सी. *840];* एस. ई. बी. आई. बनाम। अजय अग्रवाल *[SEBI v.* अजय अग्रवाल *(2010) 3* एस. सी. सी. *765: (2010) 2* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 491* और रमेश कुमार सोनी बनाम। एम. पी. राज्य *[*रमेश कुमार

सोनी वी. एम. पी. राज्य, *(2013) 14* एस. सी. सी. *696: (2014) 4* एससीसी *(*सीआरआई*)*

340] , स्पष्ट और असंदिग्ध है, अर्थात्, कि प्रक्रियात्मक

संशोधनों को प्रकृति में पूर्वव्यापी माना जाता है, जब तक कि संशोधनकारी क़ानून स्पष्ट रूप से या निहित रूप से अन्यथा प्रदान नहीं करता है। और यह भी कि आम तौर पर परीक्षण के "मंच" का परिवर्तन प्रक्रियात्मक है, और आम तौर पर उपरोक्त प्रस्ताव का पालन करते हुए, यह माना जाता है

झारखंड, *(2013) 15* एस. सी. सी. *460: (2014) 6* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 489],* साथ ही, ऊपर उल्लिखित कई और निर्णय। *42.* उपरोक्त टिप्पणियां इस न्यायालय के स्पष्ट दृष्टिकोण का संकेत देती हैं।

व्यक्त या निहित विपरीत इरादे के अभाव में,

((i)

प्रक्रियात्मक संशोधनों को पूर्वव्यापी माना जाता है*;*
मुकदमे के मंच में बदलाव एक प्रक्रियात्मक मामला है*;* और

((ख)

(111) चूँकि मंच का परिवर्तन प्रक्रियात्मक है, एक क़ानून जो परिवर्तन लाता है, में पूर्वव्यापी माना जाता है

विपरीत इरादे का अभाव।

43. इसलिए, न्यायालय ने कहा कि उसके पास "भी नहीं था

टी. "मंच" का परिवर्तन प्रक्रियात्मक होने के कारण

एम "पूर्वव्यापी रूप से काम करेगा, भले ही *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साराभाई *(*ऊपर*),* रमेश कुमार सोनी *(*ऊपर*)* और वीडियोकॉन इंटरनेशनल *(*ऊपर*) (*जिसे पीठ ने पैराग्राफ *51* में लिखा है*)* अपने निर्णय के *53* तक*)*। इस अधिकार रेखा से निपटते हुए, मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर ने कहाः

" *54.* उपरोक्त निर्णयों में लिए गए निष्कर्षों के अवलोकन से, हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि "मंच" का परिवर्तन मूल या प्रक्रियात्मक हो सकता है। यह तब प्रक्रियात्मक हो सकता है जब

उपचार का लाभ उठाया जाना बाकी था, लेकिन जहां उपचार का लाभ पहले ही लिया जा चुका था *(*मौजूदा वैधानिक प्रावधान के तहत*)*, अधिकार को एक निहित मूल अधिकार के रूप में माना जा सकता है।

न्यायालय द्वारा जो विचार तैयार किया गया था वह यह था कि जहां संशोधन से पहले किसी उपाय का लाभ उठाया गया है, तब तक जब तक कि

प्रावधान में संशोधन या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा, संशोधन द्वारा पेश किए गए मंच को कार्यवाही का हस्तांतरण, मंच का अधिकार क्षेत्र जारी रहेगा जो संशोधन से पहले पार हो गया थाः

"*55.* बाद की स्थिति में पूर्ववर्ती में संदर्भित *(*और बहस*)*

अनुच्छेद, जहां संशोधन से पहले उपचार का लाभ उठाया गया था, यहां तक कि निजी पक्षों के विद्वान वकील के अनुसार, जब तक कि स्पष्ट शब्दों द्वारा संशोधन प्रावधान, या आवश्यक निहितार्थ द्वारा, संशोधन द्वारा पेश किए गए "मंच" को कार्यवाही के हस्तांतरण को अनिवार्य नहीं करता है, तब तक गैर-संशोधित प्रावधान द्वारा अभिनिर्धारित "मंच" का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा।
लंबित मामलों पर निर्णय लेना *(*पहले दायर किए गए मामले*)*

संशोधन*)*। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि "मंच" के संदर्भ में किसी भी निहित अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है, जहां संबंधित न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया था और अपरिवर्तित के अनुरूप, विचारण कार्यवाही शुरू की गई

प्रावधान "।

42 पैरा *50*, पृष्ठ *68* पर नीना अनेजा और ए. एन. आर.

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

हालाँकि, जहाँ संशोधन से पहले ही कार्यवाही शुरू हो चुकी थी, वहाँ मुकदमे के मंच में परिवर्तन लंबित रहने को प्रभावित नहीं करेगा।

जब तक कोई विपरीत इरादा नहीं दिखाया जाता है। इस न्यायालय ने तब जांच की कि क्या *2002* और *2014* में किए गए संशोधनों ने एक विपरीत इरादे को व्यक्त किया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि *2002* में संशोधित धारा *26* ने इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि पूर्ववर्ती मंच के पास ऐसा करना बंद हो गया है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और नव निर्मित मंच-न्यायालय

सत्रों में सभी लंबित मामलों से भी निपटा जाएगा। नतीजतन, *2002* के संशोधन ने महानगर से "अधिकार क्षेत्र को मोड़ दिया"। मजिस्ट्रेट और जे. एम. एफ. सी. संशोधन लागू होने के बाद एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करेंगे। इसी तरह, *2014* के संशोधन ने सभी अपराधों को एक साथ यह प्रावधान करते हुए समूहीकृत किया कि उन पर एक विशेष न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा, चाहे वे संशोधन से पहले या बाद में किए गए हों; कोई अलगाव नहीं।

अनुमति है। *2014* के संशोधन द्वारा, संज्ञान लेने का कार्य विशेष न्यायालयों को सौंपा गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सभी लंबित मामले जहां संज्ञान लिया गया था और सत्र न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू हो गई थी, प्रभावित नहीं होंगे। अंत में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" *79.* ऊपर अभिलिखित विचार को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट *(*या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट*)* के न्यायालय में निहित मुकदमे के लिए "मंच" को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया था, क्योंकि *2002* के संशोधन अधिनियम के बाद मुकदमे के "मंच" को पूर्वव्यापी रूप से बदल दिया गया था।

सत्र न्यायालय। मामले के इस दृष्टिकोण में, *29-10-2002* से पहले कथित रूप से किए गए अपराधों के संबंध में भी मुकदमे *(* जिस तारीख से *2002* का संशोधन अधिनियम लागू हुआ*)*, चाहे उस संबंध में मुकदमा शुरू किया गया था या नहीं, अधिकार क्षेत्र में सत्र न्यायालय में निहित होगा। और इसी तरह, *2014* के संशोधन अधिनियम *(*जो *18-7-2013* से प्रभावी हुआ*)* के परिणामस्वरूप, *SEBI* अधिनियम के तहत अपराधों के मुकदमे, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या *SEBI* अधिनियम के तहत अपराध *29-10-2002* से पहले और/या *18-7-2013 (*जिस तारीख से *2014* का संशोधन अधिनियम प्रभावी हुआ*)* से पहले किया गया था, और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि मुकदमा शुरू किया गया था या नहीं, एक विशेष अदालत को मुकदमे के लिए अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा।

तदनुसार, लंबित कार्यवाही को स्थानांतरित करने में दिल्ली उच्च न्यायालय के विचार की पुष्टि की गई, जबकि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को दरकिनार कर दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. *16* स्वप्ना मोहंती *(2018-*उच्चतम न्यायालय *2* न्यायाधीश*)*

उन्हें सहायता अनुदान के लिए भर्ती किया गया था। फरवरी *2004* में कॉलेज को अनुदान सहायता के लिए स्वीकार किए जाने से पहले अगस्त *2002* में अपील दायर की गई थी और इस मुद्दे की जांच की गई थी कि क्या कॉलेज को अनुदान देने के लिए स्वीकार किए जाने के बाद उच्च शिक्षा निदेशक के पास अपील सुनने की क्षमता थी। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि निदेशक के पास उस अपील पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र बना हुआ है जो सहायता प्रदान करने के लिए कॉलेज में प्रवेश से पहले उनके समक्ष दायर की गई थी क्योंकि उड़ीसा शिक्षा अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। न्यायाधिकरण की सभी कार्यवाहियों में परिवर्तन। *44* इस निष्कर्ष पर पहुंचने में, दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने ढाडी साहू *(*उपरोक्त*)* के फैसले पर भरोसा किया।

सी. *17* ओम प्रकाश अग्रवाल *(2018-*उच्चतम न्यायालय *2* न्यायाधीश*)*

46. ओम प्रकाश अग्रवाल बनाम। विशन दयाल राजपूत *45*, दो

इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने उत्तर प्रदेश नागरिक कानून *(*संशोधन*)* अधिनियम *2015* के प्रावधानों पर विचार किया, जिसके तहत *7* दिसंबर *2015* से बंगाल, आगरा और असम नागरिक न्यायालय अधिनियम *1887* की धारा *9* और *21* और प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम *1887* की धारा *15* प्रभावी हुई।

संशोधन किए गए। संशोधन द्वारा लघु कारण न्यायालयों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र की सीमा पँचिश रुपये से बढ़ा दी गई थी। एक हजार से एक लाख रुपये तक। हालांकि, आर्थिक अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया था, लेकिन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष लंबित मुकदमा बिना किसी आपत्ति के जारी रहा।

पार्टियाँ। बेदखली और किराए के बकाया के लिए एक आदेश पारित किया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधन में, उठाए गए आधारों में से एक यह था कि उत्तर प्रदेश नागरिक कानून *(*संशोधन*)* अधिनियम *2015* को देखते हुए, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय के पास *1* दिसंबर *2015* से एक लाख तक के मूल्य के पट्टेदार और पट्टेदार के बीच मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया था और अधिकार क्षेत्र की धारणा अमान्य थी। प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण की अनुमति दी और लघु कारण न्यायालयों के समक्ष एक नए निर्णय के लिए मुकदमे को स्थगित कर दिया। मुकदमा जो स्थापित किया गया था

43 (2018) 17 एस. सी. सी *621* *44* पैरा *9*

45 (2019) 14 एस. सी. सी. *526* नीना अनेजा और ए. एन. आर.

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

धारा *15 (2)* के तहत पट्टेदार द्वारा पट्टेदार को बेदखल करने के लिए शुरू में स्मॉल कॉज कोर्ट, फिरोजाबाद के समक्ष दायर किया गया था क्योंकि मूल्यांकन रु। *21,175* . इसके बाद, संशोधन के बाद, मूल्यांकन को बढ़ाकर *27,775* रुपये कर दिया गया और मुकदमा जिला न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। इन तथ्यों पर, मुख्य मुद्दा यह था कि क्या *7* दिसंबर *2015* के बाद, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत, जहां मुकदमा लंबित था, के पास अभी भी मुकदमे पर निर्णय लेने के लिए आर्थिक अधिकार क्षेत्र हो सकता है या क्या इसे लघु कारण अदालत में वापस स्थानांतरित किया जाना चाहिए। *1972* के उत्तर प्रदेश अधिनियम *37* द्वारा, बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम *1887* की धारा *25* में एक संशोधन किया गया था ताकि राज्य सरकार को किसी भी जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को लघु कारण न्यायालय के न्यायाधीश की शक्ति प्रदान करने का अधिकार दिया जा सके।

पट्टेदार द्वारा पट्टेदार को बेदखल करने के लिए मूल्य की परवाह किए बिना मुकदमा।

47. न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि संशोधित धारा *25* में "उनके मूल्य के बावजूद" अभिव्यक्ति का उपयोग इस स्पष्ट इरादे से किया गया था कि मामलों का मूल्य चाहे जो भी हो। पट्टेदार द्वारा पट्टेदार की बेदखली के लिए दायर किए गए मामले को छोटे कारणों के मामलों के रूप में माना जाना चाहिए। बाद के एक संशोधन द्वारा, सिविल न्यायाधीश की अध्यक्षता में लघु कारण न्यायालय को बीस-पाँच हजार रुपये तक के मामलों का निर्णय करने का अधिकार मिल गया, जबकि उपरोक्त मामलों का अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। न्यायालय ने कहाः

" *54* ..... जब *1* लाख रुपये से अधिक मूल्य का एक छोटा कारण मुकदमा लघु कारण न्यायालय द्वारा संज्ञेय है, तो जाहिर है, कोई अन्य अदालत संज्ञान नहीं ले सकती है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिसे छोटे कारणों का मुकदमा विचाराधीन था, का स्थानांतरण किया गया था क्योंकि इसका मूल्यांकन किया गया था

25, 000 रुपये से अधिक यू. पी. सिविल लॉज़ *(*अमेंडमेंट*)* एक्ट, *2015* के बाद मुकदमे का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं था, जब विचाराधीन मुकदमा स्मॉल कॉज़ कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ़ सिविल जज, सीनियर डिवीजन द्वारा संज्ञेय हो गया।

सी. *18* दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन *(1993-*दिल्ली उच्च न्यायालय-डीबी*)*

48. अब हम उच्च न्यायालय के कुछ फैसलों का विज्ञापन करेंगे जो ढाडी साहू *(*ऊपर*)* बनाम मारिया क्रिस्टीना *(*ऊपर*)* और न्यू इंडिया एस्योरेंस *(*ऊपर*)* द्वारा कानून की स्थिति में लागू की गई अस्पष्टता के कारण अलग-अलग निष्कर्षों पर पहुंचे हैं।

कि मंच का परिवर्तन विशुद्ध रूप से एक प्रक्रियात्मक मामला है। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम। दिल्ली का न्यायालय ", की मूल अधिकारिता

46 आईएलआर *(1994) 1* डेल *271 [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय को रुपये से बढ़ा दिया गया था। *1* लाख से लेकर रु। *5* लाख। उस मामले में अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय से निचली अदालत में कार्यवाही के हस्तांतरण पर सवाल उठाने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि संशोधन अधिनियम का उद्देश्य उच्च न्यायालय पर बोझ को कम करना और मामलों का तेजी से निपटान करना था। उच्च न्यायालय ने कहा कि मंच का परिवर्तन एक प्रक्रियात्मक मामला है न कि निहित अधिकार। उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने न्यायमूर्ति डी. पी. वाधवा के माध्यम से ढाडी साहू *(*उपरोक्त*)* द्वारा पैदा की गई अस्पष्टता पर ध्यान दिया और इस सिद्धांत को नए भारत में लागू किया।

आश्वासन *(*ऊपर*)* और मारिया क्रिस्टीना *(*ऊपर*)* में संशोधनों के कारण मंच के परिवर्तन के रूप में लंबित कार्यवाही के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए आर्थिक अधिकार क्षेत्र प्रक्रियात्मक कानून में एक परिवर्तन है जो आमतौर पर पूर्वव्यापी होता हैः

" *29.* न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती. शांति मिश्रा *(1975) 2* एस. सी. सी. *840:* ए. आई. आर. *1976* एस. सी. *237) (9)* उच्चतम न्यायालय ने यह राय व्यक्त की थी कि मंच का परिवर्तन प्रक्रियात्मक कानून का परिवर्तन है।

और एक मूल कानून नहीं। मारिया क्रिस्टीना डी सूजा सोडर बनाम।

अम्रिया जुराना पर्सीरा पिंटो, *(1979) 1* एस. सी. सी. *92 (10),* अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि अपील का अधिकार हालांकि एक मूल अधिकार था और वादी में निहित हो गया था जैसे ही पहली बार की अदालत में एल. आई. एस. शुरू किया गया था और ऐसा अधिकार किसी भी निरसन से प्रभावित नहीं होगा।

ऐसा अधिकार प्रदान करने वाले अधिनियम का, जब तक कि निरसन अधिनियम या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा ऐसे अधिकार को नहीं छीन लेता है। अदालत ने यह भी कहा कि जिस मंच पर इस तरह की अपील की जा सकती है

दायर किया जाना एक प्रक्रियात्मक मामला था और इसलिए जिस अपील का अधिकार निरसन अधिनियम के तहत उत्पन्न हुआ था, उसे निरसन अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए मंच में दायर करना होगा। मिथिलेश कुमारी बनाम। प्रेम बिहारी खरे, *(1989) 2* एससीसी
95 : ए. आई. आर. *1989* एस. सी. *1247 (11)* में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निहित अधिकार को भी छीन लिया जा सकता है और कहा कि जहां उपचार वर्जित है, वह अधिकार अप्रवर्तनीय हो जाता है। का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने आयकर आयुक्त, उड़ीसा बनाम.

श्री ढाडी साहू, जे. टी. *1992 (6)* एस. सी. *714,* प्रतीत होते हैं

कुछ हद तक अपने पहले के फैसले के विपरीत लेकिन यह

हालांकि फैसले में कहा गया है कि अपील का मंच एक निहित अधिकार है

किसी विशेष मंच के समक्ष पालन किया जाना और वह अधिकार

कार्यवाही शुरू होने पर निहित हो जाता है लेकिन वह निहित अधिकार जारी नहीं रहेगा यदि विधायिका स्पष्ट रूप से

शब्द या आवश्यक निहितार्थ इस प्रकार इंगित करते हैं। पूरा

गोरधन दास बलदेव दास बनाम में पंजाब उच्च न्यायालय की पीठ।

नीना अनेजा और ए. एन. आर. वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ए. आई. आर. *1952* पंजाब *103 (*एफ. बी.*)*

फोरम को बाद के क़ानून द्वारा दूर किया जा सकता है यदि इसका इरादा
बाद के अधिनियम में विधायिका स्पष्ट रूप से प्रकट हुई थी।

(जोर दिया गया*)*

सी. *19* महेंद्र जैन *(2008-*बॉम्बे हाईकोर्ट-डीबी*)*

49. महेंद्र पन्मल दुग्गड जैन बनाम। भरारीलाल पानमल

जहां बॉम्बे सिविल कोर्ट एक्ट, *1869* की धारा *26* में संशोधन किया गया था, जिसने जिला न्यायालय के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को रु। *50,000* रु. तक। *2* लाख। नतीजतन, बॉम्बे उच्च न्यायालय के पंजीयक ने एक अपील को जिला न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जो संशोधन के लागू होने पर लंबित थी। आवेदकों ने अपील को उच्च न्यायालय में फिर से स्थानांतरित करने के लिए जिला न्यायालय में आवेदन किया, जिसमें तर्क दिया गया कि *13* जनवरी *1999* को लागू होने वाले संशोधन से पहले उच्च न्यायालय द्वारा दायर और स्वीकार की गई अपीलें जिला न्यायालय में स्थानांतरित होने के लिए उत्तरदायी नहीं थीं। उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया और आवेदकों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को फिर से स्थानांतरित करने का आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने बॉम्बे सामान्य खंड अधिनियम की धारा *7 (*बी*)* पर भरोसा करते हुए कहा कि यह संशोधन उच्च न्यायालय के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा। उच्च न्यायालय ने कहा

कि जब तक एक स्पष्ट विधायी इरादे का पता नहीं लगाया जा सकता है, तब तक बचत खंड की अनुपस्थिति मामलों को एक नए मंच पर स्थानांतरित करने की गारंटी नहीं देगी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने नोट किया कि मंच का अधिकार प्रक्रियात्मक कानून के दायरे में है और एक अधिकार का हकदार नहीं होगा वादी जिसने संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले एक निचली अदालत में मुकदमा दायर किया है, इस बात पर जोर देने के लिए कि उनकी अपील पर भी सुनवाई की जा सकती है और अपरिवर्तित प्रावधानों के तहत निर्धारित मंच द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। न्यायमूर्ति आर. सी. चव्हाण ने टिप्पणी की:

" 19 ..... बॉम्बे की धारा *7 (*बी*)* के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए

सामान्य खंड अधिनियम बॉम्बे की धारा *26* के भाग का निरसन

सिविल न्यायालय अधिनियम, रुपये की राशि के संदर्भ से संबंधित। पचास

उच्च न्यायालय में शुरू किया गया था या शुरू किया गया था। हम कर सकते हैं,
हालाँकि, मंच के उस अधिकार को विशेषणों के दायरे में जोड़ें

या प्रक्रियात्मक कानून उस दावेदार को हकदार नहीं बनाएगा जिसने मुकदमा दायर किया था

संशोधन अधिनियम से पहले विचारण न्यायालय इस बात पर जोर देने के लिए लागू हुआ कि उसकी अपील पर भी सुनवाई की जा सकती है और अपरिवर्तित प्रावधानों के तहत निर्धारित मंच द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। यह प्रश्न पहले ही विलास वसंत महाजन बनाम में पूर्ण पीठ द्वारा समाप्त किया जा चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हालाँकि, जब तक कि स्पष्ट विधायी इरादे को यह इंगित करने के लिए नहीं समझा जा सकता है कि लंबित मामलों की भी आवश्यकता थी
नए मंच को हस्तांतरित किया जाए, केवल *1977* के संशोधन अधिनियम की धारा *19* के रूप में एक बचत खंड की अनुपस्थिति, नए मंच को मामलों के हस्तांतरण की गारंटी नहीं देगी। "

सी. *20* वल्लभनेनी *(2004-*आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय*-5* न्यायाधीश*)*

50. वल्लभनेनी लक्ष्मण स्वामी बनाम। वल्लूरु बसवैया *48* एक ऐसा मामला था जिसमें ए. पी. सिविल कोर्ट *(*संशोधन*)* अधिनियम *1989* उठाया गया था।

जिला न्यायालय में अपील पर विचार करने के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार रु। *30,000* रु. तक। *1* एक लाख। एक और संशोधन द्वारा आर्थिक अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर रु। कर दिया गया। *3* एक लाख। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संशोधन संभावित रूप से लागू होगा। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि उन मुकदमों के मामले में जो संशोधन के लिए पहले दायर किए गए थे और संशोधन लागू होने की तारीख तक लंबित थे, उन मुकदमों के संबंध में अपील आर्थिक सीमाओं के आधार पर संशोधित अधिनियम के तहत बनाए गए मंच के समक्ष दायर की जाएगी। यदि अपील संशोधित अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले प्रस्तुत की गई है और अपील उक्त तिथि पर लंबित थी, तो संशोधन का ऐसी लंबित अपीलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उच्च

न्यायालय का निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित था कि जब अपील और मंच का अधिकार अटूट होता है, तो वे दोनों मूल अधिकार बन जाते हैं और एक साथ यात्रा करते हैं। उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने कहाः

"96. यदि मंच को बदल दिया गया है और मंच में अपील का अधिकार इतना अटूट है कि उन्हें स्पष्ट उपाय से अलग नहीं किया जा सकता है। यह होना चाहिए कि अपील का अधिकार और साथ ही मंच दोनों ही मूल अधिकार हैं और इसलिए, वे केवल लागू होते हैं।
भविष्य में मामलों के लिए और लंबित मामलों पर लागू नहीं।

सी. *21* गोबर्धन लाल सोनेजा *(1991*-पटना उच्च न्यायालय-एफ. बी.*)*

51. गोवर्धन लाल सोनेजा बनाम। बिनोद कुमार सिन्हा ", पटना उच्च न्यायालय ने न्यू इंडिया एस्योरेंस के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि उप-न्यायाधीश से लंबित कार्यवाही को मुन्सिफ को स्थानांतरित किया जाए। *48 (2004) 5* एएलडी *807*

49 49 (1991) 2 पीएलजेआर *783* नीना अनेजा और एएनआर।

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

एक संशोधन द्वारा आर्थिक अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन के बाद, शक्ति का एक वैध प्रयोग है और एक मंच का कोई निहित अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहाः

"11 ..... न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड *(*उपरोक्त*)* में उच्चतम न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम, *1939* की धारा *110* ए के प्रभाव पर विचार किया, जिसके द्वारा मोटर वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले दावे दायर करने के लिए दावा न्यायाधिकरणों का गठन किया गया थाः सवाल यह था कि क्या धारा *110* ए के लागू होने के बाद हुई दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के दावों के संबंध में मुकदमा चलेगा या इसके लिए दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावा दायर करना होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा *110* ए द्वारा कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, बल्कि केवल मंच में परिवर्तन किया गया था अर्थात विशेषण या प्रक्रियात्मक कानून में परिवर्तन और मूल नहीं था।

कानून। यह देखा गया। " यह अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि कानून का ऐसा परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से संचालित होता है और व्यक्ति को नए मंच पर जाना पड़ता है, भले ही उसके कार्य का कारण या कार्य का अधिकार मंच के परिवर्तन से पहले अर्जित हो। उसके पास कार्रवाई का निहित अधिकार होगा, लेकिन मंच का निहित अधिकार नहीं होगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा *19* की भाषा ऐसी नहीं है कि इसकी व्याख्या की जा सके कि मुन्सिफ और

अतिरिक्त मुन्सिफ को उस धारा के संशोधन के बाद दायर किए गए उच्च मूल्य के मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र दिया गया था। इस कारण से भी, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि धारा *19* का आवेदन इस अर्थ में पूर्वव्यापी होगा कि यह लंबित मुकदमों पर लागू होगा। कानून का यह प्रस्ताव नए भारत में रखा गया है।

आश्वासन कंपनी लिमिटेड, *(*ऊपर*)* "।

सी. *22* वाई. बी. रमेश *(2010*-कर्नाटक उच्च न्यायालय-एसजे*)*

52. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वाई. बी. रमेश बनाम. वरलक्ष्मी *5 0* ने अभिनिर्धारित किया कि आर्थिक अधिकार क्षेत्र में एक बाद के संशोधन के बारे में कहा जाता है

संबंधित फोरम से मामले की सुनवाई करने का अधिकार छीन लिया है। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सुधीर जी. अंगुर *(*ऊपर*)* के फैसले पर भरोसा किया और कहाः

"*9.* याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा संबोधित मुख्य तर्क यह है कि मुकदमा दायर करने की तारीख तक, न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसलिए, शिकायत को सी. पी. सी. के आदेश *7*, नियम *11 (*डी*)* के तहत खारिज किया जाना है। न्यायालय की अधिकारिता निर्धारित करने में लागू किए जाने वाले कानून से संबंधित मुद्दा, यानी मौजूदा कानून

50 (2010) 6 कांत एलजे *43 [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुक़दमा दायर किए जाने की तारीख या सुनवाई के लिए मुक़दमा पेश किए जाने की तारीख को आवेदन करना होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में सुप्रा *(*सुधीर जी अंगुर*)* का हवाला दिया, जो इस प्रकार हैः

"हमारे विचार में श्री जी. एल. सांघी का यह कहना भी सही है कि मुकदमे की सुनवाई की तारीख पर यह कानून है जिसे लागू किया जाना है। इस निवेदन के समर्थन में, श्री सांघी ने शिव भगवान मोद राम सरावजी बनाम के फैसले पर भरोसा किया। ओंकारमल ईशर दास, ए. आई. आर. *1952* बम। *365* , जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी पक्ष को किसी विशेष कार्यवाही या किसी विशेष मंच पर निहित अधिकार नहीं है। यह माना गया है कि यह अच्छी तरह से तय है कि सभी प्रक्रियात्मक कानून हैं पूर्वव्यापी जब तक कि विधानमंडल स्पष्ट रूप से इसके विपरीत न कहे। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि लागू प्रक्रियात्मक कानूनों को उस तारीख को लागू किया जाना चाहिए जब मुकदमा या कार्यवाही मुकदमे या निपटारे के लिए आती है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक न्यायालय कानून में परिवर्तन का संज्ञान लेने के लिए बाध्य है और कानून का प्रशासन करने के लिए बाध्य है जैसा कि मुकदमा सुनवाई के लिए आने पर था। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी न्यायालय के पास मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, जब यह निपटारे के लिए आता है, तो वह इस तथ्य के कारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने से इनकार नहीं कर सकता है कि जब इसे स्थापित किया गया था, उस तारीख को इसे स्वीकार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। हम इन टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मैसूर अधिनियम अब निरस्त हो गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब न्यायालय के पास इस मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा को देखते हुए, याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है। इसके अलावा, भले ही यह अभिनिर्धारित किया गया हो कि सिविल जज *(*जूनियर डिवीजन*)* के पास कोई आर्थिक सहायता नहीं है

वाद पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र, अधिक से अधिक, न्यायालय उपयुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वादी को वाद वापस कर सकता है। दीवानी अदालत अधिनियम में संशोधन को देखते हुए, दीवानी न्यायाधीश *(*कनिष्ठ प्रभाग*)*, मगदी मुकदमे की सुनवाई करने के लिए सक्षम न्यायालय है

मनोरंजन "। सी. *23*

कानून की स्थिति पर निष्कर्ष

53. उन असंख्य उदाहरणों पर विचार करते हुए जिन्होंने लंबित कार्यवाही पर मंच में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या की है और पूर्वव्यापीता-कानून की एक स्पष्ट स्थिति सामने आई है: मंच में परिवर्तन प्रक्रिया के दायरे में आता है। तदनुसार, नीना अनेजा और ए. एन. आर. सिद्धांतों के अनुपालन में।

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

प्रक्रियात्मक कानून पर लागू वैधानिक व्याख्या के अनुसार, प्रक्रिया के मामलों पर संशोधन पूर्वव्यापी हैं, जब तक कि क़ानून से कोई विपरीत इरादा सामने नहीं आता है। यह स्थिति न्यू इंडिया एस्योरेंस *(*ऊपर*)*, मारिया क्रिस्टिना *(*ऊपर*)*, हितेंद्र कुमार ठाकुर *(*ऊपर*)*, रमेश कुमार सोनी *(*ऊपर*)* और सुधीर जी अंगुर *(*ऊपर*)* में लिए गए निर्णयों से सामने आती है। हाल ही में, इस स्थिति का उल्लेख मनीष कुमार बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में किया गया है। संघ का भारत *3 1.* हालाँकि, ढाडी साहू *(*ऊपर*)* में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से विचलन हुआ, जिसने न्यू इंडिया एस्योरेंस *(*ऊपर*)* में तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ और मारिया क्रिस्टिना *(*ऊपर*)* में दो न्यायाधीशों की एक समन्वित पीठ के फैसले की अनदेखी की। ढाडी साहू *(*ऊपर*)* में निर्णय ने एक स्थिति का प्रतिपादन किया कि "किसी भी वादी को प्रक्रियात्मक कानून के मामले में कोई निहित अधिकार नहीं है, लेकिन जहां सवाल मंच के परिवर्तन का है, वह केवल प्रक्रिया का सवाल नहीं है। अपील या कार्यवाही का मंच एक निहित अधिकार है जो किसी विशेष मंच के समक्ष पालन की जाने वाली शुद्ध प्रक्रिया के विपरीत है। न्यायाधिकरण में कार्यवाही शुरू होने पर अधिकार निहित हो जाता है। यह विचार रखते हुए, दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने बाध्यकारी निर्णयों पर विचार नहीं किया। ढाडी साहू *(*ऊपर*)* इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि बकाया राशि की बचत

मोहम्मद में कार्यवाही। इदरीस *(*ऊपर*)* और मनुजेंद्र दत्त *(*ऊपर*)* वादियों के निहित अधिकारों का बचाव था जो उसमें निरस्त करने वाले कार्यों से प्रभावित हो रहे थे, न कि इसलिए कि कार्यवाही शुरू होने के बाद मंच का अधिकार अर्जित किया जाता है। इसके बाद, निर्णयों की एक पंक्ति ढाडी साहू *(*उपरोक्त*)* के बाद आई, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि कार्यवाही शुरू होने के बाद एक वादी को एक मंच का स्पष्ट अधिकार है। सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* के तहत परिकल्पित मूल अधिकारों के अलावा, संशोधन या निरसन से पहले एक वादी का निहित अधिकार *(*अपील के अधिकार सहित*)* निस्संदेह संरक्षित है। यह संरक्षण प्रक्रिया के शुद्ध मामलों तक विस्तारित नहीं है। फोरम में परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले निरसन या संशोधन सामान्य रूप से लंबित कार्यवाही को प्रभावित करेंगे, जब तक कि इसके विपरीत न हो।

इरादा निरसन या संशोधन क़ानून से प्रकट होता है।

54. इस संदर्भ में यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अंबालाल साराभाई *(*उपरोक्त*)* में निर्णय ने एक लाभ के संबंध में कार्यवाही को बचाया जो यद्यपि निहित नहीं है, मकान मालिक को किसी धारा के परंतुक के आधार पर किरायेदार को बेदखल करने के लिए उपार्जित किया जाता है जो किरायेदार को निष्कासन से सुरक्षा प्रदान करता है। इस न्यायालय ने तर्क दिया कि चूंकि मकान मालिक का अधिकार एक धारा से प्रवाहित होता है जो किरायेदार की रक्षा करता है, इसलिए इसे एक खंड में विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

51 2020 की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *26,19* जनवरी *2021* को तय की गई *(*भारत का सर्वोच्च न्यायालय*)*

निहित अधिकारों और अर्जित अधिकारों के बीच, बाद वाले को सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6 (सी)* के तहत संरक्षित किया जा रहा है, जिसके संबंध में कार्यवाही धारा *6 (ई)* के तहत संरक्षित हैं। *55.* अब इसी पृष्ठभूमि में हमें मंचों के समक्ष दायर लंबित मामलों पर *2019* के अधिनियम के प्रभाव का विश्लेषण करना है।

1986 के अधिनियम के तहत गठित।

डी अधिकारिता प्रावधानों की विधायी योजना

56. 2019 के अधिनियम के कुछ मुख्य पहलू जहां तक

धारा *34 (1)* के तहत जिला आयोग के मूल अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाएं उन शिकायतों पर विचार करने के लिए हैं जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। रुपये।

57. जिले के एक आदेश से एस. सी. डी. आर. सी. को एक अपील है।

धारा *41* के तहत आयोग। धारा *41* के दूसरे परंतुक में कहा गया है कि उस व्यक्ति की अपील पर विचार नहीं किया जाएगा जिसे भुगतान करने की आवश्यकता है।

जिला आयोग के आदेश के तहत कोई भी राशि, जब तक कि अपीलार्थी ने डिक्रीटल राशि का *50* प्रतिशत जमा नहीं किया हो।

58. एस. सी. डी. आर. सी. के पास धारा *47 (1) (ए) (आई)* के तहत कम से कम एक की आर्थिक सीमा के अधीन शिकायतों पर विचार करने का मूल अधिकार क्षेत्र है।

करोड़ रुपये और दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं। एस. सी. डी. आर. सी. के पास धारा *47 (1) (ए) (iii)* के तहत अपीलीय अधिकार क्षेत्र, धारा *47 (1) (*बी*)* के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र और धारा *50* के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र है।

59. धारा *51* एन. सी. डी. आर. सी. को एस. सी. डी. आर. सी. द्वारा अपने मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक शिकायत *[*धारा के खंड *(ए)* के उपखंड *(i)* और *(ii)* के लिए संदर्भित*]* सुनने के लिए पारित आदेश के खिलाफ अपील प्रदान करती है। *47 (1)]* . जिला आयोग के आदेश के खिलाफ एस. सी. डी. आर. सी. के समक्ष अपील के तरीके के अनुसार, धारा *51* के दूसरे परंतुक में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के कहने पर अपील पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसे किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है, जब तक कि राशि का *50* प्रतिशत जमा नहीं किया गया हो। धारा *51* की उप-धारा *(2)* के तहत, नीना अनेजा और ए. एन. आर. के समक्ष अपील।

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

एस. सी. डी. आर. सी. के एक आदेश के खिलाफ एन. सी. डी. आर. सी. कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आधारित है।

60. धारा *58 (*ए*) (1)* के तहत एन. सी. डी. आर. सी. का मूल अधिकार क्षेत्र उन शिकायतों पर विचार करना है जहां माल या सेवाओं के मूल्य का भुगतान किया जाता है।

क्योंकि प्रतिफल दस करोड़ रुपये से अधिक है और समान मूल्य के अनुचित अनुबंधों के खिलाफ शिकायतें हैं। एन. सी. डी. आर. सी. के पास धारा *51* के तहत एक अपीलीय अधिकार क्षेत्र, धारा *58 (1) (*बी*)* के तहत एक पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र और धारा *60* के तहत एक समीक्षा अधिकार क्षेत्र निहित है। अपने मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश के खिलाफ एक अपील धारा *67* के तहत इस न्यायालय में निहित है। धारा *67* के दूसरे परंतुक में एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा आदेशित राशि का *50* प्रतिशत पूर्व जमा करने की आवश्यकता है। *61. 1986* के पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत, *(i)* जिला आयोग के अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमा धारा *11 (1)* के तहत *20* लाख रुपये तक थी; *(ii)* एस. सी. डी. आर. सी. बीस लाख रुपये और रुपये के बीच थी।

धारा *17 (1)* के तहत एक करोड़; और *(iii)* धारा *21* के तहत एक करोड़ रुपये से अधिक एन. सी. डी. आर. सी.। जिला आयोग के आदेश के खिलाफ एस. सी. डी. आर. सी. के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व जमा की आवश्यकता राशि का *50* प्रतिशत या पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो *(*धारा *15)*। एस. सी. डी. आर. सी. *(*धारा *19* का दूसरा प्रावधान*)* के आदेशों के खिलाफ एन. सी. डी. आर. सी. में अपील के लिए इसी तरह की पूर्व जमा राशि की आवश्यकता थी। एस. सी. डी. आर. सी. *(*धारा *19)* के एक आदेश के खिलाफ एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष एक अपील इस आवश्यकता से सीमित नहीं थी कि उसे कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहिए। *2019* के अधिनियम की धारा *51 (2)* में, एन. सी. डी. आर. सी. को एक अपील कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निहित है।

ई अधिनियम की धारा *107* के अंतर्गत विधायी आशय

2019 का

62. 2019 के अधिनियम की धारा *107 (1) 1986* के अधिनियम को निरस्त करती है। राजस्थान राज्य में *v.* मंगीलाल पिंडवाल *3 2*, इस न्यायालय ने स्वीकार किया

सिद्धांत यह है कि बचत खंड या सामान्य बचत क़ानून के अभाव में निरसन का प्रभाव यह है कि "एक क़ानून मिटा दिया जाता है" इस अपवाद के अधीन कि यह पिछले और बंद लेनदेन के संबंध में मौजूद है। धारा *107 (2)* ने किसी भी निरस्त अधिनियम या "उसके तहत विधिवत किए गए या पीड़ित किसी भी चीज़ के" पिछले संचालन "को इस हद तक बचा लिया है कि यह नए कानून के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है। अंत में, धारा *107 (3)* इंगित करती है कि उप-धारा *(2)* में विशेष मामलों का उल्लेख

52 (1996) 5 एससीसी *60 [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा *6* के सामान्य अनुप्रयोग को प्रभावित या प्रभावित नहीं करेगा

सामान्य खंड अधिनियम।

63. सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* शासन प्रदान करती है।

केंद्रीय कानून या विनियमन के निरसन के प्रभाव के संबंध में सिद्धांत। इन शासी सिद्धांतों को लागू करना है, "जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो"। धारा *6* का खंड *(सी)* अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि निरसन "इस प्रकार निरस्त किसी भी अधिनियम के तहत अर्जित, उपार्जित या उपार्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व" को प्रभावित नहीं करेगा। अधिनियम के तहत वैध रूप से स्थापित उपभोक्ता शिकायत को आगे बढ़ाने का अधिकार

1986 का अधिकार उस कानून के तहत अर्जित किया गया है जिसे निरस्त कर दिया गया था। धारा *6* के खंड *(ई)* में कहा गया है कि निरसन, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा।

" "जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऐसे किसी अधिकार के संबंध में" कानूनी कार्यवाही या उपचार। ऐसी कोई भी कानूनी कार्यवाही जारी रखी जा सकती है जैसे कि

निरस्त करने वाला कानून पारित नहीं किया गया था। धारा *6* के खंड *(सी)* में है -

अर्जित अधिकार के संरक्षण का प्रभाव। खंड *(ई)* यह सुनिश्चित करता है कि "ऐसे अधिकार" की रक्षा या उसे लागू करने के लिए शुरू की गई कानूनी कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और इसे ऐसे जारी रखा जा सकता है जैसे कि निरस्तीकरण कानून लागू नहीं किया गया हो। खंड *(ङ)* में इस तरह के अधिकार की अभिव्यक्ति का स्पष्ट रूप से अर्थ है वह अधिकार जिसे खंड *(ङ)* में जोड़ा गया है। खंड *(ग)*। खंड *(ग)* और खंड *(ङ)* का सादा परिणाम, जब एक साथ पढ़ा जाता है, तो दो गुना होता हैः पहला, वह अधिकार जो *1986* के अधिनियम *(*निरसन कानून*)* के तहत उपभोक्ता शिकायत की स्थापना की तारीख को अर्जित हुआ है, संरक्षित है और दूसरा, किसी कानूनी कार्यवाही या उपचार के माध्यम से अधिकार का प्रवर्तन निरसन से प्रभावित नहीं होगा।

64. उपरोक्त स्थिति को बताने के बाद, हमें इसे इस सिद्धांत के साथ सुसंगत बनाने की आवश्यकता है कि किसी मंच का अधिकार अर्जित अधिकार नहीं है, क्योंकि

इस निर्णय के भाग सी में चर्चा की गई है। सीधे शब्दों में कहें तो, जबकि सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6 (ई)* किसी अर्जित अधिकार के प्रवर्तन के लिए लंबित कानूनी कार्यवाही को निरसन के प्रभाव से बचाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी विशेष मंच पर कानूनी कार्यवाही को निरसन के प्रभावों से बचाया जाता है। सवाल यह है कि क्या लंबित कानूनी कार्यवाही को नव निर्मित को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है

निरसन के आधार पर मंच अभी भी बना रहेगा। जैसा कि चर्चा की गई है, न्यू इंडिया एस्योरेंस *(ऊपर)* और मारिया क्रिस्टीना *(ऊपर)* में यह न्यायालय

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मंच प्रक्रियात्मक कानून से संबंधित मामला है और इसलिए वादी को नीना अनेजा और ए. एन. आर. द्वारा बनाए गए मंच पर कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाना होगा।

वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[*डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

यह लंबित कार्यवाही पर भी लागू होगा, जैसा कि रमेश कुमार सोनी *(ऊपर)*, हितेंद्र कुमार ठाकुर *(ऊपर)* और सुधीर जी अंगुर *(ऊपर)* में देखा गया है। इस पृष्ठभूमि में, जो पता लगाने के लिए प्रासंगिक है वह है क्या पुराने मंच पर कार्यवाही जारी रखने के लिए *2019* के अधिनियम के तहत पूर्वव्यापीता के सामान्य नियम के विपरीत इरादा व्यक्त किया गया है।

65. अब, वर्तमान मामले में निरस्तीकरण अधिनियम में इरादे की अभिव्यक्ति पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि कोई स्पष्ट नहीं है

यह दर्शाने वाली भाषा कि सभी लंबित मामलों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा

2019 के अधिनियम द्वारा अपनी नई निर्धारित आर्थिक सीमाओं को लागू करके बनाया गया मंच। यह अनुमान लगाने में कि क्या कोई विपरीत इरादा है, विधायी योजना और प्रक्रियात्मक इतिहास विधायिका के इरादे में एक प्रासंगिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।

66. 2019 का अधिनियम, जैसा कि इसके लंबे शीर्षक से संकेत मिलता है, "उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए" प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। बयान

उद्देश्यों और कारणों के विभाग ने पूर्ववर्ती विधान के तहत मामलों के विलंबित निपटारे पर ध्यान दिया। इस प्रकार, निपटान में तेजी लाने की आवश्यकता उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए थी। *2019* के अधिनियम ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, ई-वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आलोक में उत्पादों और सेवाओं के प्रसार द्वारा उपभोक्ता बाजारों के विकास पर ध्यान दिया है। नए बाजारों ने एक व्यापक श्रृंखला प्रदान की है

67. इस पृष्ठभूमि में, वैधानिक भाषा के संदर्भ में कुछ विशिष्ट-या तो व्यक्त शब्द या शब्द जो किसी आवश्यक भाषा का संकेत देते हैं। लंबित मामलों के हस्तांतरण को अनिवार्य करने के लिए इरादे की आवश्यकता होती। अगर *2019* के अधिनियम द्वारा आर्थिक सीमाओं में बदलाव के परिणामस्वरूप एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष पहले से ही दर्ज किए गए मामलों को एस. सी. डी. आर. सी. को हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है, तो उपभोक्ताओं को होने वाली गंभीर कठिनाई की कल्पना की जा सकती है। एक उपभोक्ता जिसने एन. सी. डी. आर. सी. के मुख्यालय में कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है, उसे *[2021] 15* एस. सी. आर. से पहले कानूनी प्रतिनिधित्व का एक नया दौर शुरू करना होगा।

एस. सी. डी. आर. सी. खर्च कर रहा है और प्राप्त करने में अनिश्चितता पैदा कर रहा है

न्याय तक पहुँच। इसी तरह, जहां एस. सी. डी. आर. सी. के समक्ष शिकायतें दर्ज की गई हैं, कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए उपभोक्ताओं को जिला आयोग के समक्ष कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की आवश्यकता होगी यदि मामलों को स्थानांतरित किया जाना है। इस तरह की कार्रवाई से उपभोक्ताओं के अधिकारों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि कई उपभोक्ताओं के पास नए मंच पर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी सलाहकार खोजने का नया बोझ उठाने के लिए साधन या संसाधन न हों, जिसके लिए उनके मामले खड़े होंगे।

स्थानांतरण किया गया।

68. इसका श्रेय संसद को देना मुश्किल होगा, जिसका उद्देश्य

2019 के अधिनियम को लागू करने में इस इरादे से उपभोक्ताओं की रक्षा और समर्थन करना था जिससे वित्तीय कठिनाई, अनिश्चितता और खर्च बढ़ेगा।

उपभोक्ता मुकदमेबाजी के संचालन में। विडंबना यह है कि अपीलार्थी द्वारा दायर उपभोक्ता शिकायत के संबंध में एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अधिकार क्षेत्र के निरंतर प्रयोग पर वर्तमान मामले में जो आपत्ति उठाई गई है, वह विकासकर्ता द्वारा है जो इसमें प्रतिवादी है। यह एक विकासकर्ता है जिसने इस आधार पर एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष कार्यवाही जारी रखने का विरोध किया कि नए उपभोक्ता कानून के तहत एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाओं को बढ़ा दिया गया है और अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत जो पूर्ववर्ती कानून के तहत वैध रूप से स्थापित की गई थी, उसे एस. सी. डी. आर. सी. को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप देश भर में हजारों मामले एन. सी. डी. आर. सी. से एस. सी. डी. आर. सी. और एस. सी. डी. आर. सी. से जिला आयोग को हस्तांतरित किए जाएंगे।

69. केंद्रीय मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों से प्राप्त आंकड़े

उपभोक्ता मामले वित्तीय वर्ष *2015-16* से वित्तीय वर्ष *2019-20* तक लंबित होने का संकेत देते हैं:

वित्त वर्ष के लिए रिपोर्ट *2015-16 (31.12.2015* पर आंकड़े*) 5 3*

आयोग/मंच

दर्ज किए गए मामले

मामले

मामले

% में से

तब से

निपटाया गया

लंबित निपटान

तब से

शुरुआत

शुरुआत

10,059

98,952

88,893

एनसीडीआरसी

89.83

6,01,216

96,748

6,97,964

एससीडीआरसी

86.14

36,59,486 33,73,529 2,85,957 92.19

जिला मंच

44,56,402 40,63,638 3,92,764 91.19

कुल

*53 HTTPS: //*उपभोक्ता मामले। ठीक है। इन/साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल/फाइल-अपलोड/वार्षिक रिपोर्ट/*1535004604 _* ए. आर. *2015-16*।

पीडीएफ, पृष्ठ *34* नीना अनेजा और एएनआर। वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

वित्त वर्ष के लिए रिपोर्ट *2016-17 (31.12.2016* पर आंकड़े*) 54*

आयोगों/मंचों द्वारा दायर किए गए मामले

मामलों का%

मामले

तब से

निपटाया गया

लंबित निपटान

शुरुआत

तब से

शुरुआत

12,130 88.63

1,06,711

एन सी आर सी

94,581

7,28,526 6,27,289

1,01,237 86.10

एससीडीआरसी

38,53,422

35.51,649

जिला मंच

3,01,773 92.17

46,89,280 42,74,136

कुल

4,15,144 91.15

वित्त वर्ष के लिए रिपोर्ट *2017-18 (29.01.2018* पर आंकड़े*) 55*

आयोग/मंच

मामले

मामले

% से

मामले

लंबित। निपटान

दर्ज किया गया है

निपटाया गया

शुरुआत

तब से

शुरुआत

1,17,430 1,00,419

एन सी आर सी

17,011 85.51

7,57,887 6,49,606 1,08,281 | 85.71

एससीडीआरसी

40,62,476 | 37,59,249 | 3,03,227 | 92.54

जिला मंच

49,37,793 | 45,09,274 | 4,28,519 | 91.32

कुल

वित्त वर्ष के लिए रिपोर्ट *2018-19 (31.03.2019* पर आंकड़े*) 5*

% से

आयोग/मंच मामले

मामले

मामले

दाखिल किया गया

निपटान

निपटाया गया

लंबित है।

तब से

तब से

शुरुआत

शुरुआत

1,28,152 | 1,08,112 | 20,040 84.36

एनसीडीआरसी

8,29,477 7,11,507 1,17,970 85.78

एससीडीआरसी

41,59,692 38,38,473 3,21,219 92.28

जिला मंच

51,17,321 46,58,092 | 4,59,229 91.03

कुल

*54 HTTPS: //*उपभोक्ता मामले। ठीक है। इन/साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल/फाइल-अपलोड/वार्षिक रिपोर्ट /

1535004643 ए. आर. *2016-17.* पी. डी. एफ., पृष्ठ *47*

*55 HTTPS: //*उपभोक्ता मामले। ठीक है। इन/साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल/फाइल-अपलोड/वार्षिक रिपोर्ट /

1535004742 ए. आर. *2017-18.* पी. डी. एफ., पृष्ठ *49*

*56 HTTPS: //*उपभोक्ता मामले। ठीक है। इन/साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल/फाइल-अपलोड/वार्षिक रिपोर्ट/_ _।

, पृष्ठ *41 [2021] 15* एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वित्त वर्ष के लिए रिपोर्ट *2019-20 (31.10.2019* पर आंकड़े*) 57*

आयोग/मंच

% में से

मामले

मामले

मामले

निपटाया गया

तब से दाखिल किया गया

लंबित है।

निपटान

शुरुआत

काफी समय से

शुरुआत

21,216 84.07

एनसीडीआरसी

1,33,148 | 1,11,932

1,25,156

9,44,841 8,19,685

86.75

एससीडीआरसी

43,05,234 | 39,62,438

92.04

जिला मंच

3,42,796

53,83,223 48,94,055 4,89,168

कुल

90.91

उपरोक्त आंकड़े बताते हैं कि *31* अक्टूबर *2019* तक *21,216* मामले सामने आए।

एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष लंबित थे और *1,25,156* मामले एस. सी. डी. आर. सी. के समक्ष लंबित थे। इनमें से कई मामलों को स्थानांतरित करना होगा यदि विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण को बरकरार रखा जाता है। यह उपभोक्ताओं के हितों को गंभीर रूप से इस तरह से विस्थापित करेगा जो कानून के उद्देश्य को विफल कर देता है, जो उनके कल्याण की रक्षा और बढ़ावा देना है। इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट इरादे या आवश्यक निहितार्थ द्वारा एक इरादे का संकेत देने वाले स्पष्ट शब्द आवश्यक होंगे। *2019* का अधिनियम

इसमें ऐसा कोई संकेत नहीं है। धारा *31,45* और *56* में निहित संक्रमणकालीन प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि न्यायनिर्णायक कर्मी जो पूर्ववर्ती विधान के तहत जिला आयोग, एस. सी. डी. आर. सी. और एन. सी. डी. आर. सी. के सदस्यों के रूप में कार्य कर रहे थे, वे नए विधान के तहत पद पर बने रहेंगे। इस तरह के प्रावधान आवश्यक हैं क्योंकि *1986* के अधिनियम के तहत उपभोक्ता मंचों पर नियुक्त व्यक्तियों को

अन्यथा विधान के निरसन पर पद से हटा दिया गया। विधायिका

नए कानून द्वारा स्थापित मंचों के लिए स्थापित नई आर्थिक सीमाओं के अनुसार लंबित मामलों के हस्तांतरण के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं करने में छूट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, अगर यह उसका इरादा था। चूक, जब वैधानिक योजना के खिलाफ संदर्भित किया जाता है, तो धारा के माध्यम से लंबित कार्यवाही को बचाने के लिए एक विपरीत इरादे को दर्शाता है।

107 (2) 2019 के अधिनियम के अनुसार। यह इरादा संभव प्रतीत होता है, विशेष रूप से

एन. सी. डी. आर. सी. के पिछले निर्णयों के आलोक में, जिन्होंने संभावित आर्थिक अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने वाले संशोधनों की व्याख्या की थी।

*57 HTTPS: //*उपभोक्ता मामले। ठीक है। इन/साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल/फाइल-अपलोड/वार्षिक रिपोर्ट/*1596167686* वार्षिक*% 20* रिपोर्ट*% 202019-20.* पी. डी. एफ. पृष्ठ *45* *58 2000* का उपभोक्ता मामला संख्या *286 (*एन. सी. डी. आर. सी.*)*

नीना अनेजा और ए. एन. आर. वी. जय प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। *[* डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।*]*

2002 जिसके द्वारा प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड बनाम में अपने पहले के निर्णय पर भरोसा करके *15* मार्च *2003* से अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाओं को बढ़ाया गया था। डॉ. मनोज

रामचंद्रन ", जहाँ एन. सी. डी. आर. सी. ने माना कि संशोधन आर्थिक अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना प्रकृति में संभावित है *[*यद्यपि

ढाडी साहू *(*ऊपर*)* में सिद्धांत की निर्भरता पर*]*। संसद इस शासी सिद्धांत के प्रति सचेत होगी और फिर भी उपभोक्ता मंचों पर अपने अनुप्रयोग में इसे नहीं बदलने का फैसला किया।

70. यह स्वीकार किया जाता है कि जिला आयोग के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने में, *2019* के अधिनियम की धारा *34* अधिकार क्षेत्र को सौंपती है -

"शिकायतों पर ध्यान दें। एस. सी. डी. आर. सी. और एन. सी. डी. आर. सी. के संबंध में धारा *47* और धारा *58* में इसी तरह का प्रावधान है। हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में "मनोरंजन" शब्द पर विचार किया गया है। पुन्नु साहू *(*मृत*)* कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से, प्रावधानों के संदर्भ में

सी. पी. सी. के आदेश *XXI* नियम *90* का। न्यायालय ने स्वीकार किया है कि "मनोरंजन" पद का अर्थ है गुण-दोष पर निर्णय लेना या विचार करना। नुस्ली नेविल *(*ऊपर*)* में, सी. पी. सी. की धारा *9* ए के प्रावधानों पर विचार करते हुए, जैसा कि महाराष्ट्र संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, दो न्यायाधीशों की पीठ ने हिंदुस्तान में व्याख्या का पालन किया।

वाणिज्यिक बैंक *(*ऊपर*)*। निसन्देह, "मनोरंजन" पद का अर्थ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा *9* ए के संदर्भ में किया गया है, जैसा कि महाराष्ट्र में संशोधित किया गया है, जैसा कि नुस्ली वाडिया *(*ऊपर*)* में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया है।

योग्यता पर विचार करना जारी रखें। इसी तरह धारा *34,47* और *58* इंगित करती हैं कि संबंधित उपभोक्ता मंच अपने अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाओं के भीतर शिकायतों पर विचार कर सकते हैं। ये प्रावधान निस्संदेह उन शिकायतों पर लागू होंगे जो *2019* के अधिनियम के लागू होने के बाद शुरू की गई थीं। हालाँकि, अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने में "मनोरंजन" शब्द का मात्र उपयोग उपभोक्ता कल्याण सुनिश्चित करने के लिए भारी विधायी इरादे का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं है और जानबूझकर *2019* के अधिनियम में या *2019* के अधिनियम की धारा *106* के तहत लंबित कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए प्रावधान नहीं है जो हटाने की शक्ति है।

2019 के अधिनियम की शुरुआत के बाद दो साल की अवधि के लिए कठिनाइयाँ।

59 1993 की पुनरीक्षण याचिका संख्या *400* से *402 (*एन. सी. डी. आर. सी.*) 60* "हिंदुस्तान वाणिज्यिक बैंक"; *(1971) 3* एस. सी. सी. *124 [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एफ सारांश

71. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि *2019* के अधिनियम के प्रारंभ से पहले संरेखण स्थापित किए गए थे

2020 तक उनके अनुरूप मंचों से पहले जारी रहेगा।

1986 का अधिनियम *(*राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग जिला आयोग*)* और *2019* के अधिनियम के तहत स्थापित मंचों के लिए निर्धारित आर्थिक अनुदान के संदर्भ में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। जबकि

अपीलों में, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

दिनांकित एन. सी. डी. आर. सी. का विवादित निर्णय और आदेश

((i)

30 जुलाई *2020* और *5* अक्टूबर *2020* का समीक्षा आदेश, जिसमें *1986* के अधिनियम के तहत पहले से स्थापित उपभोक्ता मामले को *2019* के अधिनियम के तहत निर्धारित आर्थिक सीमाओं के संदर्भ में उपयुक्त मंच के समक्ष दायर करने का निर्देश दिया गया है, अलग रखा जाएगा।

उपरोक्त *(i)* के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय आयोग

((ख)

अपीलार्थियों द्वारा स्थापित उपभोक्ता मामले की सुनवाई जारी रहेगी;
20 जुलाई *2020* से पहले शुरू की गई सभी कार्यवाहियां

(iii)

1986 के अधिनियम की सुनवाई *1986* के अधिनियम के तहत नामित लोगों के अनुरूप मंचों द्वारा जारी रहेगी जैसा कि ऊपर बताया गया है और इसके संदर्भ में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा
2019 के अधिनियम के तहत स्थापित नई आर्थिक सीमाएँ; और

((iv) प्रत्यर्थी अपीलार्थी का खर्च वहन करेगा।

दो लाख रुपये पर निर्धारित जो चार सप्ताह के भीतर देय होगा।

72. उपरोक्त शर्तों में अपीलों की अनुमति है।

73. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

पांडे